स्मारिका 2003

श्रम आराधना

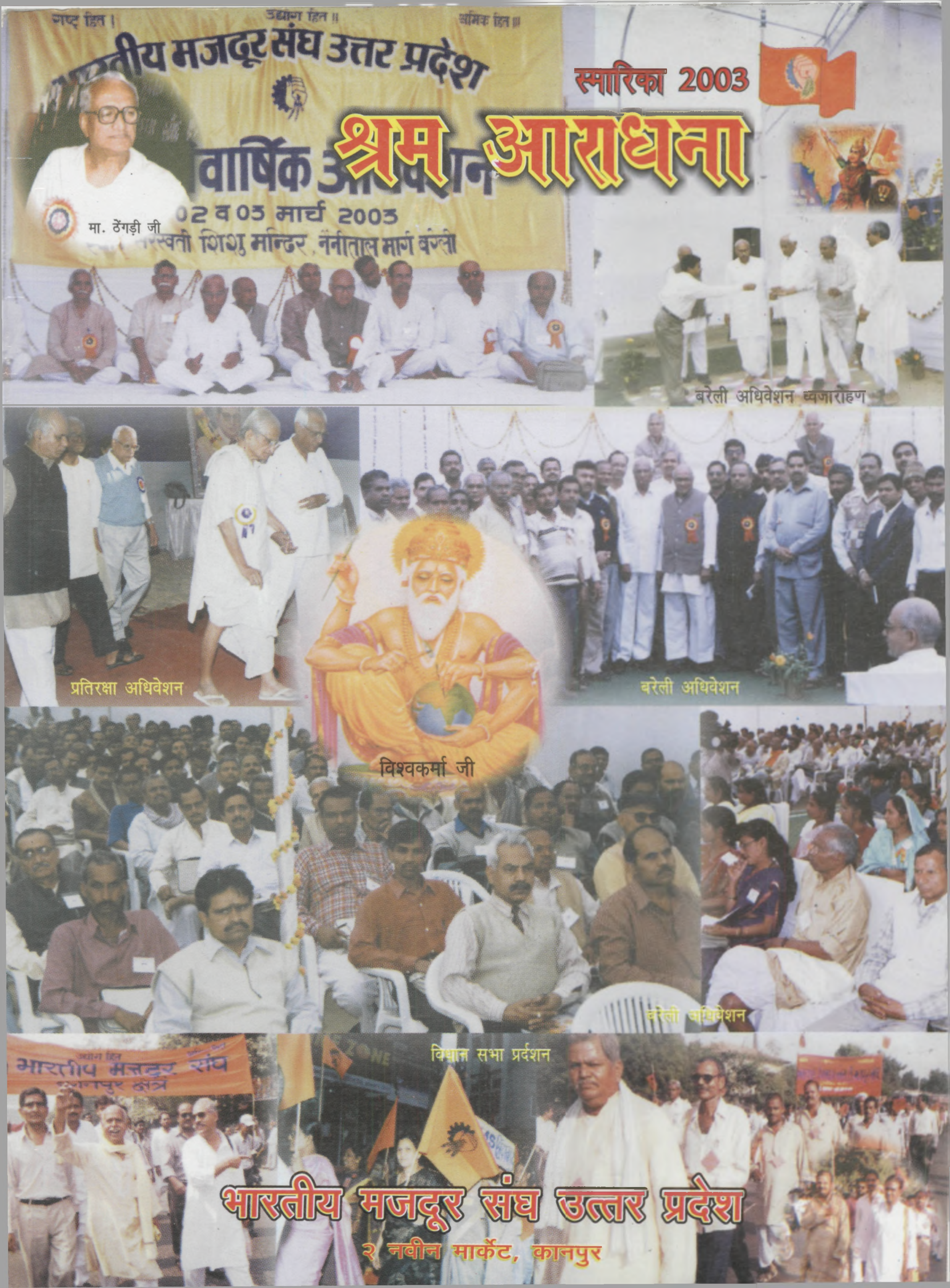

मा. ठेंगड़ी जी

बरेली अधिवेशन ध्वजारोहण

प्रतिरक्षा अधिवेशन

बरेली अधिवेशन

विश्वकर्मा जी

बरेली अधिवेशन

विधान सभा प्रर्दशन

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश

२ नवीन मार्केट, कानपुर

With Best Compliments From :

INSILCO

Degussa Group

(AN ISO-9001 : 200 & ISO - 14001 COMPANY)

Manufacturers of

PRECIPITATED SILICA

Regd. Office :
INSILCO LIMITED
A-5, UPSIDC Indl. Area,
Bhartiagram, Gajraula,
Distt. : Jyotiba Phule Nagar,
U.P. - 244223
Tel : (05924)52341-42
Fax : (05942) 52348
E-mail : insilgaj@sancharnet.in

Head Office :
Thapar House (3rd Floor)
Central Wing, 124 Janpath,
New Delhi - 110 001
Tel No. : (011) 23742277
Fax No. : (011) 23360033
E-mail : insilco@vsnl.com

4301

राष्ट्र हित ! उद्योग हित ! श्रमिक हित !

श्रम आराधना 2003

''श्रमिकाणां राष्ट्रभक्तिः राष्ट्रस्योद्योगशालिता ।
उद्योगे श्रम-स्वामित्वं एतत्सर्वार्थ साधनम् ।।''

श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण ! राष्ट्र का औद्योगीकरण !! उद्योगों का श्रमिकीकरण !!!

सरंक्षक :
श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी
श्री गिरीश अवस्थी
श्री अख्तर हुसैन
श्री रामदास पाण्डेय
श्री रामदौर सिंह
श्री देवनाथ सिंह
श्री रमाकान्त शुक्ल

परामर्शदाता :
श्री राजेश्वर दयाल शर्मा
श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र
श्री घनश्याम दास गुप्त
श्री वीरेन्द्र कुमार
श्री जगदीश बाजपेई
श्री प्रकाश जी
श्री श्रीकान्त अवस्थी

सम्पादक :
शिवभूषण सिंह 'सलिल'

प्रकाशक :
भारतीय मजदूर संघ, उ. प्र.
2 नवीन मार्केट, कानपुर
दूरभाष : 0512-2304883

आवरण सज्जा एवं मुद्रक :
श्री ऋषभ गुप्त
छाया प्रेस
8/208, आर्यनगर, कानपुर
दूरभाष : 2292625

सम्पादकीय

भारतीय मजदूर संघ बचाव करने वाली संस्था नही अपितु आक्रमण करने वाली संस्था हैं। विजय का विश्वास लेकर आगे बढ़ने वाली संस्था हैं। एक अस्पताल के कार्य के लिए नही अपितु व्यायामशाला के रूप में ट्रेड यूनियन क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई है। जहाँ पर स्वस्थ लोगों (राष्ट्र हित, उद्योग हित, श्रमिक हित का चिंतन करने वाले पहलवानों) का निर्माण किया जाता है। जिसकी शक्ति से अन्याय, शोषण एवं भ्रष्टाचार की राह पर चलने वाले राजनीतिज्ञ शासन एवं प्रशासन के लोग डरते हैं।

स्मरण रहे! जो भी ट्रेड यूनियन राज्य सत्ता के आधार पर अथवा राजनैतिक दलों के पिछलग्गू बनकर अपनी गतिविधियों का संचालन करती है। वह श्रमिक संगठन राज्य सत्ता अथवा राजनैतिक दल के टूटते ही स्वयं क्षत विक्षत होकर बिखर जाता है।

परन्तु जो संगठन याचकों की संस्था न बनकर अपने दम खम पर न्यायपूर्ण मांगों के साथ-साथ श्रमिकों में सहयोग, तादात्म्य, समर्पण, त्याग, तपस्या, बलिदान एवं निष्ठा की भावना विकसित करते हुए राष्ट्रहित, उद्योगहित एवं श्रमिक हित के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह संगठन शनैः-शनैः उत्तरोत्तर शून्य से चलकर शिखर को प्राप्त कर लेता है।

यही कारण है कि आज भी भारतीय मजदूर संघ शून्य से शिखर पर पहुँचने के बाद भी राष्ट्र, उद्योग एवं श्रमिक हित में उत्तरोत्तर संघर्षशील है।

भारतीय मजदूर संघ ने शंखनाद किया है, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरूद्ध, विदेशी हस्ताक्षेप को नकारते हुए विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन की काली करतूतों के विरूद्ध राजनैतिक दलों के खिलौने बनकर काम करने वाले श्रमिक संगठनों के विरूद्ध, जो बात-बात पर अनावश्यक रूप से उद्योग बन्दी या हड़ताल अथवा धीमी गति काम से करने वालों को बढ़ावा देते हैं। अब तो रणभेरी बज उठी है। ''युद्धम् देहि ! युद्धम् देहि !!'' का उद्घोष हो चुका है। राष्ट्र भक्त श्रमिकों का अब तो बस एक ही नारा है -

''सम्हल के रहना देशद्रोहियों टक्कर हमसे होनी है।

राष्ट्रऋषि ने पद्मभूषण लौटाया

भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक मा. दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने २६ जनवरी, २००३ को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्मभूषण की उपाधि स्वीकार करने से इन्कार करने दिया है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में पद्मभूषण की उपाधि प्रदान करन के लिए आभार प्रकट करते हुए श्री ठेंगड़ी जी ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। श्री ठेंगड़ी जी के अनुसार जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार एवं उनके उत्तराधिकारी श्री गोलवलकर 'श्री गुरु जी' को भारत रत्न की उपाधि अर्पित नहीं की जाती, उनके लिए पद्मभूषण स्वीकार करना सर्वथा अनुपयुक्त हैं। *(सम्पादक)*

श्रद्धेय ठेंगड़ी जी द्वारा लिखे गये पत्र का हिन्दी अनुवाद

महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

नागपुर
28 जनवरी, 2003

परम आदरणीय राष्ट्रपति जी,

आपने 'पद्म भूषण' की उपाधि देकर मुझे जो सम्मान प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पर मुझे संदेह है कि मैं इस सम्मान के योग्य हूँ।

मेरे हृदय में आपके लिए अत्यधिक सम्मान है। केवल आपके वर्तमान पद के लिए नहीं, अपितु आपकी व्यक्तिगत महानता के लिए। ऐसी महानता जो अपने से अनभिज्ञ है।

मेरे लिए इस सम्मान को तब तक ग्रहण करना अनुपयुक्त है, जब तक कि श्रद्धेय डॉ. हेडगेवार और श्रद्धेय श्री गुरुजी को 'भारत रत्न' अर्पित नहीं किया जाता।

हार्दिक सद्भावना के साथ,

आपका विश्वासपात्र
दत्तोपंत ठेंगड़ी

अनुक्रमाणिका

१.	श्रद्धांजलि - कर्मयोगी का महाप्रयाण	१
२.	संस्मरण यात्रा - मा. दत्तोपंत जी ठेंगड़ी	३
३.	भारतीय मजदूर संघ की सफलता के कारण - रामदौर सिंह	२५
४.	चीन में औद्योगिक सम्बन्धों की सच्चाई - गिरीश अवस्थी	२६
५.	देश एवं समाज के चिंतक 'स्व. बालादीन जी' - जुग्गीलाल सोनकर	३७
६.	भा. म. सं. उ. प्र. का २९वाँ प्रान्तीय अधिवेशन - वीरेन्द्र कुमार	४१
७.	सांस्कृतिक संकट से पर्यावरण खतरे में - गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	५५
८.	बदलती नवीन परिस्थितियों में औद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रम संघ - सुखेदव प्रसाद मिश्र	५७
९.	स्वतंत्रता आन्दोलन में कम्युनिस्टों की काली करतूतें - रामदास पाण्डेय	७१
१०.	महत्वपूर्ण निर्णय - महेन्द्र पाठक	७५
११.	कार्यग्रहण अवधि - सर्वेश चन्द्र द्विवेदी	७७
१२.	सतर्कता - देवनाथ सिंह	८५
१३.	सेवा के दौरान मृत्यु और अशक्तता पर देय विशेष लाभ - शिव भूषण सिंह 'सलिल'	९१
१४.	सेवा एसोशिएशन और संयुक्त सलाहकार तंत्र - श्रीकान्त अवस्थी	९५
१५.	सफल निर्णय प्रक्रिया के सूत्र- गोविन्द शंकर त्रिपाठी	१०३
१६.	बालिका श्रमिक - दीपक अवस्थी	१०७
१७.	भारत फिर से गुलामी की ओर - अखिलेश पाण्डेय	१०९
१८.	न्यायालय निर्णय - रमाकान्त शुक्ल	१११
१९.	क्या हिन्दुस्तान में खाद्य समस्या फिर से आयेगी ? - एन. के. अवस्थी	११७
२०.	धारणाधिकार - श्रीमती आशा सक्सेना	११९

माननीय ठेंगड़ी जी के एक पत्र के कुछ अंश जिसे बड़े भाई जी ने जीवन प्रर्यन्त पालन किया

"लड़ते-लड़ते वीर गति प्राप्त करना कठिन कार्य है पर सतत् संघर्ष का जीवन जीना और भी दुष्कर है। उदार वृत्ति वाले अधिकांश लोग सर्वोच्च घड़ी के लिये अपना पूरा साहस बटोर कर लक्ष्य के लिये मर मिटेंगे, किन्तु बार-बार और फिर बिना चेतावनी के उस सर्वोच्च घड़ी के लिये साहस जुटाते रहना महान व्रत के लिए जीवन का दायित्व है और इस महान व्रत की जो प्राणो को सुखाने वाली कष्ट साध्य अनिवार्यता है उसी का प्रभाव है कि अनेक लोग असफल हो गये हैं।

हमें ऐसा व्यक्ति चाहिये जो यह हृदयंगम कर सके कि जीने में भी उतने ही साहस और वीरता की आवश्ययकता है जितनी कि मरने में। किन्तु हमारे युग में इस संवाद युक्ति ने संभ्रम पैदा कर दिया है। आप से यह नही कहा गया कि आप देश के लिये मरे,वरन कहा गया है कि आप उसके लिये जिए। कायरों की भॉति गिड़गिड़ा कर जीना कोई जीना नही यदि ऐसे घटिया जीवन दर्शन की बात बाहर फैली तो हम शीध्र ही देखेंगे कि यह देश गीदड़ों का देश बन जायेगा जिसमें न तो अन्याय से दृढ़ता पूर्वक लड़ते हुये जीवन की, और नही वीरता पूर्वक मरने की शक्ति रह जायेगी।"

With Best Compliments From :

HARYANA HANDLOOM EMPORIUM

Manufacturers & Government Suppliers
Bed Sheets, Bed Covers, Tapestry, Towels,
Suiting, Shirting, Uniforms,
P.V.C. Flooring etc.

Opp. Goverdhan Market,
Railway Road,
Aligarh - 202 001 (U.P.)
Phone : 2407144 (Shop), 2402727 (Resi.)

4714

॥ श्रीः ॥

राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया)

कौशिक आश्रम
४८४/६८, मित्र मंडळ कालोनी
पर्वती, पुणे – ४११ ००६
दूरभाष :– २४४४२५७७

दि. : पौष कृ. १. सं. २०५६.

संदेश

प्रिय देवनाथ सिंह,

सप्रेम नमस्कार।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के उन्तीसवें वार्षिक अधिवेशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। इस अवसर पर 'श्रम-आराधना' नामक स्मारिका भी प्रकाशित हो रही है जिसमें श्रम जगत की समस्याओं पर रचनात्मक विचार होगा। जन सामान्य में 'श्रम की प्रतिष्ठा' हो, और इस कार्य में आप सब सफल हों, यह सुनिश्चित है। आवश्यकता है अधिक उत्साह एवं सामर्थ्य से काम में जुट जाने की।

इधर मेरी आंखों की ज्योति धीरे-धीरे जा रही है। इसके कारण से अब लिखना-पढ़ना सब बंद है। इसलिए लेख आदि नहीं लिख पाता।

तत्रस्थ सभी कार्यकर्ता बंधुओं को नमस्कार।

तुम्हारा —

रज्जू भैया

सुरेश राव केतकर

अ० भा० सह प्रचारक प्रमुख

।। श्रीः ।।

भारती भवन,

५८, राजेन्द्र नगर,

लखनऊ-२२६ ००४ (उ. प्र.)

माघ शु ८, रविवार

दिनांक : गोरखपुर, ६ फरवरी, २००३

संदेश

श्री देवनाथ सिंह जी,

सप्रेम नमस्कार

दिनांक ४ जनवरी २००३ का पत्र मिला। त्रैमासिक दो दिवसीय अधिवेशन दिनांक २, ३ मार्च २००३ का सम्पन्न हो रहा है। यह पढ़कर आनंद हुआ।

पूर्व नियोजित प्रवास क्रमके अनुसार उसी समय मैं नागपुर में हूँ।

परिणाम अधिवेशन में उपस्थित रहना संभव नहीं।

मेरे अनुपस्थिति के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। त्रैमासिक अधिवेशन कार्य को प्रेरणा देने वाला होगा यह विश्वास हैं

अधिवेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

शेष शुभ।

भवदीय

सुरेश

सुरेश

श्री देवनाथ सिंह जी

महामंत्री

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश

२, नवीन मार्केट

कानपुर - २०८ ००१ (उ० प्र०)

दूरभाष : ९१-११-६१०३४९५, ६१७८९९२
फैक्स : ९१-११-६१९५५२७
तार : हिन्दूधर्म
Phones : 91-11- 6103495, 6178992
Fax : 91-11-6195527
E-Mail : vhpnews@mantraonline.com
jaishriram@vsnl.in
Gram : 'HINDUDHARMA'

विश्व हिन्दू परिषद VISHVA HINDU PARISHAD

Registered under Societies Registration Act 1860 No. S 3106 of 1966-67 with Registrar of Societies, Delhi
संकट मोचन आश्रम, (हनुमान मन्दिर) सेक्टर-६, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली- ११० ०२२ (भारत)
SANKAT MOCHAN ASHRAM, RAMAKRISHNA PURAM-VI, NEW DELHI-110 022 (BHARAT)

वि.हि.प./१५बी/२००३ दिनांक : २७ जनवरी, २००३

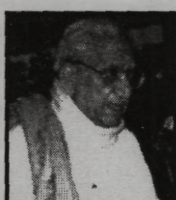

संदेश

बन्धुवर श्री देवनाथ सिंह जी

जय श्री राम।

मनीषियों ने श्रम के बारे में कहा है **"श्रमेव परमधर्म"** तथा **"श्रमेण कार्यम् सिद्धयते"**। इस प्रकार श्रमिक जहां कार्यलीन हो धर्म का अधिष्ठाता है, वहीं उसके द्वारा कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर राष्ट्र उन्नत और स्वाभिमानी देशों की श्रेणी में खड़ा होता हैं। यश अर्जित करता है।

भारतीय मजदूर संघ इसी प्रेरणा के अन्तर्गत श्रमिक वर्ग को समुन्नत, समृद्ध तथा आध्यात्मिक रूप से यशस्वी बना उसे राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने में एक श्लांघनीय कार्य कर रहा है।

प्रभु के श्री चरणों में विनम्र विनती है कि अधिवेशन के माध्यम से संघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हों।

भवदीय

अशोक सिंहल

(अशोक सिंहल)
कार्याध्यक्ष

श्री देवनाथ सिंह जी (महामंत्री)
भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश
२, नवीन मार्केट, कानपुर - २०८ ००१ (उ० प्र०)

ॐ

विश्व हिन्दू परिषद

तार : हिन्दूधर्म
दूरभाष : ६१७८६६२
६१०३४६५
फैक्स : ६१६५५२७

संकट मोचन आश्रम, (श्री हनुमान मन्दिर) रामकृष्णपुरम, सेक्टर-६,
नई दिल्ली-११००२२

वि.हि.प./१६-बी/२००३ दिनांक : १० फरवरी, २००३

संदेश

स्नेही श्री देवनाथ सिंह जी,

जय श्री राम!

आपका दिनांक ०४ जनवरी, २००३ का पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २६वां त्रैवार्षिक दो दिवसीय अधिवेशन दिनांक २ व ३ मार्च २००३ को सम्पन्न होने जा रहा है।

बीसवीं शताब्दी में मजदूर आन्दोलन एक वैश्विक विषय बन गया है, परन्तु साम्यवादी मजदूर आन्दोलन ने जीवन के अन्य पक्षों की उपेक्षा की। ऐसे समय में भारतीय मजदूर संघ ने भारत की परम्परा और संस्कृति के मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए मजदूर आन्दोलन को नया आयाम दिया। निश्चय ही इस प्रयास की सतत सफलता की कामना हम सभी करते हैं।

शेष शुभ।

भवदीय

डॉ० प्रवीणभाई तोगड़िया
महामंत्री

प्रति,

श्री देवनाथ सिंह जी
भारतीय मजदूर संघ कार्यालय,
नवीन मार्केट, कानपुर - २०८ ००१ (उ. प्र.)

दूरभाष - ०५२२-२२३६२१४
फैक्स - ०५२२-२२३६६१६

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

डी/२, पार्क रोड-६, लखनऊ

संदेश

प्रिय बन्धुवर,

शिव भूषण सिंह 'सलिल' जी

सादर नमस्कार !

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश अपने २६वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के उपलक्ष्य में ''श्रम आराधना'' स्मारिका को छाप रहा है।

वर्तमान समय में राष्ट्र, उद्योग एवं श्रमिक जिस विषम परिस्थितियों में है। उसका एक मात्र कारण विदेशी संस्कृति एवं कार्य पद्धति को स्वीकार करने वाले तथा कथित बामपंथी श्रमिक नेताओं के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना का न होना है।

इस स्थिति को देखकर भारतीय मजदूर संघ द्वारा मजदूर, श्रमिक क्षेत्र में सकारात्मक पहल से रचनात्मक दिशा प्राप्त होगी। इस दिशा में आप सबके द्वारा किया जा रहा प्रयास सार्थक होगा।

इसी शुभकामनाओं के साथ -

भवदीय

अधीश कुमार

(अधीश कुमार)
अ. भा. सह प्रचार प्रमुख

॥ ॐ ॥

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

पूर्वी उत्तर मध्य क्षेत्र

संघ कार्यालय : केशव भवन

84/113 कारवालो नगर, कानपुर दूरभाष : 0512-2521300, 2521301

संदेश

प्रिय बन्धुवर,

श्री शिव भूषण सिंह 'सलिल' जी

सादर नमस्कार।

मुझे ज्ञात हुआ है कि भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश अपने २९वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के उपलक्ष्य में "श्रम आराधना" स्मारिका का प्रकाशन करने जा रहा है। यह जानकर प्रसन्नता हुई।

इस अंक में जो पठनीय सामग्री आप देने जा रहे हैं उससे मजदूर संगठनों एवं समाज को प्रेरणा मिलेगी तथा उनके अन्तःकरण में राष्ट्र भावना का दीप प्रज्वलित होगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित -

अशोक कुमार बेरी

(अशोक जी बेरी)

क्षेत्र प्रचारक

पूर्वी उत्तर मध्य क्षेत्र

डॉ० साहिब सिंह
Dr. SAHIB SINGH

सत्यमेव जयते

श्रम मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110 001
MINISTER OF LABOUR
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI - 110 001

दिनांक : २३ जनवरी, २००३

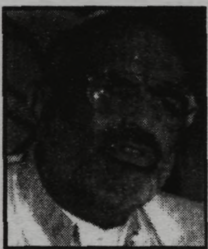

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसननता है कि भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश आगामी २ एवं ३ मार्च २००३ को अपने २६वें दो दिवसीय अधिवेशन के अवसर पर "श्रम आराधना" नाम स्मारिका का प्रकाशन करने जा रहा है। जिसमें मुख्यतया वर्तमान श्रमिक व राष्ट्रीय समस्याओं व उनके समाधान से संबंधित लेखों का समायोजन किया जायेगा। स्मारिका प्रकाशन के माध्यम से श्रमिकों की समस्याओं के समाधान करने का भारतीय मजदूर संघ का यह प्रयास निश्चय ही सराहनीय है।

उक्त स्मारिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं।

(साहिब सिंह)

श्री देवनाथ सिंह (महामंत्री)
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश
२, नवीन मार्केट, कानपुर - २०८ ००१, (उत्तर प्रदेश)

विजय गोयल
राज्य मंत्री
VIJAY GOEL
Minister of State

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री कार्यालय
नई दिल्ली - 110 011
PRIME MINISTER'S OFFICE
New Delhi - 110 011

DONO-215/MOS/PMO

दिनांक : २० जनवरी, २००३

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि **भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश** का **२६वां त्रैवार्षिक अधिवेशन** बरेली में आयोजित किया जा रहा है और इस अवसर पर **'श्रम आराधना'** नामक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों की भूमिका सराहनीय मानी हुई है। श्रम कल्याण के विभिन्न उपायों से श्रम को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा सकता हे। श्रमिकों को अधिकार के साथ कर्त्तव्य का आभास कराए जाने के काम के माहौल को सुचारू बनाने में सहायता मिलती है। मशीनीकरण के इस युग में श्रम की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता है।

अधिवेशन की सफलता और स्मारिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(विजय गोयल)

श्री देवनाथ सिंह (महामंत्री)
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश
२, नवीन मार्केट, कानपुर - २०८ ००१, (उत्तर प्रदेश)

केशरी नाथ त्रिपाठी

संख्या : /अ वि स/

विधान भवन
लखनऊ

दिनांक : १८ जनवरी, २००३

संदेश

मुझे यह जानकर अतीव हर्ष हुआ कि भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का २६वाँ त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन दिनांक २-३ मार्च २००३ को बरेली में किया जा रहा है।

इस अवसर पर प्रकाशित की जाने वाली स्मारिका 'श्रम आराधना' में वर्तमान श्रमिक व राष्ट्रीय समस्याओं व उनका समाधान कारक विचारोत्तेजक लेखों का प्रकाशन निश्चय ही श्रमिकों के लिये उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगा।

मैं उक्त अधिवेशन के सफल आयोजन तथा स्मारिका 'श्रम आराधना' के सार्थक प्रकाशन हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(केशरी नाथ त्रिपाठी)
अध्यक्ष, विधान सभा, उ. प्र.

श्री देवनाथ सिंह,
महामंत्री,
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश
२, नवीन मार्केट,
कानपुर - २०८ ००१, (उत्तर प्रदेश)

राम प्रकाश त्रिपाठी

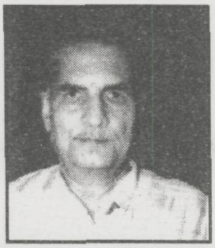

मंत्री
उत्तर प्रदेश

दूरभाष : कार्यालय : 2238124
फैक्स : 2238805
निवास : 2239829
फैक्स : 2237134

विधान भवन
लखनऊ
सहकारिता विभाग

सं०-४०७/वी०आई०पी०/२००३ दिनांक : लखनऊ, २५ फरवरी, २००३

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २६वाँ त्रैवार्षिक अधिवेशन दिनांक ०२ व ०३ मार्च, २००३ को सम्पन्न होने जा रहा है।

आशा है कि इस अवसर पर प्रकाशित होने वाली स्मारिका "श्रम-आराधना" जनोपयोगी होगी।

अधिवेशन की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएं

(राम प्रकाश त्रिपाठी)

श्री देवनाथ सिंह,
महामंत्री,
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश
२, नवीन मार्केट,
कानपुर - २०८ ००१, (उत्तर प्रदेश)

अजय राय
राज्य मंत्री, सहकारिता

मंत्री
उत्तर प्रदेश

कार्यालय : 2235447
दूरभाष : सी. एच. : 2233515
आवास : 2235100

६१, नवीन भवन,
लखनऊ

सं०-२६०/वी०आई०पी०/एस.एम./सह.२००२

दिनांक : ३ मार्च, २००३

संदेश

प्रिय महोदय,

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के २६वें त्रैमासिक अधिवेशन के दिनांक २ मार्च को उद्घाटन समारोह का आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

खेद है कि विधान सभा सत्र के दौरान अधिक व्यस्त होने के कारण मैं इस अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित न हो सकूँगा।

कृपया समारोह की सफलता की शुभकामनायें स्वीकार करें।

(अजय राय)
राज्य मंत्री सहकारिता

श्री रमाकान्त शुक्ल,
अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ उ. प्र.
२, नवीन मार्केट, कानपुर

श्रद्धाञ्जलि

कर्मयोगी का महाप्रयाण

६५ वर्षीय भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रान्तीय मंत्री एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री अम्बिका प्रसाद जी का गत २२ मार्च २००३ को प्रातः ७.१५ बजे लखनऊ मेडिकल कालेज अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। १२ अगस्त २००२ को कानपुर स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय के पास शिक्षक पार्क (नवीन मार्केट) के बाहर मरियमपुर अस्पताल की अनियंत्रित एम्बुलेन्स ने श्री अम्बिका जी को कुचल दिया था। कई महीने रीजेन्सी एवं मरियमपुर अस्पताल में चिकित्सा हेतु रहने के बाद उन्हें लखनऊ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था जहाँ उनका महाप्रयाण हो गया।

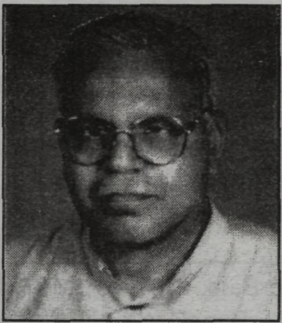

सुल्तानपुर जनपद के सराय अंचल गोलबारा में सन् १६३८ में जन्में अम्बिका जी की प्रारम्भिक शिक्षा गांव में ही हुई। बाद में डी.ए.वी. कालेज कानपुर से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् श्री अशोक सिंघल जी की प्रेरणा से १६६५ में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। उ. प्र. के विभिन्न जिलों में जिला प्रचारक रहे श्री अम्बिका जी को १६८८ में संघ की योजनानुसार भारतीय मजदूर संघ के कार्य का दायित्य सौंपा गया। मा. अम्बिका जी ने इलाहाबाद एवं कानपुर को केन्द्र बनाकर भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वाहन किया। वर्तमान समय में स्वास्थ्य को देखते हुए बरेली अधिवेशन में भा.म.सं. की प्रदेशीय कार्यकारिणी में सम्मानित सदस्य बनाया गया था।

रास्ते चलते अपरिचित व्यक्ति को अपना बनाने में निपुण कार्यकताओं की छोटी-छोटी समस्याओं की चिंता रखने वाले, स्पष्टवक्ता, छल कपट से दूर रहने वाले श्री अम्बिका प्रसाद सिंह को भारतीय मजदूर संघ परिवार अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ओ३म् शान्तिः! ओ३म् शान्ति!! ओ३म् शान्तिः!!!

राष्ट्र

"वस्तुतः समाज राजनैतिक ढाँचे से परे कुछ और है। समाज के अन्तर्गत वे सब सामाजिक संस्थाएं भी आती है, जहाँ और जिनके द्वारा वैयक्तिक जीवन प्रभावित होता है। जैसे परिवार, विद्यालय, मन्दिर, विधान-मण्डल, संसद व कार्यपालिका। इनमें से कोई संस्था शेष में से अलग रह कर निर्वाह नहीं कर सकती। ये सब और ऐसी ही अन्य संस्थाओं को मिलाकर एक जीवमान परिपूर्ण इकाई बनती है। जिसे 'राष्ट्र' कहा जाता है।

– भगिनी निवेदिता

तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित

With Best Compliments from :

GANNON DUNKERLEY & CO., LTD.

Merchants Engineers & Contractors

Regional Office : *EROS APARTMENTS (7th Floor) 56, Nehru Place, New Delhi - 110019*

GRAM : "SUBSTANCE"
PHONE : 26422747
26442846
26227597

CIVIL ENGG. DIVN.
E-mail : gannondl@giasdl01.vsnl.net.in
Fax. : 91-11-6471255

Registered Office : Chartered Bank Building, M.G. Road, Fort, Mumbai-400001
Branch Office at : Ahemdabad- Banglore-Culcutta-Coimbatore-Hyderabad-Madras

6002

With Best Compliments from :

SIMPLEX CONCRETE PILES (INDIA) LTD.

REGISTERED OFFICE
12/1 NELLIE SENGUPTA SARANI, CALCUTTA-700087, INDIA
PHONE: 033-2528371-72-73-74, FAX. : 033-24475945, 2447931
Website : www.simplexconcrete.com

BRANCHES

NEW DELHI
Vaikunth, 82-83, Nehru Place
New Delhi-110 019
Phone : 26432515, 26436818
Fax. : 011-26465869, 26227982

MUMBAI
Alankar Market, Plot No.-16
Sector-24, Turbhe, Navi
Mumbai-400 705
Ph.: 24938412, Fax. : 022-24961833

CHENNAI
2, Casa Major Road,
Egmore, Chennai- 600 008
Ph. : 28261666, 28261865
Fax. : 044-28262804

BE IT CONSTRUCTION OF SUPER THERMAL POWER PROJECTS, GAS BASED POWER PROJECTS, GIANT FERTILIZER PLANTS, PETRO-CHEMICAL COMPLEXES, REFRINERIES, MARINE STRUCTURES, HIGH SILOS AND TALL CHIMNEYS, COMPLEX UNDERGROUND STRUCTURES, WATER/EFFLUENT TREATMENT PLANTS, HOUSING, ROADS, BRIDGES & GLYOVERS, SPECIALIZED FOUNDATIONS INVOLVING VARIOUS TYPES OF PILES AND GROUND IMPROVEMENT, CROSS COUNTRY PIPELINES, SIMPLEX HANDLES IT ALL WITH THE DEXTERITY OF A LEADER PROVIDING THE ENTIRE GAMUT OF SPECIALISED SERVICES AND SOPHISTICATED TECHNIQUE

Site Office : Hindalco Project Division
P.O. Renukoot, Dist.-Sonebhadra-U.P. Pin.-231217

6003

संस्मरण यात्रा

- मा. दन्तोपंत जी ठेंगड़ी

आज सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में श्री दत्तात्रेय बापूराव (दत्तोपंत) ठेंगड़ी सर्व-परिचित व्यक्तितत्व हैं। अपने विस्तृत अनुभव, दूरदर्शिता, गहन-चिंतन एवं मजदूरों-किसानों तथा कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु जीवन समर्पण के कारण आपकी पहचान समाज के शिखर पुरुष के रूप में है। १० नवम्बर, १९२० को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आर्वी तालुका में जन्में श्री ठेंगड़ी जी अब तक १०० से अधिक पुस्तक-पुस्तिकाएं लिख चुके हैं। १५ वर्ष की आयु में स्वाधीनता संग्राम में शमिल होकर श्री ठेंगड़ी जी ने अपने जीवन की जो दिशा चुनी आज अनेकानेक मुकाम हासिल करने के उपरांत भी वे इसी किशोरवय ऊर्जा एवं लगन से उस लक्ष्य की ओर चलायमान हैं। १९४२ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनने के बाद से विभिन्न संगठनों में सक्रिय रहने एवं अनेकानेक महापुरुषों के सान्निध्य में कार्य करने के फलस्वरूप भी मा. ठेंगड़ी जी की जीवन यात्रा को अनुभवों की एक असीम श्रृंखला कहा जाए तो सर्वथा उचित होगा। विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े लोग, चाहे वे कम्युनिस्ट हों अथवा कांग्रेसजन, श्री ठेंगड़ी जी की साधना, सादगी और स्पष्टवादिता के कायल हैं और सभी देशवासी 'राष्ट्रऋषि' श्री ठेंगड़ी जी के समर्पित जीवन के प्रति अगाध श्रद्धा एवं सद्भाव रखते हैं।

जीवन यात्रा के आठ दशक से अधिक पूरे कर चुके इन कर्मठ विचारक का जीवन दर्शन सभी राष्ट्रभक्त लोगों के हेतु प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। ऐसे महापुरुष की जीवन यात्रा के कुछ संस्मरण, देश के नागरिकों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए उपलब्ध हो सकें, इस उद्देश्य से प्रयास किया है। पाठकों के लाभ हेतु 'संस्मरण यात्रा' के अंतर्गत प्रेरणादायी संस्मरणों का संकलन एवं प्रकाशन करने का प्रयास किया गया है। - सम्पादक

द्राविड़ी प्राणायाम-१

मैं इन्टक में था। उस समय पुराने मध्यप्रदेश के गृहमंत्री श्री द्वारका प्रसाद जी मिश्र के साथ घनिष्ठ संबंध थे। घर के बच्चे के समान। वैसे तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हिंदुत्व के बिंदु पर सहमत थे किन्तु नाराज इसलिए थे कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस के वालन्टियर के समान काम नहीं करते। उनके ही कारण मेरा इन्टक में प्रवेश हुआ। उनके बच्चे के समान मेरी आयु थी। मैं कभी भी उनके निवास पर जा सकता था और उनके पास पहुँच सकता था। एक दिन सुबह मैं उनके यहाँ गया। वे बाहर नहीं आए थे, टेबल पर नाश्ता लग रहा था तब तक मैं अखबार पढ़ने लगा। थोड़े ही समय में वे बाहर आए और मुझे नाश्ते के लिए टेबल पर बुला लिया।

बोलने लगे कहो भाई आज के समाचार पत्र पढ़े क्या? मैंने कहा हाँ पढ़े। कहने लगे, उसमें डॉ. डेकाटे द्वारा मेरे खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया है। मैंने कहा वह भी मैंने पढ़ा है। फिर उन्होंने हाथ के आर्विभाव द्वारा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आश्चर्य है। इतने दिन से राजनीति में है लेकिन राजनीति जानते नहीं। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है? वे कहने लगे ऐसा है कि राजनीति में किसी-न-किसी की टांग खींच कर उसको नीचे लाने का काम करना पड़ता है। किंतु इसके लिए सीधा सरल रास्ता छोड़कर लोग द्राविड़ी प्राणायाम करते हैं। उस व्यक्ति के खिलाफ भाषण देना, लेख लिखना, प्रचार करना, कानाफूसी करना आदि यह सब कार्य व्यर्थ है।

मैंने पूछा, सीधा प्राणायाम कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि इस तरह विरोधी प्रचार करने में समय और शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं। सरल मार्ग यह है कि

घर-घर धूम मचायेंगे - माल स्वदेशी लायेंगे।

RENUPOWER SYMBOLISES

- Leadership in Power Generation
- Maximum Availability
- Highest Plant Load Factor
- Planned Economic Working
- Safety of Plant and Personnel
- Productivity per Excellence
- Opportunity for National Service
- Job Satisfaction to all Employees
- Resource conservation
- Accredited with ISO-9002, ISO-14001

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

(RENUSAGAR POWER DIVISION)

WORKS :
P. O. : Renusagar - 231218
Distt. : Sonebhadra (U.P.)

REGD OFFICE :
Century Bhawan
Dr. Annie Besant Road
Mumbai - 400 025

PHONE : Anupara
(STD-05446)-272502-272504 (4 Lines)
277161-277163 (3 Lines)
FAX : (STD-05446) 272382, 277164
E-mail : hindal.rsgr@rmj.sprintinrpg.ems.vsnl.net.in
GRAM : Renupower, Renukoot

6005

पूर्वाग्रह न रखते हुए इस बात को अंदाज लेना कि उसकी वास्तविक योग्यता क्या है? यह अंदाजा लेते समय आपका मन पूर्वाग्रह दोष से मुक्त रहना चाहिए।

एक बार ठीक से उसकी योग्यता का आकलन कीजिए कि वह किस पोस्ट के योग्य है। उसके पश्चात् वह जिस पोस्ट के योग्य है उस पोस्ट से कई गुना ऊँची पोस्ट पर उसकी नियुक्ति कर दीजिए, उसको आनंद ही होगा। बड़ी खुशी से वह इस पोस्ट पर कार्य करने लगेगा। आप कुछ मत कीजिए, केवल तमाशा देखते रहिए। ढ़ाई-तीन साल के अंदर ही वह खुद ही आपने आप नीचे गिर जाएगा।

यह बात सुनकर मुझे लगा कि एक अभिनव दृष्टिकोण आज मैंने प्राप्त किया है।

द्राविड़ी प्राणायाम्-२

पं. द्वारका प्रसाद जी मिश्र जानते थे कि मैं संघ का प्रचारक हूँ। इसी कारण वे मानते थे कि मेरे साथ बात करने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं। इसका अपने साथ मतभेद हुआ तो भी यह विश्वासघात नहीं करेगा और कोई भी प्राईवेट बात प्रकट नहीं करेगा।

एक बार उन्होंने बताया। तुम्हारे संघ पर जो ban प्रतिबन्ध लगा था (गांधी जी की हत्या के बाद) उसकी अवधि एक वर्ष की थी। उसके पश्चात ban automatically खत्म हो जाता। फिर आप लोग शाखा लगा सकते थे। जवाहर लाल जी सब गृहमंत्रियों की सलाह लेना चाहते थे कि ban समाप्त होने दे या फिर से नोटीफिकेशन करके ban जारी रखे। मुझे भी सलाह के लिए बुलाया गया। मैं यह सोच कर ही गया कि इस बार पंडित जी को जानबूझ कर चिढ़ाना है। पंडित जी ने जैसे ही प्रश्न पूछा मैंने कहा, ''पंडित जी! आप हम लोगों की राय क्यों लेना चाहते हैं?आपने मनमें तो तय किया है कि RSS को बढ़ावा देना।'' पंडित जी गुस्सा हो गए और बोलने लगे, ''मैं RSS को बढ़ावा देना चाहता हूँ?मैं तो उसे खत्म करने के पक्ष में हूँ।'' मैंने कहा,''देखिए, आपने हजारों लोगों को कारावास में डाला। हजारों परिवार बर्बाद हो गए। ये सब लोग पहले से संघ के समर्थन में नहीं थे। प्रत्यक्ष संघ वालों की संख्या इतनी नहीं थी। आपके द्वारा ऐसे लोगों को जेल में डालने के कारण वे अब संघ के नजदीक हो गए और आपके खिलाफ। इस तरह आपने संघ को बढ़ावा ही दिया है।''

इस पर मेरे मन में एक बात आई। मैं पूछने वाला था। इतने में और लोग अंदर आ गए और हमारी बातचीत वहीं रुक गई।

पाँच-छह दिन के बाद मैंने मौका देखकर वह सवाल उठाया। मैंने कहा,''उस दिन आपकी बात अधूरी रह गई। मेरे मन में एक प्रश्न आया था। मैं पूछ नहीं सका।'' मिश्र जी ने कहा, ''तुम्हारा प्रश्न क्या था?'' मैंने कहा, ''किसी भी संस्था को खत्म करना हो तो जवाहरलाल जी ने जो रास्ता लिया वह छोड़ कर और क्या रास्ता हो सकता है?'' वे हंसने लगे और कहा कि यह रास्ता द्राविड़ी प्राणायाम के समान ही है।'' 'द्राविड़ी प्राणायाम' यह शब्द मैं मिश्र जी से दूसरी बार सुन रहा था। मैंने वही सवाल किया, यह द्राविड़ी प्राणायाम है तो सरल प्राणायाम क्या है?उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था को इसतरह कुचलने का प्रयास किया तो उनके कार्यकर्ताओं की जिद्द और बढ़ेगी और अन्य लोगों का समर्थन भी उसको मिलेगा।

रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जो मानस शास्त्र के अनुकूल हो। संस्था को कुचलने के बजाए ऐसी व्यवस्था करो जिसके कारण उस संस्था में comfort-loving cadres और status-conscious leaders का निर्माण हो। यह आसानी से हो सकता है। उस संस्था के कार्यकर्ताओं को ज्यादा सुविधाएं दो। धीरे-धीरे वे सुविधाभोगी बन जाएंगे। वैसे ही नेताओं को status-

भारत माँ की जय का मतलब, नर-नारी का अपमान न हो।

With Best Compliments from :

MODERN OVERSEAS

Kothi No. 1, Banna Devi, G. T. Road,
Aligarh - 202 001 (U.P.) India

Modern Lock Mfg. Co.

Ratan Lal Street, Madar Gate, Aligarh - 202 001 (U.P.) India
Voice : (O) 2409126, 2406967, 2420354 (R) 2502605, 2409288
Fax. : 0571-2405105, 2420154
E-mail : modlock@nde.vsnl.net.in

4702

शुभकामनाओं सहित

माहेश्वरी इन्टरप्राइजेज

C-24, इण्डस्ट्रियल स्टेट, अलीगढ़ - 202 001 (भारत)
फोन - 0571-2402841

4703

With Best Compliments from :

LOOK & TOOL INDIA

C-10, Industrial Estate, Aligarh-202 001
Ph. : 2402846, 2403827, 2408618

4701

conscious बनाना भी आसान है। उन्हें कहो, पार्टी में तुम्हारी कद्र नहीं हो रही। वास्तव में तुम्हारी ही योग्यता प्रेसिडेण्ट या जनरल सेक्रेटरी बनने की है। किसी को भी यह बताया कि पार्टी में सबसे कार्यवान व्यक्ति वह ही है, तो यह बात उसको जँच जाएगी। ये दोनों बातें आसानी से हो सकती है और फिर आप कुछ मत कीजिए। संस्था दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जाएगी।''

यह दृष्टिकोण भी मेरे लिए (ठेगड़ी जी) अभिनव ही था।

सन् १९७६ में आचार्य धर्माधिकारी जी से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि, ''सन् १९४७ में स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात काँग्रेस सत्ता में आई। उन्होंने सद्‌भावना से सोचा कि महात्मा जी के रचनात्मक कार्य में लगे हुए लोग भी अपने ही हैं। (उस समय 'सर्वोदय' संज्ञा नहीं निकली थी।) हम सत्ता में हैं तो उनकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हम लोगों को साधन-सुविधा देने का विचार किया। आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश जी, मैं (धर्माधिकारी जी), हम सबने सोचा कि हमने अपनी ओर से सुविधाओं की माँग नहीं की। तो भी सरकार यदि खुद पहल करके सुविधाएं देती है तो लेने में क्या हर्ज है?हमारे पास कर्मठ कार्यकर्ता हैं। साधनों के अभाव में उनके काम की गति धीमी हो जाती है। अब सुविधाएं मिलेंगी तो काम और तेजी से बढ़ेगा।

किंतु प्रत्यक्ष अनुभव दूसरा ही आया। उदाहरणार्थ, एक कर्मठ कार्यकर्ता को मोटर दी गई। कुछ दिन तक तो उसकी कर्मठ आदतें कायम रहीं। किंतु धीरे-धीरे वह मोटर का आदी हो गया। पहले उसे चार किलोमीटर दूरी पर किसी काम के लिए जाना होता और कोई वाहन वहां उपलब्ध नहीं होता तो वह चार किलोमीटर पैदल चल कर जाता था और काम पूरा करता था। अब मोटर की आदत लगने के बाद ऐसा होने लगा कि एक किलोमीटर दूरी पर ही कोई सभा है और उसी समय उसकी मोटर का टायर पंक्चर हो गया तो वह कहने लगा कि अब मैं सभा के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि टायर पंक्चर हुआ है। साधनों के कारण काम कितना बढ़ा इसमें संदेह है। किंतु हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं की कर्मठता नष्ट हुई यह निःसंदेह है। अब हम हमारी गलती महसूस करते हैं लेकिन अब देर हो गई।

'सखाराम, मेश्राम का दामाद'

विदर्भ के शेड्‌यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के प्रमुख नेताओं के साथ मेरे घनिष्ठ संबंध थे। उनमें से एक श्री सखाराम मेश्राम और मैं एक वर्ष दिनांक १४ अप्रैल को पूजनीय बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में (उनके जन्मदिन निमित्त) भाषण देने के लिए नागपुर से पुलगांव जा रहे थे। ट्रेन में मेश्राम ने कहा कि ''हम हमेशा एक-दूसरे के बारे में सभा में अच्छा बोलते हैं। किंतु मैं सोचता हूँ कि इस बार पुलगांव में हम एक-दूसरे के खिलाफ भाषण देंगे- मजा आएगा।'' पुलगांव मेरे गांव आर्वी से केवल २२ मील दूरी पर है और वहां के सब लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। सभा में मंच पर हम दो ही बैठे थे। श्री मेश्राम और मैं। अध्यक्ष के नाते श्री मेश्राम ने प्रास्ताविक में उच्चवर्णियों पर, खासकर ब्राह्मणों पर जोर देकर टीका की और बोलते समय उन्होंने धर्मशास्त्रों से कई श्लोक उद्‌घृत किए। श्री मेश्राम संस्कृत के विद्वान थे।

पुलगांव के लोग जानते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। इस कारण उन्हें आनन्द आया। इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ उसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा हो रही थी।

भाषण के प्रारंभ में १५-२० मिनट में केवल पूजनीय बाबा साहेब के जीवन के बारे में बोला। क्योंकि उनका जन्मदिन मनाने के लिए सभा भी। उसके पश्चात श्री मेश्राम के भाषण का उल्लेख करते हुए मैंने कहा कि शास्त्र के अनुसार वर्ण गुणकर्म विभागशः होते हैं। इसी आधार पर क्षत्रिय विश्वमित्र राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो सके। पूज्य अंबेडकर जी का जन्म महार परिवार में हुआ। उनका

उठो जागो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।

With Best Compliments from :

Bhilai Engineering Corporation Limited

Works & Regd. Office :
HANTHKHOJ INDUSTRIAL AREA
BHILAI-490026 (CHHATTISGARH)
Ph. : ++91-788228-5001, 5002, 5003, 5004, 5005, Fax.:++91-7882881140, 2381141
E-mail : becltd@bom6,vsnl.net.in • Website : www.bec.group.com

Please Reply to :
POST BOX NO. - 31, BHILAI-490 001
(CHHATTISGARH) INDIA

Receiptant of ISO-9002 Engaged in Import Substitution of Machinery Earlier Being Imported Specialised in High Grade Iron Castings upto 30 ton Single piece and SG Iron Casting upto 8 ton Single Piece. Presently doing a challenging job of erection of Bucyrus/BE MLW-2000-24/96 walking dragline at Singrauli area on behalf of Bharat Earth Movers Ltd. for Northern Coal Field Ltd. a subsidary of Coal India Ltd.

BRANCH OFFICE :

CALCUTTA : (Phone : 033=2827606, 2823372 Fax. : 033-2827061)
MUMBAI : (Phone : 022-2043647, 2871724, 2844208, Fax : 022-2873611
NEW DELHI : (Phone : 011-26217142, 26127150, 26434987, 26468857, Fax. : 011-26445819, 26419076)
CHENNAI : (Phone : 044-2302040, Fax. : 044-2301703)

6004

प्रथम विवाह भी महार जाति में ही हुआ। दुर्भाग्य से सौ. रमाबाई की अकाल मृत्यु हुई। किंतु जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने ब्राह्मण स्त्री से विवाह किया और ब्राह्मण जाति ने भी उनको आनंद से अपनी लड़की दी। कारण जीवनभर की तपश्चर्या के कारण वे भी गुणकर्म विभागशः ब्राह्मण हो गए थे। आपने अभी सखाराम मेश्राम का भाषण सुना। उन्होंने धर्मशास्त्रों से कितने श्लोक उद्धृत किए। मैंने भी धर्मशास्त्र का इतना अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मैं गुणकर्म विभागशः श्री मेश्राम को ब्राह्मण ही मानता हूँ। कोई कहेगा कि यह केवल बोलने की बात है। वैसा नहीं। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि मैं अबतक अविवाहित हूँ और सखाराम मेश्राम की लड़की के साथ ही विवाह करूँगा। (वे मुझसे उम्र में बड़े थे) इस घोषणा पर सभी ने तालियाँ बजाईं। मैं जानता था कि सखाराम को कन्या नहीं है। मेरे पश्चात समारोप के भाषण में मेश्राम ने कहा कि ठेंगड़ी जी ने जो ऑफर की है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। किंतु उनको यह बताने में मुझे दुख होता है कि मुझे लड़की नहीं है। तो भी ठेंगड़ी जी को निराश नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि से मैं कोशिश जारी रखूँगा।''

यह सारा वृत्त पूजनीय श्री गुरूजी के पास पहुँचा। तब से श्री गुरूजी मुझे मजाक में 'सखाराम मेश्राम का जामाता' कहने लगे।

उपेक्षा से बढ़ेगी संस्था

धर्मान्तरण के एक दिन पूर्व नागपुर के श्याम होटल में पूजनीय बाबासाहेब अंबेडकर दिनभर विदर्भ के अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। सन् १९५२ से ही उनको लगने लगा था कि अब ज्यादा दिन वे जीवित नहीं रहेंगे। इस कारण अपने सारे विचार अपने अनुयायियों के सामने रखने की उनकी इच्छा थी।

''बातचीत में एक वृद्ध अनुयायी ने प्रश्न किया ''बाबा साहेब! मैंने अपने जीवनकाल में कई संस्थाओं का निर्माण होते हुए देखा। ये संस्थाएं कुछसमय तक बड़ी होती गई और बाद में घटती गई। कुछ तो नष्ट ही हो गई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है- संस्थाएं बढ़ती क्यों हैं और घटती क्यों हैं।''

बाबा साहेब ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूँ? उत्तर तो २४०० साल पूर्व स्वयं भगवान बुद्ध ने ही दिया है। उन्होंने कहा है कि जहाँ 'उपेक्षा' है वहाँ काम बढ़ते जाना है और जहाँ 'उपेक्षा' नहीं है वहाँ काम घटते जाना है।

वास्तव में उपेक्षा याने उदासीनता। इस कारण हम सब लोगों को लगा कि यह शायद बाबा साहेब की slip of tongue है। बाबा साहेब यह समझ रहे थे। उन्होंने हंस कर कहा, तुम लोग समझतेहोंगे कि यह slip of tongue है। किंतु ऐसा नही है। यहाँ भगवान ने 'उपेक्षा' शब्द का प्रयोग technical अर्थ में किया है। कोई संस्था या कार्य आरंभ होता है उस समय किसी का भी उधर ध्यान नहीं जाता। लोग उसके प्रति उदासीन रहते हैं तो भी थोड़े लोग उस काम को करते ही जाते हैं। इस कारण काम थोड़ा बढ़ता है, तो उसकी दखल लेना लोगों के लिए बाध्य हो जाता है। वे उस स्थिति में कार्यक्रम का उपहास मात्र करते हैं। उपहास के कारण कई कार्यकर्ता काम छोड़ देते हैं तो भी बाकी कार्यकर्ता निश्चय के साथ काम को आगे बढ़ाते हैं। काम और बढ़ता है तो बाहर से विरोध प्रारंभ होता है। विरोध के बावजूद ये लोग काम करते रहते हैं। इसके कारण वे विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और यश का प्रसार होता है।

यह समय है जब कार्यकर्ताओं के मानसिक परिवर्तन की संभावना का निर्माण होता है। जिन्होंने त्यागपूर्वक, बड़े कष्ट सहते हुए लगातार काम किया उनके मन में भावना आती है कि काम के बढ़ने में मेरा कितना हिस्सा है, मेरा कितना श्रेय है, यह प्रकाशित किया जाए। यह crisis of credit sharing है। इसमें सभी लोग अपना-अपना

वह देश नही अच्छा, जिसमे होता अपमान पसीने का।

Where there's energy, there's HP

Powering marine engines, propelling airplanes, energizing industries, mechanizing agriculture igniting stoves, lighting lanterns ... HP is synonymous with energy in India.

For the last 25 years and more, Hindustan Petroleum has meant different things to different people. For some it represents an abundant supply of Petrol & Diesel. For others it stands for the easy availability of LPG and lubricants. Thousands of others see in it an *inexhaustible* reservoir of Kerosene and other petroleum products for meeting their energy needs. For all of them HP signifies an ever-radiant source of energy. Energy that is making a big difference to millions of lives. In the new millennium HP is all set to unveil an exciting new phase in its growth. Diversifying into Oil Exploration and Production, Power Generation, *Renewable Energy ventures* and much more. Confident of creating a future full of energy. Confident of enriching the lives of millions.

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम

HP

Future full of energy

• PETROL • DIESEL • LPG • KEROSENE • AVIATION FUEL • NAPHTHA • FURNACE OIL • BITUMEN
• LOW SULPHUR HEAVY STOCK • LUBES & GREASES • SOLVENTS • INDUSTRIAL SPECIALTIES

6201

credit और श्रेय कितना है, यह दिखाने की होड़ में लग जाते हैं। ऐसे समय मूल प्रवर्तक कार्यकर्ता credit sharing की यदि उपेक्षा करते हैं तो काम आगे बढ़ता है और ये मूल प्रवर्तक कार्यकर्ता यदि credit-sharing की स्पर्धा में दौड़ने लगते हैं - उपेक्षा नहीं करते - तो काम घटने लगता है। इस Technical अर्थ में भगवान बुद्ध ने "उपेक्षा शब्द का यहाँ प्रयोग किया है।"

गांधी जी का तम्बू

सन् १९३४ दिसम्बर में वर्धा में गांधी आश्रम के सामने ही वर्धा जिले का संघ का शिविर था। मुझे भी उसमें रहने का सौभाग्य मिला। उस शिविर में महात्मा जी के आने के पश्चात् जो बात हुई वह सर्वविदित है। किंतु एक महत्वपूर्ण बात सर्वविदित नहीं है।

शिविर का उद्घाटन सर मोरोपंत जोशी ने किया था। शिविर के लिए जगह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष श्री जमनालाल बजाज ने दी थी। वह जगह गांधी आश्रम से लगी हुई थी। उद्घाटन के समय जमनालाल जी वर्धा में नहीं थे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जानकी देवी बजाज उद्घाटन के लिए उपस्थित थी और मंच पर ही थी। उद्घाटन सभाप्त होने के पश्चात सब लोग मंच के नीचे आए। श्रीमती जानकी देवी बजाज ने मा. अप्पाजी जोशी को पूछा कि क्या हम आपकी कुछ और सहायता कर सकते हैं?मा. अप्पाजी ने कहा कि आपकी ही सहायता से तो यह शिविर खड़ा हुआ है। श्रीमती जानकी देवी ने कहा कि यह तो ठीक है किंतु और भी कुछ सहायता की आवश्यकता हो तो निःसंकोच बताइए। इस पर मा. अप्पाजी आधा मिनट चुप रहे और फिर कहा कि एक बात मन में है किंतु यह बोलना कहाँ तक उचित होगा, मैं नहीं जानता। श्रीमती जानकी देवी ने कहा, आप संकोच मत कीजिए जो मन में है, वह बताइए। मा.अप्पाजी ने कहा कि कल हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी यहाँ आने वाले हैं। उनसे मिलने के लिए बहुत लोग आएंगे। सबके साथ डॉक्टर जी को कहाँ बैठाना , यह प्रश्न हमारे सामने है क्योंकि शिविर में उसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। मुझे लगा कि आपके आश्रम में महात्मा जी के लिए एक बड़ा तम्बू है जिसमें बैठकर महात्मा जी आने वाले लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वह तम्बू दो दिन के लिए हमें मिलेगा तो सुविधा होगी। श्रीमती जानकी देवी ने कहा कि मैं गांधीजी से पूछती हूँ। ऐसा बताया गया कि गांधीजी ने कहा कि दो-दिन की बात है, हम अपने हॉल में ही बैठ सकते हैं। डा. हेडगेवार जी के लिए आवश्यक है तो यह तम्बू भेज दिया जाए। उसी दिन शाम को गांधीजी के कहने पर श्रीमती जानकी देवी बजाज ने गांधीजी का तम्बू डाक्टर जी के लिए संघशिविर में भेज दिया।

बंदा बैरागी का समाजवाद

एक बार श्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ने मुझे कहा, "मैं संघ को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपके कार्यक्रम भी मैं देखते रहता हूँ। आपके बौद्धिक वर्ग के कई रिपोर्ट भी मैंने पढ़े हैं। आपका सिद्धांत ठीक है। किंतु इस सिद्धांत को आधुनिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आप लोग ठीक ढंग से क्यों नहीं रखते?" मैंने कहा, "ठीक ढंग से रखने का प्रयास तो रहता ही है। मैं आपकी बात नहीं समझ सका।" श्री ढिल्लो ने कहा, "देखो! उदाहरण के लिए बताता हूँ। आपके बौद्धिक में फतेहसिंह - जोरावर सिंह के आत्मबलिदान का विवरण किया जाता है। यह ठीक है। यह बताना ही चाहिए। किंतु साथ-साथ यह बात भी क्यों नहीं बताते कि यूरोप में जिस समय सोश्यलिज्म की संकल्पना का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय हमारे पंजाब में बंदा बैरागी ने भूमिहीन मजदूरों में जमीन का पुनर्वितरण किया था। He redistributed land among landless labourers। यह बताने से प्रभाव अधिक होगा।"

वास्तव में, मैं इस बात को जानता ही नहीं था।

भारत की धरती पुण्य भूमि, है मुकुट त्यागने वालों की।

With Best Compliments from :

JITENDRA UDYOG

Manufacturer of :
All Kinds of Quality Locks

कोणार्क तालों के निर्माता

86, Durga Puri, (Patel Nagar) Aligarh - 202 001
Ph. : 2410940, 2410950, 2410960

4716

मार्क्सवाद में वेदान्त

सी.पी.आई की किसान सभा के उस समय कें जनरल सक्रेटरी श्री भोगेन्द्र झा ने मुझे कहा,"आप अपनी बात अच्छे ढंग से क्यों नहीं रखते?मैं जानता था कि भोगेन्द्र झा ने हमारे शास्त्रों का अध्ययन मुझसे अधिक किया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म के basic tenets में भी प्रमुख dialecticism है। आप यह क्यों नहीं बताते कि मार्क्स के dialecticism से हिंदू dialecticism अधिक शास्त्रीय है। मार्क्स का dialecticism तीन stages में है जबकि हिंदू dialecticism चार stages में है।"

इसके कुछ महीने बाद अपने दामाद श्री देशपांडे की पुस्तक की प्रस्तावना लिखते समय श्री श्रीपाद अमृत डांगे ने लिखा कि dialecticism से लेकर मार्क्सिज्म के कई basic tenets- they can be traced to vedanta.

राष्ट्रीय श्रम दिवस

भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रीय श्रम दिवस के नाते परंपरागत विश्वकर्मा दिवस मनाने का निर्णय किया। दिल्ली में १९६७ में एन.डी.एम.सी में यह उत्सव मनाया गया। प्रमुख अतिथि के नाते श्री हनुमंथैया ही थे। वे उस समय केन्द्रीय मंत्री थे। वक्ता के नाते मैंने प्रास्ताविक किया। उसमें यह बताया कि विश्वकर्मा दिवस ही राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसलिए १ मई को उत्सव न मनाते हुए हम विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। इसके बाद आज की पद्धति के अनुसार हमने मांग की कि भारत सरकार को विश्वकर्मा दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करनी चाहिए।

मेरे पश्चात भाषण करते हुए श्री हनुमंथैया जी ने कहा कि विश्वकर्मा दिवस को राष्ट्रीय दिवस मानना यह मुझे स्वीकार है। किंतु ठेंगड़ी जी का भाषण सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे बताया गया था कि ठेंगड़ी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। इसलिए उनके विचार भी हिंदू संस्कृति के अनुकूल होंगे, ऐसा मैं मानता था किंतु अपने भाषण में ठेंगड़ी जी ने कहा कि विश्वकर्मा दिवस को राष्ट्रीय दिवस के नाते भारत सरकार को मान्यता देनी चाहिए और उस दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ यह बात अपनी परंपरा के अनुकूल है क्या?किसी भी दिवस का महत्व सरकारी मान्यता पर है ऐसा हम मानते हैं क्या?हम शताब्दियों से विजयादशमी, वसंतोत्सव आदि मनाते आ रहे हैं। यह किसी सरकारी नोटिफिकेशन के कारण है क्या?कुंभ मेला में लाखों लोग आते हैं। क्या वे सरकारी नोटिफिकेशन के कारण आते हैं?सच्चाई इसकी विपरीत है। सरकार ने २६ जनवरी, १५ अगस्त और २ अक्टूबर को अधिकृत रूप से मान्यता दी और उन दिनों सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की। क्या इन तीनों दिन जनता उत्साह पूर्वक उत्सव मनाती है?तो सरकार से मान्यता मांगना हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। मान्यता परंपरा की चाहिए, जनता की चाहिए।

उनका भाषण सुनकर हमने जो बात आज के श्रमक्षेत्र की पद्धति के अनुसार कही थी उसको दोहराना बंद किया।

आत्म चरित्र क्यों?

आपातकाल में मुझे लोक संघर्ष समिति के सचिव के नाते विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से मिलना पड़ता था। अवश्य ये भेंटें गुप्त रूप से ही की जाती थी। इसी प्रयास के अंतर्गत संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता से बार-बार मिलना पड़ता था। हर मुलाकात के समय वे निकट भूतकाल की राजनैतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते थे, जिससे मैं तब तक अनभिज्ञ होता था। उनकी बातें सुनने के बाद एक बार मैंने उनसे कहा, "मेहता जी, आप आत्म-चरित्र लिखिए; क्योंकि ये सारी बातें जन-साधारण के पास पहुँचना आवश्यक हैं। जनता, इन महत्वपूर्ण बातों को जानती ही नहीं।"

मेरे यह बोलने के बाद, वे चौंक कर मेरी तरफ देखने

हमारा राष्ट्रीय श्रम दिवस - विश्वकर्मा जयन्ती।

With Best Compliments from :

LAXMI®

Laxmi Locks

Manufacturer & Suppliers of Builders Hardware

4/3, Johnson Compound, Jail Road, ALIGARH - 202 001
Phone : 0571-2504520, 2409837, Fax. : 91-571-2502651

4711

With Best Compliments from :

ASHA INDIA

5/498-A, Shakri Nagar, Gultar Road, Aligarh-202 001
Ph. : (O) 0571-2520418, 2510416 (R) 0571-2403932, 2406844

4706

With Best Compliments from :

Shri Balaji Engineering Works

Mfrs. & Exporter : Power Presses, Knuckle Joint, Shearing Machines & Press Brake

B. O. : J-8, Sec.-41, Noida-201304 Te. : (Fax.) : 91-457451

***Works :** D-83, Industrial Estate Aligarh-202 001 (India)*
***Tel. :** (Fax.) : 91-571-402025, 502609 Cable : Kamleshwar*
***E-mail :** balaji@shribalaji pressers.com , **Website :** www.shribalaji presses.com*

4708

With Best Compliments from :

Mascot Metal Manufacturer

(A Govt. of India recognised Export House)
15-D, Samad Road, Aligarh-202001 (India)
Manufacturers & Exporters of : Brass, Iron & Aluminium, Architectural Fitting & Handicrafts
Factory : D-11 (A) Industrial Estate, Aligarh-202 001
Phone : 91-571-2401305, 2403869, 2402008, **Fax. :** 91-571-2400589, 2403869
E-mail : cara@vsnl.net, **Visit at :** www.mascotmetal.com
Mobile : 91-98370-25502

4709

लगे। उन्होंने पूछा, क्यों भाई तुम आर एस एस के प्रचारक हो ना। मैंने हाँ कहा। उन्होंने कहा, आत्मचरित्र लिखना, यह परंपरा के अनुकूल है क्या?आत्मचरित्र को छोड़ो, किंतु चरित्र भी वेदों की ऋचाओं के दृष्टाओं का उपलब्ध नहीं है। इतनी ऋचाएं हैं। एक भी ऋचा के दृष्टा का चरित्र भी उपलब्ध नहीं है। उपनिषदकारों के चरित्र उपलब्ध हैं क्या?वास्तव में हमारी परंपरा यह है कि स्वयं आत्मविकास करना, आत्मविकास का श्रेष्ठ फल समाज के चरणों में अर्पण करना और धरती से निकल जाना। यह हमारी परंपरा है। तुम आर एस एस के प्रचारक होते हुए भी ऐसी बात कर रहे हो, यह आश्चर्य है।

श्री अशोक मेहता जी से यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। यह सारी बातें हमने परम पूजनीय श्री गुरूजी से सुनी थीं किंतु श्री अशोक मेहता एक प्रगतिशील समाजवादी होने के कारण यह बात कहेंगे, ऐसी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था।

कम्यून नहीं फिर भी कम्युनिस्ट

१९८५ में भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि मण्डल चीन गया। उसमं ५ लोग थे। जैसे ही हम बीजिंग के हवाई अड्डे पर उतरे, वैसे ही 'चाईनीज फेडरेशन ऑफ लेबर' के पदाधिकारियों ने हमारा स्वागत किया और पूछा कि इस दौरे में आप कौन सा दुभाषिया पंसद करेंगे'; हिन्दी या अंग्रेजी?हमने कहा - हिन्दी। उनको आश्र्चय और आन्नद हुआ। उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान से कई प्रतिनिधि मण्डल आते हैं और वे अंग्रेजी दुभाषिए की ही मांग करते हैं। आपका पहला प्रतिनिधि मण्डल है जो हिन्दी दुभाषिए की मांग कर रहा है। इसलिए हम आपका अभिनन्दन करते हैं। दुभाषिए के नाते हमारे साथ लीशिंग को दिया गया। किंतु ३-४ दिन के बाद हमें प्रतीत होने लगा कि हिन्दी दुभाषिए की मांग करना शायद हमारी गलती थी; क्योंकि लीशिंग का हिन्दी का ज्ञान हम लोगों से ज्यादा था। शब्दों का उच्चारण ठेठ वाराणसी का था और हम जब बात कहते थे, तब हम कई बार हिन्दी की बजाय उर्दू या अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे। यह बात उसको खटकती थी। वह आश्चर्य व्यक्त करता था कि आप सरल हिन्दी में क्यों नहीं बोल सकते। वह अच्छी हिन्दी बोलता था। उदाहरण के लिये उसको किसी घटना के बारे में प्रश्न पूछा तो वह कहता था इसके विषय में मैं आपको कल रहस्यस्फुट करूँगा। इतनी अच्छी भाषा हम नहीं बोल सकते थे।

भारतीय मजदूर संघ के विवेक के विषय में चीनी प्रतिनिधियों को पूरी और अद्यावत जानकारी थी। हम एक कारखाने का निरीक्षण कर रहे थे। एक जगह हमने एक साइनबोर्ड देखा, वह चीनी भाषा में था। हमने पूछा कि इसमें क्या लिखा है ?उन्होंने बताया कि वही, जो आप भारतीय मजदूर संघ में कहते हैं - वर्क्स इंस्ट्रेस्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल इंट्रेस्ट।

उनके पदाधिकारियों ने यह कहा कि बीएमएस की सूत्रत्रयी उन्हें पंसद है। नेशनलाइज्ड द लेबर, लिबराइज्ड द इंडस्ट्री एण्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड द नेशन' यह बात हम अच्छी मानते है; किन्तु इस समय जनमानस में यह डालना कठिन है क्योंकि अब तक हम लोगों को दूसरी तरह की बातें बता रहे थे। आप राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। यह बात भी हमें अच्छी लगती है। हम भी चीन में इसी तरह का राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रारंभ करना चाहते हैं; किन्तु अब तक मई दिवस को ही प्रचलित करने के कारण यह नई बात किस तरह ढंग से लोगों को बताना, यह प्रश्न हमारे सामने है।

चीन में एक भी कम्यून अस्तित्व में नहीं था; फिर भी राज्य के नाम में आपने कम्यूनिस्ट शब्द क्यों रखा ? यह प्रश्न हमने किया। उन्होंने बताया कि हम मार्क्सिज्म कम्यूनिज्म को कालबाह्य मानते हैं; किंतु उसको मानने वाले देश में कितने हैं, इसका हमें पता नहीं। माओत्से तुंग

भारत माता की जय बोलो तो भारत की पहचान बनो।

शुभकामनाओं सहित :-

एन.ई.रेलवे इम्पलाइज मल्टी स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि०, गोरखपुर

पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा को-आपरेटिव बैंक

अंशधारकों (सदस्यों) को रु० ४०,०००/- (चालीस हजार) तक की ऋण सुविधा उपलब्ध

बैंक का प्रगति विवरण (रकम लाख में)

कार्यकारी पूंजी - लगभग ३७ करोड़ रु०

जमा राशि - लगभग २२ करोड़ रुपये

विवरण/वर्ष	१६६३-६४	१६६६-६७	१६६६-२०००	२०००-२००१
अंशों से प्राप्त सूची	३६४.३८	४६२.६८	५८५.१२	६६६.११
सुरक्षित कोष	६८.३७	१०६.०२	१५४.०२	१५४.०२
अन्य कोष	५६.६०	६४.३६	६१.५६	६४.६६
निजी पूंजी	४७६.११	५६०.६८	८००.७३	८८२.७५
निक्षेप (जमा)	१३१६.५३	१७४४.४१	१६८४.६६	२१८७.४१
भुगतान हुआ ऋण	१२८३.६८	१५५५.३६	२०१६.५०	३०१६.७४
वसूल हुआ ऋण	१२३७.४५	१५७४.७०	१६६५.४५	२४७६.५६
बैंक की जमा पूंजी	४४३.६६	७८६.४०	१७०६.६५	१२१५.८३
कार्यरत पूंजी	१८५५.७१	२३६८.४४	३२८०.५८	३६७२.३०
लाभ	४६.६८	६१.३८	५४.८६	५५.०२
सदस्य संख्या	६७४१३	६६६६०	६८५६७	६६५०३
बचत खाता संख्या	११105	११८२८	१६६६७	१७८४०

कमरूद्दीन
अध्यक्ष

बृजेश कुमार सिंह
उपाध्यक्ष

प्रहलाद सिंह
सचिव

संचालक मण्डल के सदस्यगण - सर्वश्री कृष्ण नन्द चौबे, आशुतोष नारायण द्विवेदी, उमेश सिंह, कृष्णा सिंह, आसिफ सुल्तान, महेन्द्र प्रसाद ओझा, संतोष कुमार पाण्डेय, जय शंकर सिंह, राम शेर सिंह

2306

की पत्नी और उनकी गैंग ऑफ फोर इस समय जेल में हैं। किंतु उनको मानने वाले कितने हैं, यह हम नहीं जानते। हमने राज्य के नाम से कम्युनिस्ट शब्द हटाया तो उसी का मुद्दा बनाकर हमारे खिलाफ बवंडर खड़ा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जनता में से कितने लोग हमारे साथ रहेंगे और कितने उनके साथ, यह हम नहीं जानते। इसलिए हम खतरा मोल नहीं लेना चाहते।

तीसरा मार्ग

एक बार लंच के समय उनके उपाध्यक्ष ने पूछा आपने बीएमएस के हैदराबाद अधिवेशन में एक बात कही थी। आपने कहा था कि ''आईसीएफटीओ और डब्ल्यूएफटीओ ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दो पॉवर ब्लॉक्स के अंतर्गत हैं। इसलिए हम दोनों में से किसी में भी सम्मिलित नहीं होना चाहते; किंतु मुझे उम्मीद है कि अगले दशक में इन दोनों को छोड़कर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन खड़ा हो सकेगा। हम भी उस दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे।'' यह बात सही थी कि मैंने हैदराबाद अधिवेशन में यह बात कही थी; किंतु भारत में इस बात को गंभीरता में किसी ने लिया या नहीं। इसका पता नहीं चीनी लोगों ने इसको गंभीरता से लिया था, ऐसा लगा। क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने यह बात कही कि आप अपनी डायरी में यह नोट कर लीजिए कि जिस तरह बीएमएस दोनों अंतर्राष्ट्रीय पॉवर ब्लॉक्स से दूर हैं, वैसे ही चाईनिज फेडरेशन ऑफ लेबर भी दूर रहेगा; दोनों में से किसी से संलग्न नहीं। यह बात आप नोट कर लीजिए।

विदाई संदेश

वहाँ से वापस आते समय उन्होंने विदाई का संदेश भाषण के रूप में माँगा था। यह भाषण हिन्दी में था। दिनांक २८ अप्रैल १९८५ को वीजिंग रेडियो से चीनी अनुवाद के साथ यह प्रसारित किया गया। हमें संदेह था कि भाषण में कुछ तोड़-मरोड़ किया जाएगा - लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा था वैसा भाषण प्रसारित हुआ।

अमेरिका और रोम

१९७९ में अमेरिका ने विदेश-विभाग की ओर से मुझे बुलाया था। एक महीना उनकी ओर से दौरा किया और एक महीना संघ की ओर से दौरा किया। उस समय के उनके अध्यक्ष John Menee मृत्युशैय्या पर थे। उनके जामाता कर्कलैण्ड, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के महासचिव थे।

किसी भी संस्था में यदि अमेरिका तथा कनाडा के सदस्य है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कहने की वहाँ पद्धति है। मैं उनके महासंघ के अधिवेशन को देखना चाहता था। सरकारी कर्मचारियों के महासंघ का अधिवेशन था। उसमें मुझे निमंत्रित किया गया। यह देशकर मुझे आश्चर्य हुआ कि पदाधिकारियों के चुनाव के बाद हर पदाधिकारी को बाइबिल पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि मैं अपने पद का कार्य प्रमाणिकता से करूँगा। सम्मेलन समाप्त होने के पश्चात् हमें चाय के लिए बुलाया गया। कर्कलैण्ड के साथ चाय-पान था। उस समय बोलते-बोलते मैंने कहा कि इस दौरे में, मैं अमेरिका की संपन्नता के कारण बहुत प्रभावित हुआ हूँ, किंतु क्या है, पता नहीं कि सारे दृश्य में मुझे लगता है कि समथिंग इज मिसिंग और यह सम्पन्नता कितने साल रहेगी?इसका संदेह मेरे मन में हुआ है। कर्कलैण्ड ने कहा, आपका कहना सच है। हमारी सम्पन्नता वैसी ही है, जैसी रोमन साम्राज्य के अंतिम दिनों में रोम की थी। यह सुनकर मुझे बहुत आनन्द हुआ; क्योंकि इसके एक महीना पहले न्यूयार्क में डॉ० मुकुन्द मोदी के यहाँ अमेरिका तथा कनाडा के प्रमुख ३२ स्वयंसेवकों की एक बैठक हुई थी। उसमें मैंने कहा था कि अमेरिका की आज की समृद्धि के कारण चकाचौंध होने की आवश्यकता नही। यह दिखने वाली समृद्धि वैसी ही है, जैसी रोमन साम्राज्य के अंतिम दिनों में रोम की समृद्धि थी।

स्वावलम्बन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष।

शुभकामनाओं सहित –

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड

(शुगर डिविजन)

ग्राम–औरंगाबाद,

तहसील–नवाबगंज,

बरेली (उ० प्र०)

उत्कृष्ट एवं दानेदार
चीनी के विक्रेता

4205

दोनों में इसी उपमा का प्रयोग किया, यह उल्लेखनीय बात थी।

राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक

सन् १९६८ में भारतीय संसद का प्रतिनिधि मंडल सोवियत संघ गया था, उसका मैं सदस्य था। श्रीमान संजीव रेड्डी उसके प्रमुख थे। उस दौरे में हमारे एस्कोर्ट लेनिन ग्रादसे पूरी टीम को स्टीमर से पेट्रोग्राड ले गए। पेट्रोग्राड सर्दियों में जार की राजधानी रहती थी। वहाँ जार का बड़ा पैलेस है। सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शनीय है। वहाँ यह देखकर हमें आश्चर्य हुआ कि ग्रीक देवताओं के वहाँ के बगीचे में सिरे से बनाए गए हैं। हमने पूछा, 'ये किस के पुतले हैं?'' उत्तर मिला 'ग्रीक देवताओं के, जैसे जूपिटर, वीनस आदि। हम लोगों ने पूछा, ''आप कम्युनिस्ट देवताओं पर विश्वास नहीं रखते फिर आपने ये पुतले कैसे और क्यों बनाए उत्तर आया, हम पूरी तरह नास्तिक हैं। किन्तु हिटलर की सेना ने यह क्षेत्र कब्जे में लेने के बाद, जानबूझकर हमारा राष्ट्रीय अपमान करने हेतु यहाँ के प्राचीन देवताओं के पुतले तोड़ डाले। उन पुतलों ने उनका क्या बिगाड़ा था? किन्तु जानबूझकर हमारा राष्ट्रीय अपमान हो और हमारे मन में आत्मग्लानि निर्माण हो, इस हेतु से। उसी समय हमने तय किया था कि राष्ट्रीय सम्मान को वापस करने के लिए हम पुनः इन पुतलों का पुनरुद्धार करेंगे। इन पुनरूद्धार का संबंध राष्ट्रीय सम्मान की पुर्नस्थापना से है। हमारी आस्तिकता नास्तिकता इसमें प्रासंगिक नहीं है।

पेट्रोग्राड के लंच के समय सभी उपस्थित रूसी लोगों ने उनके सामूहिक गीत गाने का विचार किया। उनके टीम के प्रमुख से लेकर रसोई बनाने, झाड़ू लगाने वाले, सब एक जगह आकर सामूहिक गीत गाने लगे। फिर उन्होंने हमको भी कहा कि आप अपना सामूहिक गीत गाइये। हम एक-दूसरे की ओर देखने लगे। 'वन्देमातरम्' छोड़कर हमारे पास कोई भी सामूहिक गीत नहीं था और वन्देमातरम् राष्ट्रगीत होंने के कारण ऐसे अवसर पर उसको गाना उचित नहीं था। हमने बताया कि हमारे पास सब मिलकर गाने का कोई गीत नहीं है। बात वहीं खतम हुई।

स्टीमर से वापस आते समय मैंने श्री हिरेन मुखर्जी और श्री वी.एन. बैनर्जी (सेक्रेटरी) से पूछा, क्या आपको 'धनधान्ये पुष्पे भरा' यह गान याद है ? दोनों ने कहा कि वह गाना उनको बहुत पंसद था, उसकी तर्ज (tune) को अच्छी तरह जानते हैं, गा भी सकते हैं, किन्तु गीत के शब्द याद नही हैं। मैंने कहा मैं गीत के शब्द याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं दो पद याद कर सका। ये पाद दोनों ने बताए। और फिर हमने सबको बताया कि हब हम सामूहिक गीत गाते हैं। तीनों ने मिलकर वह गीत गया। हमारी पूरी टीम इससे प्रसन्न हो गई। रशियन्स को भी अच्छा लगा।

(यह स्मरणीय है कि यह गीत हमारे परम पूजनीय डॉ. हेडगेवार जी को बहुत प्रिय था। यह गाते समय उनकी आँखों में आँसू आते थे। उनको दो चीजें बहुत अच्छी लगती थी। एक तो यह गीत और दूसरा जनरल आऊटरम का तलवार खींचा हुआ पुतला - उसकी पोज)

सम्पर्क का लाभ

हम मॉस्को में पहुँचे ही थे तो किसी ने पूछना आरंभ किया कि आप में से मिस्टर ठेंगड़ी कौन हैं? मैंने अपना परिचय दिया। उसने कहा, कल से एक भारतीय विद्यार्थी आपके बारे में पूछताछ कर रहा है। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। होटल में प्रवेश करते समय उससे मुलाकात हुई। उसका नाम अखिलेश अग्रवाल था। सबने उससे परिचय कर लिया। उसने बताया कि दिल्ली से माननीय चमन लाल जी ने उसको मेरे आने की खबर दी थी।

उसके बाद वह हर दिन एक बार आकर पूछताछ करता था, क्या चाहिये, क्या नहीं, आदि। श्री हिरेन मुखर्जी (कम्युनिस्ट) ने कहा कि रशिया तो मेरी पितृभूमि है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत पूछताछ करने मेरे पास कोई नहीं आता। आपके पास आने वाला, आपकी व्यक्तिशः

जो अकेला खाता है, वह केवल पाप खाता है।

With Best Compliments from :

Cambay

SURESH CHANDRA AGARWAL & Co.

S. S. AGARWAL & CO.

(Non Ferrous Metal & Chemical

314-H. Chowk Subji Mandi, Aligarh-202 101
Phone : (0571)-2510619, 2403901, Fax. : 2404530

Bombay Office *: 303, S.V.P., Road, Bombay-400 004*
Ph. : (022) 23853234, 23854253, Fax. : 23892287

4713

चिंता करने वाला यहाँ है। यह आश्चर्य की बात है।

धरती में हीरे

एक दिन प्रातः हमें बताया गया कि अभी आठ बजे Hall of Pearls देखने जाना है। रूस में जितने pearls, diamonds आदि हैं वे सब इस Hall में एकत्रित देखने को मिलेंगे। हम सब गये। हम में से किसी को भी Pearis या diamonds के बारे में जानकारी नहीं थी। तो भी हम सब नाटक कर रहे थे कि जैसे मानो हम सब जानते हैं। मैं भी नाटक कर रहा था। इतने में मेरे कन्धे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने देखा तो वे हिरेन् मुखर्जी थे। उन्होंने कहा, "You are organiser of RSS. Then why you are interested in this affairs. राशियन लोगों को उनके Hall of Pearls पर गर्व होगा। किन्तु हम तो ऐसी भूमि से आये हैं कि जहाँ "हिमवत्सेतुपर्यनाम्- गंगा मौद्रिकधारिणीम्" है। हमारे लिये इसका क्या महत्व है। चलो, बाहर बैठकर गपशप करेंगे।

बिकाल और बैकाल

हमें बेकाल झील की सुन्दरता दिखाने ले गये। वहाँ जाने के बाद प्रत्यक्ष झील देखने की सबको उत्सुकता थी। किन्तु झील पर जाने के पहले उसके दुभाषिए ने भाषण देना प्रारंभ किया। It is the deepest lake of the World; it is the most beautiful lake of the world, आदि। उनका भाषण लंबा हुआ। हम सब ऊब गये थे। इतने में पीछे से आवाज आई, "It may be deepest and all that, but after all its name is Indian". सबने पीछे देखा। हिरेन् मुखर्जी बोल रहे थे। संजीव रेड्डी ने पूछा, "Indian". हिरेन् बाबू ने कहा - हाँ Indian। भारतीय भाषा में बिकाल याने सायंकाल। हमारी बंगाली में हम कहते हैं सायंकाल को बिकाल। हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि सांयकाल इधर से आता है। इसलिये उन्होंने नाम दिया - बैकाल। बिकाल-बैकाल।

कम्युनिस्ट की आराधना -

एक दिन सुबह हमें इंस्टीट्यूट ऑफ ऑरिएंटल स्ट्डीज में ले गये। वहाँ कुछ रशियन विद्वान भी उपस्थित थे। कार्यक्रम था श्री हिरेन् मुखर्जी का भाषण। विषय 'रिलिजन एंड गॉड' मार्क्सिजम के आधार पर हिरेन् बाबू ने धर्म की धज्जियाँ उड़ाई और सिद्ध किया कि 'God is Fraud'। अब इस विषय में हम लोगों के वाद विवाद करने का कोई प्रसंग ही नहीं था।

होटल में वापस आने के बाद दोपहर के समय मैं हिरेन् बाबू की एक पुस्तक उन्हें वापस करने के लिये गया। दरवाजा बंद था। हमें बताया गया था किसी को भी कमरे में बिना रिंग किये प्रवेश नहीं करना हैं क्योंकि अकेला होने के कारण व्यक्ति Natural Dress में भी रह सकता है। मैंने दरवाजे के सामने खड़े होकर रिंग बजाई। किन्तू मालूम होता था कि हिरेन् बाबू ने अपने दोनों कानों के Hearing Aids निकालकर बाजू में रखे थे। इस कारण उनके सुनने का सवाल ही नहीं था। इधर मुझे वापिस जाने की जल्दी थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसमें से मैंने देखा कि दरवाजे की तरफ पीठ करके हिरेन् बाबू सोफे पर पालथी मारकर बैठे थे, जैसे हम ध्यान के समय बैठते हैं। मैने सोचा कि वे Natural Dress में तो नहीं है। इसलिये हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा। मेरे आने की आहट भी उनको आना संभव नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ। वे ध्यान की मुद्रा में थे और मुखसे चल रहा था - 'चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्'। मैं चुपचाप खड़ा रहा। दो-ढ़ाई मिनट में ही वह स्तोत्र समाप्त हुआ और हिरेन् बाबू ने मुझे देखा। देखकर वो चौंक गये। अंग्रेजी में बोले, "How long you are standing here"। मैंने कहा - "Two or three minutes"। उन्होंने कहा, "Mind you, I don't believe in God."। मैंने कहा, "ठीक है।"

आकर्षण एवं ब्रह्मचर्य

सोवियत संघ से हम हंगरी गए। बुडापेस्ट में पहला पड़ाव था। वहाँ होटल में हमारे Attendance में जो महिलायें थी उनमें से एक मेरी ओर आकृष्ट है ऐसा सबके

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २९वाँ प्रान्तीय अधिवेशन के शुभ अवसर पर राष्ट्रभक्त मजदूरों को शुभकामनाएं

मेसर्स- जगन्नाथ दिलीप सिंह

(निर्माता - मोर छाप तम्बाकू)

५२८, जी०टी० रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)
दूरभाष : २८६३२२६, २८६३७२५

प्रधान कार्यालय : नया बांस, दिल्ली - ११०००६
दूरभाष २३६७४८५० (कार्यालय) २३९५७६७४ - २३९४३२५२

5009

शुभकामनाओं सहित :-

वाराणसी जल संस्थान, वाराणसी

आवश्यक सूचना

काशीवासियों से अनुरोध है कि ग्रीष्म ऋतु में अघोषित विद्युत व्यवधान भी बढ़ गए हैं, अतः बूँद-बूँद पानी की बचत करें तथा जल संचय भी करें। साथ ही निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें :

१. निजी जलसंयोजनों को टूटे पाइपों को तुरन्त लाइसेन्सयुक्त प्लम्बर से ठीक कराकर पेयजल को दूषित होने से बचाएं। टूटे पाइप के कारण आपको गन्दा, दुर्गन्धयुक्त दूषित पेयजल मिल सकता है। साथ ही दूसरी नलिकाओं को भी प्रदूषित करसकता है। ऐसे जल को प्रयोग में न लाएं।
२. इण्डिया मार्क हैण्डपम्प तथा सार्वजनिक नलों का सही ढंग से उपयोग करें एवं सार्वजनिक नल को खुला न छोड़ें।
३. अपने आवासों के निजी टंकियों, रिजरवायरों अथवा पानी रखने वाले घड़ों, सुराहियों आदि की सफाई निरन्तर करते रहें।
४. कहीं भी यदि पाइप लाइनों में लीकेज हो अथवा लीकेज से गन्दे पानी की शिकायत हो तो तत्काल जलसंस्थान के कन्ट्रोल रूम को फोन नं २३६३९५९ पर सूचित करें।
५. पाइप लाइन से सीधे टुल्लू पम्प आदि न लगाएं क्योंकि इसका असर पड़ोसियों की जलापूर्ति पर भी पड़ता है।
६. अवैध जल संयोजन न करावें- यह दण्डनीय अपराध है। लाइसेन्सयुक्त प्लम्बर, जिन्हें परिचय पत्र दिए जा चुके हैं, से ही नियमानुसार जल संयोजन कराएं।

7106

आर. के. गुप्ता
महाप्रबन्धक

आर. पी. अरोड़ा
नगर-आयुक्त/प्रशासनिक अधिकारी

अमरनाथ यादव
अध्यक्ष

ध्यान में आया। वह भी अपनी भावनाएं बिना संकोच के सबकी उपस्थिति में प्रकट करती थी। इस कारण हमारी टीम के सभी सदस्य मेरे साथ मजाक भी करते थे। अब इस बात को कैसे टालता? बुडापेस्ट छोड़ने के पिछली रात मेरे सामने यह सवाल था। भोजन के लिए आएंगे तो वह महिला वैसा ही व्यवहार निःसंकोच होकर करेगी। मैंने घोषणा की कि मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं भोजन के लिए भोजन कक्ष में नहीं आऊँगा। और ऊपर अपने कमरे में जाकर अंदर से ताला लगा दिया।

टीम से सब लोग मेरे इस व्यवहार का कारण समझ गये। दूसरे दिन सुबह हम सब नाश्ते की मेज पर आये। मैंने देखा कि हिरेन् बाबू कागज पर कुछ लिख रहे हैं। उन्होंने वह कागज श्री संजीव रेड्डी को दिया। संजीव रेड्डी ने सबको पढ़के बताया और सब जोर से हँसने लगे। वह हिरेन् बाबू की लिखी हुई निम्न कविता थी -

Budapest
Is at her best
Ready to receive
Her every guest
But Thengadi worried
Says he must rest
And Locks himself up
Lest be lost in pest.

× × × × ×

एक दिन गपशप करते समय उन्होंने कहा कि आप संघ वाले व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों के हाथ में देश का कारोबार आएगा तो देश में टाटा बिरला का शासन हो जाएगा। आप हिन्दू धर्म का नाम लेते हो, किन्तु आपको पता नहीं कि निजी संपत्ति के विषय में हिन्दू धर्म की भूमिका क्या है। अपने शास्त्रों में कहा गया है-

"यावत् भ्रियेत जठरम् - तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्।
अधिकं योऽभिमन्येन - सस्तेनो दण्डमहीने।।

(पेट पालने के लिए आवश्यक उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है। इससे अधिक पर जो दावा करेगा वह चोर है, उसको दण्ड (सजा) देनी चाहिए।) यह धर्म की भूमिका है।"

मैंने कहा - "हिरेन् बाबू! आप एक बात सुन लीजिये। हमारे बीएमएस को नेशनल लेबर कमीशन को एक ज्ञापन देना था। उनकी प्रश्नावली में एक प्रश्न था - Your concept of private property. अब हम लोग इस विषय में अध्ययनशील तो नहीं थे। ऐसे समय हम पूजनीय श्रीगुरु जी के पास पहुँचे थे। उनका मार्गदर्शन लेते थे। हमने यह प्रश्न उनके सामने रखा। उन्होंने निजी संपत्ति के लिए हिन्दू धारणा के संदर्भ में हमें वही श्लोक बताया जो आपने अभी बताया। (यावद् भ्रियेत जठरम् etc.)। उन्हें आश्चर्य का मानो धक्का लगा। उन्होंने पूछा- "Really" Your Golwalkar said this?" मैंने कहा- "इसका ठोस प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ- दिल्ली वापिस जाने के बाद। क्योंकि हमारे ज्ञापन में हमने यही श्लोक उसके अर्थ के साथ उद्धृत किया हैं मैं आपको दिखा दूँगा।" उन्होंने कहा, "दिखाने की क्या आवश्यकता है, जब स्वयं तुम यह बता रहे हो। लेकिन यह सुनने के बाद मुझे लगने लगा है कि संघ के और गोलवलकर के विषय में मुझे पुनर्विचार करना होगा।"

वापिस जाने के बाद परमपूजनीय श्री गुरुजी का दर्शन किया और यह सब उनको बताया। श्री गुरुजी ने कहा, यह बौद्धिक ईमानदारी का परिचायक है।

भविष्यवक्ता

हंगरी से हिरेन् बाबू लंदन जाने वाले थे। मुझे कैरो जाना था। परस्पर विदाई के समय वे गंभीर हो गये। बोले, "Thengadi! You have found your place in the Universe. I have not" उन्होंने ऐसा क्यों कहा यह अभी तक मेरे ध्यान में नही आया।

धरती पर सुख शान्ति बढ़ाओ, देकर निज श्रम शक्ति।

भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका "श्रम आराधना" के निरन्तर प्रकाशन
पर हमारे प्रतिष्ठान की ओर से हार्दिक शुभकामनायें

दि धामपुर शुगर मिल्स लि.

धामपुर – २४६७६१, जिला – बिजनौर
कार्यालय : (०१३४४)–२२०६६२, २२०००६,
फैक्स : (०१३४४)–२२०००६

वी. पी. सिंह
अधिशासी अध्यक्ष

वी. के. गोयल
अधिशासी निदेशक

4601

With Best Compliments from :

SUKRITI VIDYUT UDYOG PVT. LTD.

D-39, MEERUT ROAD INDUSTRIAL AREA-3
GHAZIABAD-201 003 (U.P.) INDIA

TELE : +91-120-2713081, 2712015
FAX : +91-120-2754055
E-mail : sukriti@mantraonline.com
Website : www.indiamart.com/sukriti-vidyut

Manufacturers of :

Single and Standard Silver Plated Copper Coated Steel Wires for Coaxial Cables, Silver and Nickel Plated Single and Multistrand (Strain Fee) Copper Conductors, Copper Strips for Solar Photo-Voltaic Panels, Resistance Wires and Special Conductors

5003

भारतीय मजदूर संघ की सफलता के कारण

- मा. रामदौर जी

- भा.म.सं. को समझना है तो रा.स्वंयसेवक संघ और संघ के उद्गाता डा. हैडगेवार को समझना आवश्यक है।
- संघ स्थापना से पूर्व क्रांतिकारी आंदोलन के अध्ययन के लिए डा. जी कलकत्ता गए थे। वहां उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति के अध्यक्ष श्री चक्रवर्ती से १६१६ में संघ स्थापना की आवश्यकता प्रकट की थी ताकि राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत हिन्दु समाज स्वाभिमान से जीवन जीने योग्य बन सके।
- डा. जी को Bio Focal Vision प्राप्त था इसी कारण उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति तात्कालिक एवं विश्व पटल से साम्राज्यवाद समाप्त कर भारत के परम वैभव का दूरगामी लक्ष्य तय किया था। इसका अनुमान लगाना भी आज सरल नहीं क्योंकि उन दिनों यही सोचा जा रहा था कि पूंजीवाद का अंत साम्यवाद करेगा, हिन्दुत्व नहीं।
- अत्यंत छोटी लगने वाली शाखा पद्धति के माध्यम से सम्पूर्ण हिन्दु समाज को संगठित करने का काम डा. जी ने आजीवन किया।
- पूज्य गुरू जी ने कहा कि संघ कुछ नहीं करेगा किंतु कोई काम संघ के बिना होगा नहीं। सभी उपक्रम स्वयंसेवक करेगा।
- संघ की पहले से सोची सोच का प्रकटीकरण-विस्फोट मात्र हो रहा है, विकास नहीं इसे स्पष्टतः से हमें समझना है।
- संपूर्ण समाज ही संघ है। शेष अनुसांधिक संगठन, सूर्यमंडल के अनुशासित संगठन के समान Trans Mission Belt सौरभमंडल नहीं।
- संघ का शेष अनुंसांधिक कार्यो पर Phisical-control नहीं अपितु स्वयंसेवक व्यक्ति रूप में आवश्यकतानुसार, समाज जीवन में जाकर संघ अनुरूप कार्य प्रारम्भ करेगा।
- संघ के Wings स्वयंसेवक हैं अनुसांधिक उपक्रम नहीं। संघ बेजोड़ संगठन होने से इसका पर्यायवाची शब्द ही नहीं है।
- संघ तथा अनुसांधिक उपक्रम एक ही vision है- संघ के अंग प्रत्यंग Part &Parcle नहीं- यही सब एक ही है।
- चंद्रमा का प्रकाश सर्वदूर होने का अर्थ चन्द्रमा एवं किरण एक ही हैं। चन्द्रमा में पूर्णता है-किरण इसका बढ़ता हुआ प्रकाश है यह एक दूसरे के पूरक नहीं, संपूर्ण एक ही है, अंग प्रत्यंग नहीं।
- संघ परिवार नहीं संपूर्ण संघ सृष्टि, पहले से सोचे vision का progressive unfoldment है - पहले पीछे टुकड़ों में सोच विचार नहीं।
- अनुसांधिक कार्यो में हम अपने आपको मात्र समन्वयक नहीं अपितु संघ गटनायक मानें अतः देश व समाज के हित में अपने संगठन की हानि को

अन्याय ओर अनीति को सहन करना बुजदिली है।

With Best Compliments From :

FOR KIND ATTENTION OF ARCHITECTS, BUILDERS & GOVT. CONTRACTORS

(C.P.W.D., P.W.D., M.E.S., Dot, RAILWAYS Etc.)

Factory-Made Panel Doors
Kiln-Seasoned & Pressure-treated
AVAILABLE PANELS

PLY	P.P.B.
P.L.B.	M.D.F.
BISON	TIMBER
GLAZED	FLYMESH

FOR DETAILS CONTACT :

OMEERA DOORS INDUSTRIES

s, 14/82, Teliabag, Varanasi - 221 002
Phone : 2207528, (O) 2622811 (F)
E-mail : rp_kush@lycos.com, Website : www.omeeradoors.com
Trade Tax exempted unit under Section 4a to uptt
Quick delivery schedule
(Fully Mechanized Unit)

7105

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २६वाँ प्रान्तीय अधिवेशन
पर राष्ट्रभक्त मजदूरों को शुभकामनाएं

मेघदूत के अद्वितीय फर्नीचर

लकड़ी, स्टील या अन्य मेटल फर्नीचर, मोल्डेड फर्नीचर, घर, आफिस, स्कूल, लाइब्रेरी, बैंक, अस्पताल के लिए रूम-कूलर्स, मैट्रेसेज सभी एक स्थान पर विक्रय के बाद की गारंटी के साथ

मेघदूत एण्ड कम्पनी

मलदहिया वाराणसी, फोन २२०७५३५

मेघदूत फर्नीचर्स

महमूदगंज, वाराणसी, फोन २३६०६६८

मेघदूत इन्जी० इण्डस्ट्रीज

इण्डस्ट्रियल इस्टेट, वाराणसी, फोन - २३७०३०६

7104

स्वीकारने में भी प्रसन्नता अनुभव करने का अपना स्वभाव बनावें।

- १९२५ में डा.जी द्वारा सोची सोच vision का पुनः स्मरण मात्र पूज्य गुरूजी ने 'थाना' के अभ्यास वर्ग में करवाया था- त्रिविध-पथ्य पहला संघ कुछ नहीं करेगा, दूसरा संघ स्वयं सेवक कोई काम छोड़ेगा नहीं, तीसरा संघ स्वयंसेवक दैनिक शाखा में आएगा। इस त्रिविध पथ्य में संघ कार्य विस्तार की रीति-नीति, पद्धति आदि सभी कुछ बातें हमें बतलाई हैं।
- पीतल के बर्तन को जैसे मैला होने पर नित्य मंजाई करनी पड़ती है वैसे ही दूषित वायुमंडल से स्वयंसेवक भी प्रभावित होता है अतः दैनिक शाखा में उपस्थित से हमें भी अपने आप को सुसंस्कारित बनाए रखने की पहले दिन से आवश्यकता बतलाई गई है।
- मा. ठेंगडी जी के पिता जी के मित्र INTUC नेता ने उन्हें INTUC में आकर काम करने का प्रस्ताव किया किंतु पूज्य गुरूजी की अनुमति से ही वह INTUC तथाAITUC में ट्रेड यूनियन का काम सीखने के लिए तथा डा. अम्बेदकर के साथ उनके द्वितीय श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ संबंध बनाने एवं मित्र बनाने के लिए गये।
- गुरूजी का स्पष्ट आदेश था कि इन क्षेत्रों में नेता न बनकर केवल अपने अनुकूल लोग ढूंढने का काम करना है।
- गुरूजी का अप्रत्यक्ष रूप से मजदूर आंदोलन से संबंध तो आया ही था। पहला मार्गदर्शन इन्दौर कपड़ा मिल हड़ताल में एक पहलवान नेता के भूख हड़ताल पर बैठने का था जब, मा. ठेंगडी जी को कुछ भी जानकारी न होते हुए वहां भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए भेजा। मा. ठेंगडी जी न केवल भूख हड़ताल तुड़वाने बल्कि १३ में से ७ मांगे मनवाने में भी यशस्वी हुए थे।
- मुंबई की कपड़ा मजदूर हड़ताल में भी शक्ति न होते हुए भामसं, मजदूर क्षेत्र से Isolate न होने पावे, इसी हेतु से उनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही HMS नेता एन.एम.जोशी से मिलकर एटक नेता डांगे को सफल न होने देने में हमें सफलता मिल सकी।
- संघ संपूर्ण हिन्दू समाज का संगठन है जिसमें कम्यूनिस्ट, समाजवादी एवं कांग्रेसी भी शामिल हैं। इसीलिए मैं संघ का सरसंघ चालक होते हुए संघ के स्वयंसेवकों को केवल भामसं, सदस्य बनने कें लिए आह्वान नहीं कर सकता। यह स्पष्टीकरण गुरूजी ने बैंकिंग उद्योग में स्वयं सेवकों को भामसं, सदस्य बनाने के सुझाव पर दिया।
- सरकारी कर्मचारियों की पहली हड़ताल के समय १९६० तक भामसं, का उसमें प्रवेश नहीं हो पाया था। तो भी इस क्षेत्र में भामसं, का दखल बनाए रखने के उद्येश्य से ही उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार तो होना ही चाहिए किंतु यह दायित्व सरकार का है कि वे ऐसा Machenism विकसित करें ताकि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की आवश्यकता ही न पड़े।
- लंबे समय तक श्री गुरूजी के उपलब्ध निकटस्थ मार्गदर्शन एवं संघ नेतृत्व की दूरगामी सोच से ही भामसं, की प्रगति हुई है। इस संबंध में अन्य भी अनेक उदाहरणों के उल्लेख प्राप्त होते हैं।

यह भूमि मेरी माता और मैं उसका पुत्र हूँ।

शुभकामनाओं सहित –

लोहा व्यापार मण्डल (रजिस्टर्ड)

७६/४३, गोपाल मार्केट
लोहा मण्डी, कानपुर – २०८००१
दूरभाष : २३५२४०६

मणिकान्त जैन
अध्यक्ष

बालकृष्ण गुप्त 'बाले'
महामंत्री

1013

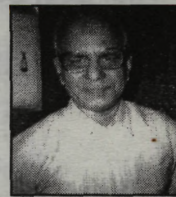

चीन में औद्योगिक संबंधों की सच्चाई

- मा० गिरीश अवस्थी, राष्ट्रीय उपमहामंत्री-भा.म.स.

चीन में औद्योगिक संबंधों में लचीलेपन की उद्योगपति संगठनों द्वारा श्रम आयोग के सम्मुख चर्चा करने के बाद आयोग के सभी ६ सदस्यों ने श्रम अधिकारियों सहित प्रत्यक्ष चीन के प्रमुख आर्थिक व श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर, निम्न तथ्यों का पता लगाया।

श्रम हितैषी सरकार भारत की तुलना में चीन सरकार श्रमिकों के हित संरक्षण का अधिक ध्यान रखती है चाहे वह संरक्षण समाप्ति का विषय हो या सब्सिडी जैसी सुविधाएं घटाने का इसीलिए चीन के नगरों में जनता व कर्मचारी प्रायः संतुष्ट हैं। किंतु उद्योपतियों का यह प्रचार झूठा है कि वहां श्रम कानूनों से मुक्त कोई विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या उद्योग हैं।

अवकाश एवं काम के घंटे वहां शनिवार तथा रविवार अवकाश रहता है अतः १०४ साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश ग्रहण की सुविधा उपलब्ध हैं। दैनिक ८ घंटे प्रतिदिन एवं सप्ताह में ४० घंटे का काम निश्चित है। केवल आपात्काल में काम के घंटे बढ़ाने का अपवाद है।

श्रम संघों का दायित्व श्रमिकों के हित संरक्षण का अतिरिक्त दायित्व श्रम संघों का है। सरकारी नीति का क्रियान्वयन सुचारु हो यह देखें इससे उनकी सदस्यता भी बढ़ती है। छंटनी या हटाए कर्मियों को रोजगार दिलवाने में सहायक हों। बेकार रहते बेकारी बीमा निलंबन वेतन राशि एवं चिकित्सा भत्ता आदि सुविधाएं दिलवाना सुनिश्चित करें। नौकरी छूटने पर प्रशिक्षण देने एवं दिलवाने का भी दायित्व निभायें। चीन में प्रशिक्षण अभिकरण स्थापित हैं।

ठेका मजदूर स्थाई सेवा की बजाए ठेके पर काम करवाने का चलन बढ़ रहा है। ठेका व्यवस्था में क्षेत्र की यूनियन को ठेके का प्रारूप दिया जाता है, वही इसका निदेशन करती है। मालिक सहित ठेका करार पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षों के लिए करार निरस्त होने पर, यूनियन से पूर्वानुमति लेने की वहां बाध्यता है।

सेवा से हटाए कर्मी ऐसे कर्मचारी को प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए एक मास का वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। वैकल्पिक रोजगार मिलने तक दो-तीन वर्ष के लिए आवास सुविधा प्राप्त रहेगी। पूर्ववर्ती मालिक, अंतिम वेतन का एक-तिहाई आधारभूत आजीविका भत्ता, चिकित्सा, शिक्षा-सहायता कौशल-प्रशिक्षण आदि सुविधाएं निलंबित कर्मचारी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा। निलंबित कर्मी फैक्ट्री परिसर में आवास रख सकेगा,किराया भी मालिक को ही देना होगा।

वे उद्योग जो 'हटाए गए' कर्मचारी को आधारभूत आजीविका वेतन नहीं दे सकते, दिवालिए घोषित किए जाते हैं और कर्मचारियों की देय राशियाँ उनकी परिसंपत्ति (ऐसेट्स) में से सर्वप्रथम काटी जाती है। यदि कोई उद्योग 'हटाए' कर्मचारियों को आधारभूत आजीविका भत्ता नहीं दे सकता तो स्थानीय अथवा केंद्रीय सरकार यह भत्ता आदि सहायता (सब्सिडी) के रूप में देती है।

नौकरी छूट जाने की चुनौती का समना करने के लिए लगभग ४००० रोजगार केन्द्र और १०,००० प्रशिक्षण केंद्र चीन में स्थापित किए गए हैं। बेकारी बीमा १६८६ में आरंभ किया गया।

भारत माता सम्बोधन है तप, त्याग, यज्ञ बलिदानों का

With Best Compliments From :

HINDUSTAN VIDYUT PRODUCTS LIMITED

Kanchanjanga (7th Floor), 15 Barakhamba Road,
New Delhi - 110001 (India)
Tel. : 2331-2201, Telex : 031-63149 Fax. : 2331-3707, Gram : NIKKISAN

WORKS :

1, Karnnamangala Villae Hoskote Taluk
District, Bangalore-560601 (Karnataka) Ph. : 080-8452487
2. 12/1 Milestone, Delhi-Mathura Road,
Faridabad-121003 (Haryana) Ph. : 012952775871
3. 7/1 Milastone, G. T. Road, Ghaziabad-201005 (U.P.) 2626332, 2626279
AAAC%ACSR conductors, Aluminium Properzi rod
Industrial Area Birla Nagar, Gwalior
PVC Insulated Power Cables, FRLS Cables
RailwaySenjalling Cables, Control Cables
Power & Distribution Transformers

Registered Office :

Kanchanjunga Building (7th Floor) 15 Barakhamba Road, New Delhi-110001 (India)
Bombay Office :
Ravindra Annexe, 3rd floor, 194
Dinshaw Wachha Road, Backbay Reclamation, Bombay-400020, Tel.:2027740

Madras Office :

Gee Gee Complex, 42 Anna Salai Road,
Chennai - 600002, Tel. : 044-28546383

5007

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २९वाँ त्रैवार्षिक अधिवेशन
पर राष्ट्रभक्त मजदूरों को शुभकामनाएं

जैदी एस. एम. ए.

जेड—२१ मुजफ्फरनगर

की ओर से
श्रमिक भाईयों को शुभकामनाएं

4806

चीन का दूसरा पक्ष अब, आइए चीन के दूसरे पक्ष को देखें। चीन और भारत में कुछ मुख्य समानताएं हैं- विशाल जनसंख्या एवं विशाल कर्मचारी बल जिसका प्रबंधन करना है। इस दृष्टि से भारत को चीन से सीखने योग्य बहुत कम है मात्र इसके कि वहां की सरकार और कानून श्रमोन्मुखी हैं। कई दशकों से वहां एक युगल-एक संतान की परिपाटी है जिसकी अब वहां की जनता अभ्यस्त हो गई है। चीन को अपनी विशाल जनसंख्या संभालने में यह एक अतिरिक्त सुविधा है। किंतु अल्पसंख्यक समाजों तथा जातीय (ऐथनिक) समाजों को एक से अधिक बच्चों के जन्मने पर भी मातृत्व-सुविधाएं दी जाती हैं

चीन में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेद अभी भी बना हुआ है। नागरिक सेवाओं में पुरुषों के अवकाश-ग्रहण की आयु ६० वर्ष है और महिलाओं के लिए ५५ वर्ष। अन्य सेवाओं में यह क्रमशः ५५ और ५० वर्ष है। यह वहां की पुरानी धारणा के कारण है कि महिलाएं दुर्बल होती हैं। अब वे भी समानता लाने का विचार कर रहे हैं।

रोजगार समस्या श्रम करार सेवा की गारंटी नहीं देता। करार की अवधि के बाद इसे पुनः करना पड़ता है अन्यथा कर्मचारी हटा दिए जाते हैं। यह समस्या वैश्वीकरण के श्रम सुधारों के लागू होने के बाद बढ़ गई है।

५० % सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग घाटे में चलते हैं और बैंकों से प्रगति-अवरोध ऋण लेने के कारण बुरी अवस्था में हैं। अब तक संगठित उद्योगों के ७ करोड़ कर्मचारियों में से लगभग ६५ लाख कर्मचारी हटाए (लेड ऑफ) हुए हैं। कुछ अनुमान कहते हैं कि उद्योग क्षेत्र के अतिरिक्त ५ से १५ करोड़ कृषि कर्मचारी या तो बेकार हैं या अर्ध बेरोजगार हैं। वे कम्प्यूटर तज्ञता के लिए भारत के संचार माध्यमों की प्रशंसा करते हैं।

श्रम संघ एवं हड़ताल चीन में एक ही श्रम संघ 'अक्फ्टू' है। दसियों करोड़ कर्मचारी श्रम संघ से बाहर हैं। चीन के श्रम-कानून न तो हड़तालों का उल्लेख करते हैं और न उसे प्रतिबंधित करते हैं। यद्यपि हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं, तो भी कर्मचारी हड़ताल नहीं करते। चीन में भारत के समान संविधानिक स्वतंत्रता नहीं है। उद्यमों को हमारे देश के समान खुली छूट नहीं है। केवल परवर्ती समाजवादी चीन की तुलना से सुधार हुआ है। अभी २००१ में ही 'राष्ट्रीय त्रिपक्षी श्रम-समिति' की स्थापना हुई है।

नई बाजार अर्थव्यवस्था के सुधार अभी ७८ में ही नए आर्थिक सुधार या परिवर्तन क्रम आरंभ हुआ है। वे उसका वर्णन 'समाजवादी अर्थव्यवस्था' से 'समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से करते हैं। हमारे इस प्रश्न की परस्पर विरोधी शब्दावली 'समाजवाद' और 'बाजार-अर्थ-व्यवस्था' कैसे परस्पर इकट्ठा आ सकते हैं इसका हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। समाजवादी अर्थव्यवस्था से समाजवादी बाजार व्यवस्था में स्थानांतरण के कारण कई प्रकार के नए औद्योगिक संबंध स्थापित हुए हैं और पिछले वर्षो में औद्योगिक झगड़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है। नए आर्थिक सुधार आरंभ होने से पहले चीनी उद्योगों में नियुक्ति (एंप्लायमेंट) शब्द का प्रयोग नहीं होता था, क्योकि वह नियुक्ति करने वाले वर्ग (उद्योगपति) और नियुक्त (कर्मचारी) वर्गो में भेद उत्पन्न करता या दर्शाता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निपुणता नाम मात्र की थी। ढांचा बदलने और अनेक बाद छंटनी या निष्कासन के कारण अनियंत्रित बेकारी वहां बहुत बड़ी समस्या बन गई । गैर सरकारी क्षेत्रों के विकास से उद्योगपतियों और कर्मचारियों के झगड़ों ने विकराल रूप धारण कर लिया।

'प्रियं सर्वस्य पश्यत्' - सबका भला देखो

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २६वाँ प्रान्तीय अधिवेशन के
शुभ अवसर पर राष्ट्रभक्त मजदूरों को शुभकामनाएं

"छीलने से लकड़ी का सौन्दर्य बढ़ता है,
खिलने से फूल का सौन्दर्य बढ़ता है।
सौन्दर्य बढ़ाने के लिए कितने ही साधन ढूँढो,
मगर कर्म से ही मनुष्य का सौन्दर्य बढ़ता है।"

सूसीकेम प्रा० लि०

इण्डस्ट्रियल स्टेट, चाँदपुर, वाराणसी

7103

With Best Compliments from :

Hotel Clarks Varanasi Ltd.

THE MALL, CANTT
VARANASI - 221002

Phone : (0542) 2348501 (10 Lines)
Fax. : (0542) 2348186
E-mail : clarkvns@satyam.net.in

7102

WTO के विरुद्ध आपत्ति

WTO में प्रवेश के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अधिक समन्वय के चीन की सोच के प्रति चीन के कई लोगों के मन में शंका है। बड़े उद्योगों के कर्मचारी अपने उपलब्ध लाभों को WTO द्वारा सुधार के नाम पर छिन जाने पर आपत्ति करने लगे हैं। कैपिटल स्टील मिल बीजिंग के कर्मचारी इस मुद्दे पर हड़ताल पर रहे।

औद्योगिक झगड़े झगड़ों का निपटारा कई-अव्यवस्थाओं और चरणों में होता है जैसे द्विपक्षीय वार्ता, मध्यस्थता, पंच निर्णय और अंत में जिला न्यायालय के निर्णय द्वारा। बड़े प्रमाण में छंटनी के कारण औद्योगिक झगड़ों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रमुख झगड़े वेतन तथा कल्याण योजनाओं से संबद्ध हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि वे भारत जैसे अन्य देशों से इसको सुलझाने के उपाय सीखना चाहते हैं।

ग्रामीणों का नगरों में स्थानांतरण ग्राम वासियों को नगरों में स्थानांतरण की वैधानिक रूप से अनुमति नहीं है। आवासीय पंजीकरण व्यवस्था, कार्य अनुमति व्यवस्था और यात्रा अनुमति व्यवस्था के कारण श्रमिक सरलता से स्थानांतरण देहात क्षेत्र से नागरी क्षेत्र में नहीं कर सकते। उन्हें अपने स्थानीय आवास-अधिकारियों से बाहर जाकर काम करने की अनुमति लेनी पड़गी। उन्हें नए स्थान में पंजीकरण भी कराना पड़ेगा।

कुछ नए नगरों में ग्रामीणों के आने पर आवासीय पंजीकरण की बाध्यता सरकार ने हटा तो ली है किंतु वहां बेरोजगारी अत्याधिक है।

श्रम विभाग ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि कुछ कालावधि तक अन्य प्रांतों से नए कर्मचारी भर्ती न करें।

निम्न वेतनमान १६ जन. ०२ के चाइना डेली में छपी रिपोर्ट के अनुसार चीन में ऐसे लगभग ३ करोड़ लोग हैं जिनकी वार्षिक आय ७७ अमेरिकी डालर से भी कम है। उसका कहना है कि बीजिंग, शंघाई, शेन यांग जैसे बड़े नगरों में भी अनेक लोग गरीबी में रहते हैं। गरीब छात्रों को जिनके परिवार शिक्षा की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं उन्हें दान द्वारा सहायता दी जाती है। अनुमानतः ३५ करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पक्की सुरक्षायुक्त नगरों में भी भिखारी और फुटपाथ पर खोमचे वाले प्रायः देखे जा सकते हैं। ड्राइवर और मार्गदर्शक भिखारियों को विदेशियों से दूर भगाते और स्थानीय चीनियों के पास भिक्षा के लिए खदेड़ते देखे गए हैं।

जीवन निर्वाह रेखा के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर निम्नतम वेतनमान निर्धारित हैं। बीजिंग में एक कार्मिक का निम्न वेतन ४२० युआन (१ युआन लगभग ६ रुपया का) है उच्चतम विकसित क्षेत्र जैसे शेनजेन में न्यूनतम वेतन मान ५८२ युआन हैं। किंतु यह वेतन परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आधारभूत जीवन-निर्वाह औद्योगिक भत्ता ३०० से ४५० युआन है, देहाती क्षेत्र में निर्वाह भत्ता मात्र ९०-९५ युआन, वह भी आदर्श (पाइलट) क्षेत्रों में है। यह असमानता वैश्वीकरण के कारण हुई है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन अधिक है।

चीन, श्रमिकों का बंदी शिविर (कंसेंट्रेशन कैंप) कुछ पर्यटक जिन्होंने चीन के नगरों के बाहर श्रमिकों की अवस्था देखी है, कहते हैं कि चीन श्रमिकों का बंदी शिविर है। विशेष पोषित नगरों और विशिष्ट क्षेत्रों में व्यवस्था भिन्न है। चीनी सरकार विदेशियों को यह दिखाने में हिचकती है कि गांवों में क्या हो रहा है। चीन में अभी भी 'लौह आवरण' विद्यमान है। चीनी सरकारी अधिकारियों में से केवल एक ही बोलता है। बार-बार कहने पर भी उन्होंने देहाती या असंगठित क्षेत्र के जीवन की झलक नहीं दिखाई। उनके दिए हुए ऐसे क्षेत्रों के आंकड़े भी परस्पर

ऊँच नीच का भेद मिटायें, हम अपने कर्तव्यों से

With Best Compliments From :

Futuro

Components Pvt. Ltd.

Manufacturers of :

High Quality Cycle Rim

1260, Kaushalya Road,
P. O. : Hindon Nagar
Dasna, Ghaziabad (U.P.)

Contact Phone Nos.
2700650, 2700529, 2766164, 2765057
Fax. No. : 2700631

5011

विरोधी हैं। चीन सरकार की परंपरा है विदेशी आगंतुकों को केवल विशिष्ट-पोषित और विकसित क्षेत्रों में ले जाना और उन स्थानों में निश्चित यात्रा स्थान दिखाना ताकि वे चीन की अद्भुत उन्नति से मुग्ध होकर लौटें।

श्रमिक कानूनों का उल्लंघन चीन के अधिकांश भागों में प्रायः श्रम-कानूनों के उल्लंघन प्रायः होता है किंतु नव विकसित निजी क्षेत्रों में अधिक देखा जा सकता है। जैसे कर्मचारियों का यूनियन सदस्य बनना, बिना लिखा-पढ़ी उन्हें सेवा में रखना, निर्धारित घंटों से अधिक काम लेना, विधि सम्मत वेतन न देना, कर्मचारियों को बीमे से वंचित रखना, कल्याण-कार्यक्रम न करना और कुछ फैक्ट्रियों में महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करना। ९९ से स्थानीय श्रम-अधिकारियों ने लगभग २००० उद्योगों को बंद किया और लगभग ७००० उद्योगों को रोजगार-चाहने वालों के साथ अनुचित व्यवहार करने के विरुद्ध चेतावनियां दीं। उन ६५ लाख श्रमिकों में जो बेराजगार हैं केवल ४ प्रतिशत नगरवासी हैं। अभी मध्य चीन के ह्यूबेई प्रांत में कर्मचारियों ने जो निलंबन पर योग्य क्षतिपूर्ती न होने से निराश थे, अपने फैक्ट्री प्रबंधकों में से ३ को मार डाला।

चीन में एक सुधारक श्रम-व्यवस्था कानून (अर्थात कैदी श्रमिकों के संबंध में) भी है। चीन में खदानों में गंभीर दुर्घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, जिनसे पता लगता है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था घिसी-पिटी है।

प्रायः कर्मचारी वेतन सहित छुट्टियां नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर है कि उनका नाम विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में नियमोल्लंघन की काली सूची में लिख लिया जाएगा।

निष्कर्ष अतः अनेक दृष्टियों से भारतीय व्यवस्था को सुधारने के लिए चीन को 'आदर्श प्रतिमान' नहीं मानना चाहिए। परंतु हमारी सरकार चीन के श्रमिकोन्मुखी 'दृष्टिकोण' को अपना सकती है।

श्रद्धा का सम्बल

'अपने समाज ने सब प्रकार के भीषण से भीषण संकटो का सामना करके भी बार-बार भारत माँ का मस्तक गौरव से उन्नत किया हैं अतः बाहर से कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाये, उसके लिए चिंता करने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस समय हमारे समक्ष यदि कोई सर्वाधिक विचारणीय प्रश्न है, तो वह केवल यही कि हमारे समाज के लोगों का अन्तःकरण कहाँ तक दृढ़ है ? अपनी संस्कृति तथा अपने आदर्शों के प्रति उनकी श्रद्धा कितने स्थिर रूप की है ? उनके राष्ट्र प्रेम की उत्कटता किस श्रेणी की है ? यदि यह स्वाभिमान की टेक व श्रद्धा का सम्बल हमारे पास भरपूर है, तो फिर इस विचार से घबड़ाने का कोई कारण नहीं कि प्रवास बहुत लम्बा है या मार्ग उकताने वाला है।'

- डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार

मूर्खों की बात को अपने ऊपर कोई छाप न डालने दो - श्री माँ

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर शुभ मंगल कामनाएं

भारतीय मजदूर संघ

जिला — मुजफ्फर नगर

4805

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २९वें प्रान्तीय अधिवेशन के
शुभ अवसर पर राष्ट्रभक्त मजदूरों को शुभकामनाएं

कैलाश मोटर्स

जी. टी. रोड, कानपुर

1014

२८वीं पुण्य तिथि पर :

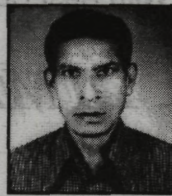

देश एवं समाज के चिंतक स्व. बालादीन जी

- जुग्गीलाल सोनकर, पूर्व नगर अध्यक्ष-भा.म.स.

श्री बालादीन का जन्म १ जनवरी, १९२४ को बस्ती जिले के केशरई नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री दल धम्मन रेलवे में नौकरी करते थे। इनके चार पुत्र थे, बड़े श्री साहब दीन, श्री बालादीन, श्री समयदीन तथा छोटे श्री वासुदेव। आर्थिक विपन्नता के कारण जब कि शिक्षा बहुत मंहगी थी पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। ऐसी स्थिति में पिता श्री दल थम्मन ने काफी त्याग तथा परिवार से अपवाद मोल लेकर बालादीन को पढ़ने के लिए विद्यालय भेज दिया। ये प्रारम्भ से ही कुशल बुद्धि के थे। तथा साहस इनमें कूट-कुट कर भरा था। सन् १९४० में इन्होंने वर्नाक्यूलर (मिडिल) परीक्षा सफलतापूर्वक पास किया। परिवार के लोग इनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। तीन चार साल बड़ी मुश्किल से घर में बिताया। सन् १९४५ में घर छोड़कर कानपुर आ गये और आर्डनेन्स फैक्ट्री में नौकरी कर ली। चूँकि पढ़ने की बड़ी लगन थी, अतः इन्होंने सन् १९५० में हाईस्कूल परीक्षा व्यक्तिगत रूप में पास की। इण्टरमिडिएट की परीक्षा इन्होंने १९५५ में बी.एन.एस.डी. कालेज, कानपुर से पास किया।

सन् १९५८ में आगरा विश्वविद्यालय से बी.ए. की उपाधि ली। पुनः हाई स्कूल की परीक्षा एक विषय (गणित) से सन् १९५९ में पास किया।

सन् १९६१ में महात्मा बुद्ध डिग्री कालेज, कुशीनगर (गया) से बी.एड. की उपाधि ली।

उपर्युक्त सारी उपाधियों को इन्होंने नौकरी के साथ ही साथ लिया। ये नौकरी अवश्य करते थे किन्तु कभी भी इन्होंने नौकर बनकर काम नहीं किया। सदैव स्वतंत्र से अपना कार्य समझ कर काम किया। कभी किसी अधिकारी के अन्याय को इन्होंने सहन नहीं किया, अनवरत संघर्ष करते रहे। इससे अधिकारियों ने इनके व्यक्तिगत लाभों में बाधा डालते हुए इनका प्रमोशन नही होने दिया। सर्विस रिकार्ड को खराब कर दिया गया। इनके साथ के लोग चार्जमैन, फोरमैन तक हो गये। किन्तु ये इस आयु तक केवल एल.डी.सी. तक ही पहुँच पाये। जनरल मैनेजर आर्डनेन्स फैक्ट्री के अन्याय के विरूद्ध इन्होंने काफी संघर्ष किया। एक विभाग जो फैक्ट्री के बाहर स्टेट में था जहाँ कभी ओवर टाइम नहीं चलता था इसको चलाने में इन्होंने जनरल. मैनेजर तक का घेराव किया। अन्त में इनको ससपेण्ड भी कर दिया गया, किन्तु १५ दिन के अन्दर ये पुनः आ गये और स्टेट में ओवर टाइम भी चलने लगा। जनरल मैनेजर जला भुना तो था ही इसी बीच सन् १९६५ में एकाएक ओ.एफ.सी. से ओ.ई.एफ कानपुर में स्थानान्तरण कर दिया। जिसका नाम पहले हार्नेस एण्ड सेडलरी फैक्ट्री था।

आर्डनेन्स इक्विपमेन्ट फैक्ट्री में आने पर भी इन्होंने मजदूरों के हित में काम करना प्रारम्भ किया और हार्नेस फैक्ट्री मजदूर संघ का गठन किया। सबसे पहले हिन्दी का श्री गणेश इस फैक्ट्री में इन्होंने ही किया और शुरू से अन्त तक अधिकारियों से झगड़ा मोल लेकर हिन्दी में ही काम करते रहे। फैक्ट्री गेट पर महीनों प्रतिदिन लगातार भाषण देकर मजदूरों में राष्ट्रीय भावना की चेतना जगाकर संगठित किया।

हिन्दी भाषा के प्रति समर्पित बालादीन जी अंग्रेजी भाषा में लिखी अधिकारियों के नाम पट्टिकाओं (नेम प्लेट) में वार्निस पोत कर राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान का भाव

उन्नति उसकी होती है, जो प्रयत्नशील होता है।

With Best Compliments From :

ATMA RAM AUTO ENTERPRISES

37/1, Agra Delhi Bye Pass Road,
Near Bhagwant Talkies, Agra-5
Phone-Hero Honda, Div. : 2151468, 2150184 :
Mahindra Div. : 2153623, 2522871 Fax. : 2522871 ,
E-mail : atmaraauto@sancharnet.in arae37@sancharnet.in

AUTHORISED DEALER :
MAHINDRA VEHICLES
& HERO HONDA MOTOR CYCLES

4007

राष्ट्रहित, उद्योगहित, मजदूरहितों को ध्यान में रखकर कार्य करने वाले कर्मचारियों को बधाई।

KUNJ FORGINGS

POST BOX NO. - 139, C-177, INDUSTRIAL AREA,
BULANDSHAHAR ROAD, GHAZIABAD-201 001 (INDIA)
PH. : 91-0120-2700799, 91-120-2702210,
FAX : 91-0120-2700757 GRAM : KUNJSONS
E-mail : kunjforg@nde.vsnl.net.in
visit our website at www.kunjforge.com

5005

शुभकामनाओं सहित :–

मारबल इम्पोरियम

आगरा

4006

प्रकट करने में नहीं चूके। स्व. बालादीन जी ने सिद्धान्तों को तोड़कर स्वार्थपूर्ति हेतु कभी भी समझौता नही किया। सिद्धान्तों के प्रति समर्पित बालादीन जी कभी झुके भी नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के सिद्धान्त इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में स्पष्ट देखने को मिलते थे।

तत्कालीन जनरल मैनेजर आर.सी. वर्मा काफी इनसे परेशान था अतः षड्यंत्र रचकर इनको सन् १९६६ में डिस्चार्ज करवा दिया, इसी बीच ईश्वर भी इनसे कुपित हो गया। भयंकर बीमारी में फंस गये और दो साल के बाद इनको स्वास्थ्य लाभ हुआ। रमाकान्त शुक्ल जी भा.म.सं. के प्रयास से अन्त में निर्दोष होकर सन् १९७२ में ये पुनः फैक्ट्री में आ गये। तब से लगातार अपना स्वार्थ त्याग कर सदैव मजदूर, देश, समाज के हित में साहस पूर्वक कार्य करते रहे इस बीच फैक्ट्री की अनेक जटिल समस्याएं जो वर्षों से बिना हल किये पड़ी थीं। इन्होंने हल करवाया। फैक्ट्री का नवीनीकरण इनके अथक परिश्रम का ही फल है। सम्पूर्ण फैक्ट्री समाज इनसे खुश था, ये किसी से मतभेद नहीं रखते थे सैद्धान्तिक हृदय से सारे लोगों को अपना परिवार मानते थे। भारतीय मजदूर संघ कानपुर के आधार स्तम्भ के रूप में थे।

श्री बालादीन जी सदैव देश एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते थे। दिनांक १४ मई १९७५ को प्रातः लगभग तीन बजे लेखक (जुग्गीलाल सोनकर) को अपने छोटे भाई वासुदेव के द्वारा सीधे हैलेट अस्पताल में बुलवाया। अस्पताल में जाकर देखा तो बालादीन जी की अन्तिम सासें चल रही थी। परिजनों ने बताया कि कण्ठ अवरूद्ध है पिछले २४ घण्टे से बोल बन्द है अभी कुछ क्षण पूर्व आपको (जुग्गीलाल सोनकर) याद किया था। पारिवारिक जनों से वार्तालाप के दौरान मेरी आवाज बालादीन के कानों में पहुंची तो धीरे से हाथ उठाकर बैठने का संकेत करते हुए कहा- **'जुग्गीलाल जी देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को सजगता से निभाना"** इतना कहकर पुनः अचेतन अवस्था में हो गये। राष्ट्र एवं समाज के प्रति समर्पण का भाव देखकर मैं स्तब्ध सा हो गया था क्योंकि अन्तिम समय व्यक्ति अपने पारिवारिक जनों की देखरेख या परलोक वास के बाद के भुगतान आदि की जुम्मेदारी सौंपता है। परन्तु बालादीन जी ने इस सबसे हटकर देश एवं समाज की जुम्मेदारी मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि भारतीय मजदूर संघ के समस्त राष्ट्रभक्त मजदूर श्रमिक भाइयों के कन्धों पर डालकर १४ मई १९७५ को यह महामानव चिर निद्रा में प्राप्त हो गया। "तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहें न रहे" 'पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते' को साकार किया। १४ मई को अट्ठाइसवीं पुण्य तिथि पर ऐसे महामानव, राष्ट्र भक्तमहापुरूष के कोटिशः श्रद्धाञ्जलि।

देशभक्ति

'कोई भी भूमि तब तक देश नहीं कहला सकती, जब तक कि उसमें किसी जाति या मातृक ममत्व याने ऐसा ममत्व जैसा पुत्र का माता के प्रति होता है, न हो यही देश भक्ति है।

-पं. दीनदयाल उपाध्याय

चरित्र के बीज बोकर, उद्देश्य की फसल काट लो।

With Best Compliments From :

अच्छी सेहत का राज

अब स्वास्थ्य के लिए परेशान होने की जरूरत नही

आयुर्वेद का

हैल्थ सन®

कैप्सूल एवं टैबलेट

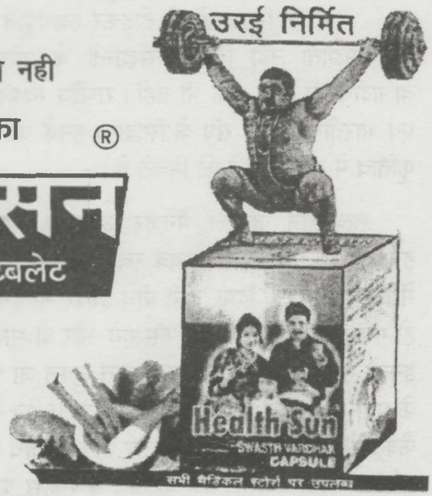

- शारीरिक थकान व मानसिक तनाव को कम कर कार्य क्षमता बढ़ाए।
- भूख लगाये, वजन बढ़ाये व तन्दुरस्ती लाये।
- जोड़ों एवं कमर दर्द में राहत।
- रक्त निर्माण में सहायक।

जीवन ज्योति फार्मेसी, उरई

जिला-जालौन

1104

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर शुभ मंगल कामनाएं

कोहिनूर ज्वैलर्स

आगरा

4008

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का २९वाँ प्रान्तीय अधिवेशन २००३

- वीरेन्द्र कुमार, प्रदेश मंत्री

बरेली! देश एवं प्रदेश के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का २९वाँ प्रान्तीय अधिवेशन दिनांक २ व ३ मार्च २००३ को सरस्वती शिशु मन्दिर, नैनीताल रोड बरेली में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हंसू भाई दवे ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रमाकान्त जी शुक्ल प्रदेश अध्यक्ष ने की।

शिशु मन्दिर परिसर में बने भव्य सभामण्डप में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हंसूभाई दवे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम का प्रारम्भ वन्देमातरम् से करने के पश्चात, वटुकों द्वारा स्वस्तिवाचन किया गया। सभामण्डप में भारतमाता, भगवान विश्वकर्मा एवं बड़े भाई जी के चित्रों पर श्री रमाकान्त जी शुक्ल प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माल्यार्पण किया गया।

भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री तथा उत्तरी जोन के प्रमुख मा० रामदास जी पाण्डेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मा० अख्तर हुसेन, मा० रामदौर सिंह, मा० घनश्यामदास जी गुप्त, का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अधिवेशन में मुख्य अतिथि श्री धर्मपाल सिंह श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उ.प्र. सरकार, श्री सन्तोष कुमार गंगवार केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री ने भी अधिवेशन में अपने विचार रखे।

अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री सुभाष जी पटेल ने अपने स्वागत भाषण में बरेली के गौरवपूर्ण इतिहास पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश में बन्द होते उद्योगों पर भी चिन्ता व्यक्त की।

प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र द्वारा कार्यक्रम की सफलता के लिए प्राप्त शुभकामना, सन्देशों को पढ़कर सुनाया गया। बहन स्मिता चौहान द्वारा प्रस्तुत एकल गीत "विश्व में गूंजे हमारे भारती, जन-जन उतारे आरती, धन्य देश महान! धन्य देश महान!!" ने राष्ट्र हित, उद्योगहित, एवं श्रमिक हित की भावना से कार्य करने वाले प्रतिनिधियों के अन्तस छू रहा था।

उद्घाटन भाषण में श्री हंसूभाई दवे ने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहने का आवाह्न किया। १९९१ में बनाई गई नई आर्थिक नीति पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए उसकी आलोचना की। श्री दवे ने द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ठीक है परन्तु संगठित क्षेत्र के लिए खतरनाक है। अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभ कैसे मिले इसके लिए सजग रहने को कहा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संयुक्त क्षेत्र प्रचारक मा० दिनेश जी ने कार्यकर्ता, उसकी गुणवत्ता, भूमिका व समर्पण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए प्रतिनिधियों को मार्ग दर्शन प्रदान किया। सर्वसम्मति से विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। उद्योगशः समस्याओं के सम्बन्ध में भी विस्तृत विचार विमर्श करके प्रस्ताव पारित किए गए।

अधिवेशन के दूसरे दिन ३ मार्च,२००३ को स्व० राम नरेश सिंह (बड़े भाई जी) स्मृति समिति के तत्वावधान में आयोजित समारोह में मा० हंसू भाई दवे , मा० रामदास जी पाण्डेय, श्री प्रदीप चक्रवर्ती का प्रदेश अध्यक्ष श्री रामाकान्त जी शुक्ल द्वारा शाल एवं श्रीफल भेंट करके सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम दास गुप्त के द्वारा किया गया।

वर्ष २००५ को भारतीय मजदूर संघ की स्वर्ण जयन्ती को धूमधाम से मनाने हेतु कार्य एवं कार्यकर्ता विस्तार आदि की योजना व लक्ष्य बनाए गए। आगामी सत्र (तीन वर्षो) के लिए प्रदेश कार्यकारिणी(पदाधिकारियों) का चुनाव सम्पन्न हुआ।

संभल के रहना देशद्रोहियों, टक्कर हमसे होनी है।

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का
२६वाँ प्रान्तीय अधिवेशन के शुभ अवसर
पर राष्ट्रभक्त मजदूरों को शुभकामनाएं

अजय कुमार मौर्य

इलाहाबाद

6102

अधिवेशन की प्रमुख झलकियाँ

- ६५ वर्षीय वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राजेश्वर दयाल शर्मा द्वारा गीत कहने पर नवयुवकों में उत्साह पैदा हो रहा था।

- सभा मण्डप में भगवान विश्वकर्मा के चित्र के सामने रखा हुआ पीला फूल 'मेरा रंग दे वसनती चोला' अर्थात् 'त्याग' का स्मरण करा रहा था।

- भारतमाता के चित्र के सामने रखे दो फूल 'कर्तव्य एवं अधिकार' को समन्वय एवं सामञ्जस्य रूप में 'तपस्या' की प्रेरणा प्रदान कर रहे थे।

- बड़े भाई जी के चित्र के सामने खिला पुष्प ''इदम् राष्ट्राय, इदमून ममृ'' के साथ-साथ ''तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित की भावना को सशक्त करते हुए 'बलिदान' की भावना को दृढ़

- ''अपने-अपने उद्योगों का, मालिक अब मजदूर बनेगा'' श्रमिकों में आशा एवं उत्साह भर रहा था।

- प्रदेश के श्रममंत्री धर्मपाल सिंह सहित सभी राष्ट्रीय, प्रान्तीय पदाधिकारी पंक्ति में खड़े होकर भोजन ले रहे थे।

- आचार्य नरेन्द्रदेव महिला नगर निगम महाविद्यालय कानपुर की छात्रा कुमारी निर्मला सिंह द्वारा लिखा गया ''कानपुर में भारतीय मजदूर संघ का इतिहास'' लघुशोध प्रबन्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष मा० हंसूभाई को भेट किया गया।

- सन् २००६ में श्री गुरूजी का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाए जाने का संकल्प लिया गया।

- उ.प्र. भारतीय मजदूर संघ के शिल्पकार स्व० बड़े भाई की स्मृति समिति के लिए यह घोषणा की गई कि प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की कार्यसमिति ही इस 'स्मृति समिति' के रूप में भी कार्य करेगी।

- 'वर्तमान परिदृश्य में बड़े भाई की प्रासंगिकता' विषय पर लेख प्रतियोगिता भविष्य में आयोजित करने का संकल्प लिया गया।

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश

Bharatiya Majdoor Sangh Uttar Pradesh

२, नवीन मार्केट, कानपुर २०८००१, दूरभाष २३०४८८१

चुनी गई कार्य कारिणी वर्ष २००३-२००४-२००५

क्र.	पद	नाम व पता	दूरभाष नं०
१.	अध्यक्ष	श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, ५५४/१५८/१, भीमनगर आलमबाग कालोनी, लखनऊ - २२६००१	घर-२४६०६४३ (०५२२) आ- २२७३५८४
२.	उपाध्यक्ष	श्री राजेश्वर दयाल शर्मा, १५/३६६, शहीद भगत सिंह मार्ग, नूरी दरवाजा, आगरा - २८२००१	आ-२२६१०४८ (०५६२)
३.	उपाध्यक्ष	श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र, २ नवीन मार्केट, कानपुर-२०८००१	घर-२२६८७११ (०५१२) आ- २३०४८८३
४.	उपाध्यक्ष	श्री नरेन्द्र सिंह, जनसम्पर्क निरीक्षक, जी.पी.ओ. लखनऊ-२२६ ००१ आवास - ६६ए डाकघर कालोनी, सेक्टर के. अलीगंज, लखनऊ।	घर- २७६३१६१ (०५२२) आ.- २२२५१६७

विशुद्ध जीवन आचरणों से, राष्ट्र नव निर्माण करें।

With Best Compliments from :

दीपक इन्टरनेशनल

आगरा

4005

With Best Compliments from :

मेरी इलेक्ट्रीकल्स

आगरा

4004

With Best Compliments from :

शिवम् पेटावुड प्रोडेक्ट्स

आगरा

4003

With Best Compliments from :

Bansilal & Sons

(A Unit of Bansi Lal Paints Pvt. Ltd.)

***Mfg. of :** Chemical, Paints, Dopes, Solvent Etc.*

***Specialist in :** Aircraft Finishes*

3, G.T. Road, Sahibabad - 201 005

Phone : 2624187, 2627667, 2627668 Fax. : 0120-2627399

5002

५.	उपाध्यक्ष	श्री प्रेमसागर मिश्र	आ.- २२१२४२० (०५२२)
		भा.म.स. ६ नवीन, मार्केट कैसरबाग, लखनऊ-२२६ ००१	घर -२८२१८७४ पी.पी.
६.	उपाध्यक्ष	श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव,	घर - २४३१२५० (०५३२)
		१६६/के/६एम/१एम, ओमप्रकाश सभासद मार्ग	
		कालिन्दी पुरम, इलाहाबाद-२११ ००१	
७.	उपाध्यक्ष	श्री अजय सिंह,	घर - २२६०७५२
		६७६, हुसेनाबाद खारका, विद्युत प्रेषण खण्ड,	
		पो. कचहरी, जिला - जौनपुर - २२२ ००१	आ.- २२६०६३६, २२६०७३६
८.	महामंत्री	श्री देवनाथ सिंह,	
		भा.म.स. एफ ७ नगरमहापालिका	आ.- २४२१६७३ (०५४२)
		क्वाटर्स, पिशाचमोचन, वाराणसी-२२१००१	
९.	मंत्री	श्री अत्रिदेव तिवारी,	आ. - २२१२४२० (०५२२)
		६, न्यू मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ- २२६ ००१	
१०.	मंत्री	श्री रामलोचन उपाध्याय,	९८३७३२६९९२
		भा.म.स. बांसमण्डी, बरेली - २४३ ००१	
११.	मंत्री	श्री वीरेन्द्र कुमार,	९४१२१५२६४७
		भा.म.स. शंकर आश्रम, शिवाजी मार्ग, मेरठ-२५० ००२	आ.-(०१२१)२६३११७, ६४०८८०
१२.	मंत्री	श्रीयुत् श्रीप्रकाश,	आ. - २४६८३६६ (०५३२)
		६ सी.वाई.चिन्तामणि मार्ग, जार्जटाउन, इलाहाबाद- २११ ००१	
१३.	मंत्री	श्री महेन्द्र पाठक, कचहरी बस स्टैण्ड के पास	आ. - २२००८६६ (०५५१)
		भा.म.स. नगर निगम आवास संख्या -५, गोरखपुर-२७३०१२	
१४.	मंत्री	श्री श्रीकान्त अवस्थी	आ.- २३०४८८३ (०५१२)
		२ नवीन मार्केट, कानपुर-२०८ ००१	
१५.	वित्त	श्री रमाकान्त शुक्ल	घर- २३२४४३४ (०५३२)
	सचिव	४६०, फेथफुल गंज, कानपुर - २०८ ००४	आ.- २३०४८८३
१६.	सहवित्त	श्री जी. एस. त्रिपाठी	आ.- २३०४८८३ (०५१२)
	सचिव	२ नवीनमार्केट, कानपुर- २०८ ००१	
१७.	सदस्य	श्री बी.एन. मिश्र	घर- २२२८३८० (०५२२)
		६ न्यू मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ - २२६ ००१	आ. - २२१२४२०
१८.	"	श्री रामसूरत	२२२७४२१ (०५२७)
		१४३, दीक्षा विद्यालय कालोनी	
		(जी.जी.आई के सामने), सिविल लाइन, फैजाबाद - २२४ ००१	
१९.	"	श्री लक्ष्मी नारायन	आ. - २२०८५७५ (०५६२)

राष्ट्र देवोभव, इदम् राष्ट्राय इदम् न मम्

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २९वाँ प्रान्तीय अधिवेशन के शुभ अवसर पर नगर पंचायत फूलपुर जनपद इलाहाबाद की ओर से राष्ट्रभक्त मजदूरों को शुभकामनाएं

१. यह नगर आपका है इसे स्वच्छ रखें।
२. सड़क पटरी तथा नालियों पर अतिक्रमण करें।
३. समस्त देयों का भुगतान समय से करें।
४. नल की टोंटी खुली न छोड़ें।
५. जन्म/मृत्यु का पंजीकरण कराएं।
६. भवन मान चित्र स्वीकृत के पश्चात ही भवन निर्माण करें।
७. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण न करें।

विनय कुमार तिवारी
अधिषासी अधिकारी
फूलपुर, इलाहाबाद

श्रीमती उर्मिला
अध्यक्ष
नगर पंचायत फूलपुर, इलाहाबाद

6101

समस्त सदस्यगण नगर पंचायत फूलपुर

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का २९वाँ प्रान्तीय अधिवेशन के शुभ अवसर पर राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हितों में काम करने वाले कर्मचारियों को हमारी शुभकामनाएं

एम. एम. अग्रवाल

२८६, प्रथम एवं द्वितीय मंजिल
गगन बिहार, दिल्ली - ११००५१
फोन कार्यालय : (०११) २२४६६६३५
फोन (आवास) : (०११) २२४१३६७४, २२२०६८७१

5008

		भारतीय मजदूर संघ कार्यालय निकट रेलवे स्टेशन मधुपुरा, अलीगढ़ - २०२ ००१	घर - २४०७५११ (०५६२)
२०.	"	श्री जगदीश बाजपेयी ४, सुभाष मार्केट, रमतेराम रोड, गाजियाबाद - २०१ ००१	आ. - २४७६१४६ (०१२०) २७६०४८६
२१.	"	श्री शंकर लाल १५/३६६, भगत सिंह मार्ग, नूरी दरवाजा, आगरा - २८२ ००१	आ. - २२६१०४८ (०५६२)
२२.	"	श्री अरुण गर्ग ३५/५, शालिमार इनक्लेव, कमला नगर, आगरा - २८२ ००१	आ. - २३८२२२१ (०५६२)
२३.	"	श्री लल्लन शुक्ला एम.आर.के.एस. कार्यालय, दीनदयाल नगर (भारतमाता मन्दिर के पास), झांसी - २८४ ००१	२४७२१३५ (०५१७) २४८२४७१ पी.पी.
२४.	"	श्री रामकृष्ण गुप्ता भा.म.स. एफ ७, नगरमहापालिका क्वाटर्स पिशाचमोचन, वाराणसी - २२१ ००१	आ. - २४२१६७३ (०५४२)
२५.	"	श्री जय प्रकाश वर्मा जीवन बीमा निगम कार्यालय, गाजीपुर - २३३ ००१	
२६.	"	श्री वशिष्ठ पाठक कार्यालय निर्माण विभाग मध्य पूर्व रेलवे मुगल सराय, चन्दौली-२३२ १०४	
२७.	"	श्री शेखर कुमार यादव एडवोकेट ४७६/२६६, कृष्णा नगर, कीटगंज, इलाहाबाद-२११ ००१	घर-२५५७३०२ (०५३२)
२८.	"	श्री प्रदीप अग्रवाल डी.आर.एम. आफिस एकाउन्ट सेक्शन (पेन्सन सेल), इलाहाबाद	घर - २६१५३३१ (०५३२)
२९.	"	श्री बेचन सिंह ४८, ए चक रघुनाथपुर खुराना मार्केट, नैनी, इलाहाबाद - २११ ००८	२६६८२४२ (०५३२)
३०.	"	श्री गंगा विष्णु शुक्ला ७२८ हेकारी कोठी, सिविल लाइन्स, रायबरेली-२२९ ००१	घर - २२०८४४३ (०५३२) आ० - २७८७२५९
३१.	"	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह आदर्श डिस्टलरी कर्मचारी संघ फँसपिपसन, रोजा, शाहजहाँपुर-२४२ ००१	
३२.	"	श्री सुधीर त्यागी (१) किसान सहकारी चीनी मिल मजदूर संघ, नानौता सहारनपुर-२४७ ००१ (२) शिक्षक नगर कालोनी निकट धर्मशाला देवबंद, सहारनपुर।	घर-२२४७५३ (०१३३६)
३३.	"	श्री जे.पी.एस. सिसोदिया व्रज चिकित्सा संस्थान, दरेसी रोड, मथुरा-२८१ ००१	घर - २४१३७३३ (०५६५) आ. - २४०५९५४

'सत्यमेव जयते नानृतम्' सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं'

With Best Compliments from :

DAYA SUGAR

A Unit of Daya Engineering Works (Sleeper) Ltd.

FACTORY :
P. O. : Gagalheri
Distt. : Saharanpur-247001 (U.P.)
Tel. : 0132-2785516
Tel & Fax. : 0132-2785517

4803

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर शुभकामनाएं

कैल्सियम कार्बोनेट के निर्माता

गुलशन शुगर एण्ड केमीकल्स लि.

मुजफ्फर नगर

4804

३४.	"	श्री नरेन्द्र बाजपेयी बी.एच.ई.एल मजदूर संघ कार्यालय निकट सामुदायिक केन्द्र टाउन शिप कालोनी जगदीशपुर सुल्तानपुर - २२७ ८०६	२७७३७६ (०५३३६)
३५.	"	श्री अवधेश कुमार शर्मा १८४/४, बाबू पुरवा कालोनी, किदवई नगर, कानपुर।	
३६.	"	श्री राजीव शर्मा ११०, तक्षशिला कालोनी गढ़रोड, मेरठ - २५० ००२	२७६४९८६ (०१३२)
३७.	"	श्री राजेश्वर सिंह महामंत्री - को आपरेटिव बैंक इम्प्लाईज यूनियन ५६/६, शास्त्री नगर, मेरठ - २५० ००१	
३८.	"	श्री सी.एन. सिंह ५७०/२३८, ए - गोपालपुरी आलमबाग, लखनऊ - २२६ ००१	घर - २४५८३०२ (०५२२) आ. - २२७३५८४
३९.	"	श्री पवन कुमार श्रीवास्तव महामंत्री उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ टाइप ।।। ५९२ अनपरा तापीय परियोजना कालोनी पो० - अनपरा, जिला-सोनभद्र।	
४०.	"	श्री अशोक कुमार शुक्ला ८, सी बादशाह नगर रेलवे कालोनी, लखनऊ-२२६ ००६	आ. - २३८२०६० (०५२२) पी.पी. कार्यालय - २२२३८२४
४१.	"	श्री देवेन्द्र सिंह भा.म.स. ६ नवीन, मार्केट कैसरबाग, लखनऊ - २२६ ००१	२२१२४२० (०५२२)
४२.	"	श्री अम्बिका प्रसाद सिंह २ नवीन मार्केट कानपुर - २०८ ००१	आ. - २३०४८८३(०५१२)
४३.	"	श्री ओ. पी. दीक्षित ४९८/३, शास्त्री नगर कानपुर - २०८ ००५	घर - २२२१०५८ (०५१२)
४४.	"	श्रीमती आशा सक्सेना १२४/१६, सी ब्लाक, गोविन्द नगर, कानपुर।	घर - २६५२१९७ (०५१२)
४५.	"	श्रीमती कैलाश त्रिपाठी ६/१३३, भा.म.स. रामनाथ देवरिया, जिला- देवरिया - २७३१२६३	
४६.	"	श्रीमती मुनव्वर जहाँ द्वारा सैयूयद मिसारूल हक एस ३/१५२, डिढ़ोरी मोहाल, अर्दली बाजार, वाराणसी - २२१ ००१	२३४५१२७ (०५४२)
४७.	"	श्रीमती उर्मिला यादव द्वारा शमशाद खान एस ३/१५२, मस्जिद के सामने, अर्दली बाजार, वाराणसी - २२१ ००१	

भारत माता है नाम काल की गति का नव निर्माणों का

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर शुभकामनाएं

चित भी आपकी और पट्ट भी आपकी

निश्चित लाभ

एल आई सी की

आजीवन सुरक्षा

जीवन रेखा

तालिका क्र. 152

मनी बैंक और आजीवन बीमा पॉलिसी का एक अनोखा मेल

भारतीय जीवन बीमा निगम

जिन्दगी के साथ भी, जिन्दगी के बाद भी

गोरखपुर - मण्डल

हम जाने भारत को बेहतर

2307

भारतीय मजदूर संघ, के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं

मे० त्रिवेणी इन्जीनियरिंग

एण्ड

इण्डस्ट्रीज लि०

रामकोला, जिला-कुशीनगर

2202

४८.	”	श्रीमती उषा तिवारी द्वारा श्री कमलेश तिवारी ग्रा० व पोस्ट अमौली, फतेहपुर - २१२ ६०१	पी.पी. २२५४२५१ (०५१८१)
४९.	”	श्रीमती शान्ति तिवारी द्वारा श्री राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा बेलतर, मिर्जापुर - २३१ ००१	

विशेष आमंत्रित सदस्य

५०.	आमंत्रित सदस्य	श्री गिरीश अवस्थी २ नवीन मार्केट, कानपुर - २०८ ००१	घर - २५७१८११ (०५१२) आ. - २३०४८८३ (०५१२)
५१.	”	श्री अख्तर हुसैन ३००, शेखसराय, बुलन्द शहर - २०३ ००१	घर - २५२१५१ (०५७३२)
५२.	”	श्री रामदौर सिंह ६ न्यू मार्केट कैसरबाग, लखनऊ - २०६ ००१	आ. - २२१२४२० (०५२२)
५३.	”	श्री घनश्याम दास गुप्ता मो. लाजपत राय शामली, मुजफ्फर नगर - २४७ ७७६	घर - २२५१६४१ (०१३६८)
५४.	”	श्री डा. गजेन्द्र पाल शर्मा १४२ बेला मार्ग विष्णुपुरी, अलीगढ़ - २०२ ००१	घर - २५०६१६२ (०५७१२)
५५.	”	श्री एम.पी. सिंह २, नवीन मार्केट, कानपुर - २०८ ००१	आ. - २३०४८८३ (०५१२)
५६.	”	श्री गिरीश आर्या ११/७७०, वसुन्धरा, गाजियाबाद - २०१ ०१०	घर - २८८०७७० (०१२०)
५७.	”	श्रीमती अनीता कौसिक बी. १६०, गली न० ७ हरदेवपुरी, साहदरा दिल्ली-११० ०३२	घर - २२१११७६० (०११) २४६१६५५१

सम्भाग प्रमुख

क्रमांक	सम्भाग प्रमुख	सम्भाग	सम्भाग के अन्तर्गत क्षेत्र
१.	श्री महेन्द्र पाठक	गोरखपुर	आजमगढ़ व गोरखपुर
२.	श्री श्रीप्रकाश	वाराणसी	इलाहाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी
३.	श्री अत्रिदेव तिवारी	लखनऊ	फैजाबाद व लखनऊ
४.	श्री श्रीकान्त अवस्थी	कानपुर	झाँसी व कानपुर
५.	श्री रामलोचन उपाध्याय	आगरा	अलीगढ़, आगरा व बरेली
६.	श्री वीरेन्द्र	मेरठ	गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ व मुरादाबाद

संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो

With Best Compliments from :

DURO Supreme

Regid Pvc Casing Pipe,astm &
*Stainer **Maldahiya** Varanasi*

Ph. (Office) : 2404627 (0542), Fact.: 283334 (05450), Resi. : 2357802 (0542)

DURO Supreme

HIGH QUALITY P.V.C. PIPE

7108

With Best Compliments from :

VISHAL SWEET & BAKERS

(Sweet, Bakers & Confectioners)

Specialist in : Birthday Cake, Sweets & Namkeen

Sigra (Mahmoorganj Road),
Varanasi, Phone : 2363810

7107

राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हितों में काम करने वाले कर्मचारियों को शुभकामनाएं

पसन्द

प्लाईवुड प्रा० लि०

निर्माता - प्लाईवुड एवं ब्लाक बोर्ड

निकट हिन्डन रिवर मिल्स, डासना, गाजियाबाद

फोन : २७६५०६५

5010

क्षेत्र

क्र.	प्रमुख	क्षेत्र	क्र.	प्रमुख	क्षेत्र
१.	श्री महेन्द्र पाठक	गोरखपुर व आजमगढ़	२.	श्री रामकृष्ण गुप्ता	वाराणसी
३.	श्री प्रकाश	इलाहाबाद	४.	श्री रामसूरत	फैजाबाद
५.	श्री अत्रिदेव तिवारी	लखनऊ	६.	श्री श्रीकान्त अवस्थी	कानपुर
७.	श्री लल्लन शुक्ल	झाँसी	८.	श्री लक्ष्मीनारायन	अलीगढ़
९.	श्री शंकरलाल	आगरा	१०.	श्री रामलोचन उपाध्याय	बरेली
११.	श्री वीरेन्द्र	मेरठ, मुरादाबाद व सहारनपुर	१२.	श्री जगदीश बाजपेयी	गाजियाबाद

उद्योग प्रमुख

क्रमांक	प्रमुख	उद्योग
१.	श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र	जीवन बीमा, साधारण बीमा सभी बैंक (ग्रामीण बैंक, कोआपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक) यू०पी०एफ०सी० पिकप श्रमिक शिक्षा
२.	श्री प्रेम सागर मिश्र	कृषि व ग्रामीण मजदूर, बीड़ी प्लांटेशन, स्वास्थ रक्षक, मत्स्य पालन, चर्म वन ईट भट्ठा, बुनकर, आँगन-बाडी पूरा असंगठित क्षेत्र
३.	श्री नरेन्द्र सिंह	रेल, प्रतिरक्षा, पोस्टल, दूरसंचार क्वायंस एण्ड करेंसी सरकारी कर्मचारी (केन्द्र व राज्य) एवं राष्ट्रीय परिसंघ
४.	श्री अजय सिंह	सिंचाई व राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद
५.	श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव	स्वदेशी जागरण मंच, सर्वपंथ समादर मंच व पर्यावरण।
६.	श्री राजेश्वर दयाल शर्मा	साहित्य व प्रकाशन
७.	श्री बी. एन. मिश्र	स्थानीय निकाय (स्वायत्त शाषी)

नोट :

(१) श्री बेचन सिंह- असंगठित क्षेत्र का कार्य सहायक के रूप में करेंगे। विशेष रूप से बीड़ी ईंटभट्ठा, बुनकर व कांस्ट्रक्शन मजदूर की ओर विशेष ध्यान।

(२) श्री घनश्याम दास गुप्त- (अ) स्व. रामनरेश सिंह (बड़े भाई) स्मृति समिति
(ब) भा.म.स. इतिहास संकलन व लेखन।
(स) अचल सम्पत्ति।

(३) श्री रमाकान्त शुक्ल- श्रम कानून (विधि प्रकोष्ठ)

(४) श्रीकान्त अवस्थी व श्री जी.एस. त्रिपाठी अगली व्यवस्था होने तक प्रदेश कार्यालय व श्रम विभाग का भी काम

(५) श्री देवेन्द्र सिंह- लखनऊ कार्यालय का कार्य।

देवनाथ सिंह
महामंत्री

राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाये विश्वकर्मा जयन्ती में

With Best Compliments from :

VIROLA INTERNATIONAL

(UNIT - 2)

AGRA

4002

With Best Compliments from :

OUR VISION

ZERO ACCIDENT - ZERO POLLUTION

KESAR ENTERPRISES LIMITED

Manufacturer of : White Crystal Sugar & Alcohol

BAHERI-243201

DISTRICT - BAREILLY U.P.

Gram : Kesar-Baheri
Tel No. : 05822-223692-94
Fax. No. : 05822-223697

Head Office :

Oriental House 7, Jamshedji Tata Road, Churchgate
Mumbai - 400 020

4201

सांस्कृतिक संकट से पर्यावरण खतरे में

- *गिरिश चन्द्र श्रीवास्तव*

आज हमारा जीवन सुविधाओं के जाल-जंजाल में जकड़ गया है। ये सुविधाएं हर आदमी की दिनचर्या को थोड़ा आरामदायक बना रही हैं। आराम की इस आदत के कारण सुविधाएं अच्छी लगने लगी हैं और आदमी प्रकृति से दूर चला गया। प्रकृति पीछे छूट गई है। आदमी सुविधाभोगी बनकर साधनों का गुलाम बन गया है और साधनों के अंबार में कहीं दब गया है। साधन भारी पड़ने लगे हैं एवं आदमी छोटा दिखने लगा है।

साधनों की अपनी भी एक संस्कृति होती है। एक साधन के पीछे दूसरा साधन आता है। दूसरे साधन का आना पहले साधन की अनिवार्यता होती है। इसी अनिवार्यता के कारण बाजार विकसित होते हैं। मंडियां बनती हैं और मंडियों में बोल-बाला सदा पैसे का होता है। मोलभाव का मूल आधार मुद्रा होती है। पूंजी होती है। पूंजी की इस बाजारू संस्कृति के वर्चस्व में आदमी सदा अदना होता है। उसका कोई मूल्य नहीं होता। होता भी है यदि कुछ, तो वह घटता रहता है, बढ़ता नहीं।

इस प्रकार हम आज संकट से गुजर रहे हैं। एक तरफ प्रकृति से कटकर, सुविधाभोगी बनकर, पंगु हो रहे हैं और दूसरी तरफ मंडियों के बीच खड़े होकर अपने को मूल्यवान बनाने की बजाय मूल्यहीन बना रहे हैं। यह मूल्यहीनता एक तरह से हमें मूल्यविहीन भी बना रही है। यही मूल्यविहीनता हिंसा, नफरत और क्रूरता के रूप में जब-तब मुखरित होती रहती है। मात्र मुखरित ही नहीं होती बल्कि हमें चुनौती देती रहती है। यही चुनौती आदमी को किंकर्तव्यविमूढ बनाती है और वह आदर्शों की बात करना भूल जाता है। आदर्श उसे पराए लगने लगते हैं। आदर्श और व्यवहार की दलील देने वाले तमाम लोग इंसानियत की इस मूल्यविहीनता को व्यक्त करते रहते हैं। करुणा-मैत्री, शांति-अहिंसा, और सत्य जैसे मूल्यों को खोकर जब आदमी अदना बनता है तभी वर्तमान सभ्यता के सामने एक नया संकट खड़ा होता है। यह मूल्यों का संकट है। इसे हम सांस्कृतिक संकट भी कह सकते हैं।

इस सांस्कृतिक संकट में प्रकृति भी खतरे में है और आदमी भी। ऐसे में हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली चुनौती है आदमी की अस्मिता की पुनः स्थापना करने की। दूसरे चुनौती है प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा की। ऐसी दोहरी चुनौती का समना हम बिना अपनी जड़ों से जुड़े नहीं कर सकते। हमें अपनी परंपरा से जुड़ना होगा। अपनी नींव को तलाशना होगा तथा उसकी मजबूती के सहारे नए कल्प की कामना करनी होगी।

'जो उद्योग को छोड़कर भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, वे अपने ही दुश्मन हैं, और अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर डालते हैं।'

- महर्षि वशिष्ठ

स्वदेशी अपनाऐ, संस्कृति बचायें

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर शुभकामनाएं

दी महावीर जूट मिल्स लि०

सहजनवाँ, गोरखपुर

2305

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर शुभकामनाएं

इंडियन हर्ब्स रिसर्च एण्ड सप्लाई कम्पनी लिमिटेड

शारदा नगर, सहारनपुर

4802

बदलती नवीन परिस्थितियों में औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ

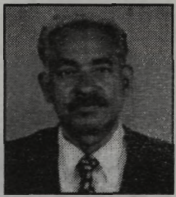

- सुखदेव प्रसाद मिश्र, उपाध्यक्ष-भा.म.स.

आज जब विश्व में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हों, चिन्ताएं गहन व अनिश्चितताएं अंतहीन हों, तब औद्योगिक संबंध व श्रम संघों की भूमिका व नई चुनौतियों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। वर्ष १९५६ में शिमला में सम्पन्न राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्व राष्ट्रपति मा० वी.वी.गिरि ने कहा था "श्रमिकों के लिए एडजुडिकेशन व लेबर लॉ बहुत बड़ा खतरा है, द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा समस्याओं का समाधान होना चाहिए।" उनके इस कथन के पीछे मधुर औद्योगिक संबन्धों की ही परिकल्पना थी। आज की नवीन एल.पी.जी संस्कृति अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीयकरण के कारण उत्पन्न परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिन बिन्दुओं पर गहन चिन्तन और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है वे हैं:-

अ- कार्य, कामगार (श्रमिक) और कार्यबल
ब- प्रबन्धकीय व्यवस्था
स- श्रम संघों का आंदोलन
द- सरकार की भूमिका।

औद्योगिक सम्बन्धों की महत्ताः-

अपने देश में मधुर औद्योगिक सम्बन्धों का विवरण शुक्रनीति में मिलता है औद्योगिक संम्बन्घ से हमारा तात्पर्य श्रमिक एवं नियोक्ता के बीच सम्बन्ध से है और इसी सम्बन्ध के अध्ययन की दिशा में नई पहल और नया दृष्टिकोण अपनाने की सामयिक की आवश्यकता है। एक तरफ कामगार और श्रमिक संगठन हैं, तो दूसरी ओर प्रबन्धक और नियोक्ता प्रबन्ध व्यवस्था के अंग है। जो दोनों एक दूसरे के विपरीत सोचते हैं। इसके साथ ही राज्य, अर्थ व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर इन औद्योगिक सम्बन्धों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है।

एक सुदृढ़ औद्योगिक सम्बन्ध का आधार वह वातावरण है जिसमें उत्पादन और उत्पादकता दोनों में निरंतर प्रवाह बना रहे, साथ ही श्रमिकों और नियोक्ता-दोनों की संमृद्धि में वृद्धि हो और औद्योगिक लोकतंत्र की अवधारणा का सम्यक विकास हो सके।

भारत में वैश्वीकरण के कारण आर्थिक नीतियों, कार्य प्रणाली, और आर्थिक परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है जिसका असर अर्थ व्यवस्था में दिखाई देता है। हमारी अर्थ व्यवस्था में घरेलू और विश्व बाजार के लिए खुली प्रतिद्वन्द्विता/प्रतियोगिता का समय आ गया है और इसका सामना करने के लिए श्रमिक और नियोक्ता में परस्पर सहयोग अत्यन्त आवश्यक है।

यद्यपि जुलाई सन् १९९१ से प्रारम्भ किए गए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक सम्बन्धों में तनाव की स्थितियां कतिपय क्षेत्रों में देखने को आई हैं, क्योंकि आर्थिक सुधारों के प्रावधान श्रमिक हितों के विरुद्ध हैं। निजी संगठित क्षेत्रों में श्रमिक संगठनों की घटती शक्ति और विशेष रूप से कुछ 'हाई टेक' उद्योगों में श्रमिक संगठनों की एक तरह से सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता में कमीं का एक कारण प्रबन्धकों के हावी होने और इस दिशा में सरकार की निष्क्रियता एवं उदासीनता है। जाहिर है, कि इस प्रकार की परिस्थिति में व्यापार जगत

'गाय की रक्षा, देश की रक्षा, गौ प्रधान कृषि, कृषि प्रधान देश

With Best Compliments from :

UTSAV

SINGLE SUPER PHOSPHATE

16% W. S. P_2O_5
12% SULPHUR &
21% CALCIUM

BEST SUITABLE FOR ALL CROPS

Manufacturer

SHRINIWAS FERTILIZERS LIMITED

Goramachhia, Kanpur Road, Jhansi - 284121 (U.P.)

Phone : 2320202, 2321160 Fax. : 0517-2320096

1101

(A MEMBER OF ***KHAITAN CHEMICALS & FERTILIZERS*** GROUP)

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर हार्दिक शुभकामनाएं

अवध फ्रेन्ड कैरियर

डीघा बाई पास, खलीलाबाद
संत कबीर नगर (उ० प्र०)

2501

को तो फायदा होगा लेकिन यह फायदा दीर्घकालिक नहीं होगा। दीर्घकालिक लाभ के लिए तो यही आवश्यक होगा कि इसमें श्रमिक और प्रबन्धकों के बीच समुचित भागीदारी और आपसी विश्वास बढ़े यही एक ऐसा उपाय है जिससे उत्पादकों को आज विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों से निपटने, मांग के ढांचे को बदलने और औद्योगिक ढांचों को चुस्त दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। औद्योगिक सम्बन्धों के भावी परिदृश्य को इस दृष्टि से समझने की आवश्यकता है।

२.(अ) कार्य, कामगार और कार्यवल में बदलाव :-

आज रोजगार अथवा कार्य की प्रकृति बदल रही है। आज हमारे यहां अंशकालिक आकस्मिक, और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है जो असंगठित क्षेत्र में है। इसके विपरीत संगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या भी कम हो रही है। इसके अलावा कार्य की प्रकृति में भी काफी बदलाव आया है उदाहरण के लिए नीली कालर संस्कृति पर आधारित कार्यकुशलता का, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य में परिवर्तन। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि कार्य संस्कृति में आए इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आज के संदर्भों में हम कामगारों के ति नया दृष्टिकोण अपनाएं।

वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और उच्च य प्रतिस्पर्धा के कारण आज उद्योग जगत में ऐसे क उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कम लागत, यिता और ऊँचे दरजे की प्रतिस्पर्धा जैसे लक्ष्य की हो सके। लेकिन इन सबका दुष्प्रभाव श्रमिकों पर पड़ ड़ और रोजगार के अवसरों में लगातार कमी आ रही थ ही श्रमिक संघों की सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता ी ह्रास हो रहा है। यह बहस का विषय हो सकता है ऐसे उपायों के कारण होने वाली छंटनी अथवा गारी का असर अल्पकालिक होगा और आगे चल कर इन उपायों से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। लेकिन विकसित देशों में किए गए कुछ अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक सुधारों के लिए किए गए उपायों से रोजगार के अवसरों में कोई गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई है।

इसके अलावा कार्यवल में भी समय के साथ-साथ व्यापक परिवर्तन हुआ है। साक्षरता, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के कारण अर्थव्यवस्था में कार्यवल की प्रकृति में भी भारी बदलाव आया है। अब नीली कालर वाले मजदूरों की संख्या घटी है और शिक्षित, प्रशिक्षित और हुनर वाले तकनीकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था में माहिर कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और इसी के साथ सफेद कालर वाले श्रमिक संगठनों का उद्‌भव और विस्तार भी तेजी से हो रहा है।

(ब) नियोक्ता/प्रबन्धकों के रुख में बदलावः-

पिछले दशक से प्रबन्धकीय व्यवस्था में भी काफी बदलाव हुए हैं। प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच बड़े पैमानों पर अन्तर्विरोध और हड़तालों तथा तालाबन्दी की बढ़ती घटनाएं यह संकेत करती हैं कि प्रबन्ध व्यवस्था का प्रभुत्व बढ़ा है। प्रबन्धकीय व्यवस्था में आए बदलाव का परिणाम यह हुआ है कि श्रमिकों की मजदूरी घटी हैं। यही नहीं श्रमिक कानूनों से बचने तथा काम रोकने सम्बन्धी प्रबन्धकीय उपायों में परिवर्तन का ही यह असर है कि अस्थाई एवजी, और आकस्मिक मजदूरों की भरती प्रबन्धकों द्वारा की जा रही है। अपने उत्पादों को स्वयं न बना कर उन्हें अन्य छोटे उद्योगों से बनवाकर उत्पादक/श्रम बचाने की तकनीक का सहारा लेकर रोजगार के अवसरों अथवा कार्यभार को कम करते जा रहे हैं। यही नहीं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, अपने उत्पादक इकाइयों को दूसरे क्षेत्रों में ले जाने तथा भ्रष्ट उपायों जैसे हथकंडे अपनाने की प्रवृत्ति भी उत्पादकों में बढ़ रही है।

देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें

With Best Compliments from :

SARAYA GROUP OF COMPANIES

SARAYA INDUSTRIES LIMITED

REGD. OFFICE : 302 THAPAR ARCADE, 47 KALU SARAI

Behind Azad Apartment, Hauzkhas, New Delhi - 110016

Plant : P. O. Sardarnagar, Distt. : Gorakhpur, U.P.

- SARAYA SUGAR MILLS • SARAYA DISTILLERY • ROADWAYS INDIA
- SARAYA AVIATION PVT. LTD. • PEREGRINE SARAYA ORGANICS PVT. LTD.
- HAZEL PROPERTIES PVT. LTD.

Manufacturer of :

- Quality Sugar for Domestic & export consumption.
- Extra Neutral Alcohol (Export Quality) & Industrial alcohol, through latest technology available around globe.
- Quality country liquor supplying to around 38 district in U.P.
- Quality Indian made foreign Liquor with tie-up arrangement in various states.
- IMFL botting arrangement with Mc. Dowell & Co. Ltd.
- Bio-Compost fertilizer with brand name of KRISHI LAXMI Having High nutritional value.
- Air Charter business.

2302

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर शुभकामनाएं

शुद्ध, स्वच्छ एवं सफेद दानेदार चीनी के निर्माता

दी यूनाइटेड प्रोविन्सेज सुगर कम्पनी लि०

पो०-सेवरही, जिला-कुशीनगर (उ. प्र०)
पिन-२७४ ४०६

2201

स्पष्ट है कि ये सारे उपाय प्रबन्धकों की इस इच्छा का ही परिणाम है कि उनका कार्य तथा कार्य आवंटन और कार्यवल लगाने के अधिकर पर पूरा नियंत्रण हो। प्रबन्धकों का तर्क है कि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये सभी उपाय लागू करना उनका अधिकार है।

(स) श्रम संघ/श्रमिक आन्दोलनों में बदलावः-

आजादी से पहले, हमारे देश में श्रमिक आन्दोलन, आजादी की लड़ाई से प्रभावित था। सन् १९४७ के बाद श्रमिक आन्दोलन ने कई सफलताएं अर्जित की। श्रमिक आन्दोलन का ही यह परिणाम हुआ कि संगठित क्षेत्र में मजदूरों को शोषण से मुक्ति मिली और एक मजबूत श्रमिक शक्ति का विकास हुआ। श्रमिक संगठन श्रमिकों को संगठित करने में सफल हुए। मजदूर आन्दोलन ने औद्योगिक विवादों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाई और देश में औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली को भी व्यापक स्तर पर प्रभावित किया।

यद्यपि श्रमिक आंदोलन की यह कह कर आलोचना भी की जाती है कि इसने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रखा। इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती रही है कि निचले स्तर पर रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन करने में आंदोलन ने कोई भूमिका नहीं निभाई। यही नहीं, इस आंदोलन पर 'श्रम तानाशाही' पैदा करने का आरोप भी लगाया जाता है जिसके कारण औद्योगिक लागत तथा पूंजीगत निवेश में वृद्धि हुई है। इन सभी कारणों से औद्योगिक सम्बन्धों में सामाजिक भागीदार के रूप में श्रमिक संघों की भूमिका कमजोर हुई है।

इसके अतिरिक्त ऐसी स्वतंत्र ट्रेड यूनियनें जो किसी भी अखिल भारतीय फेडरेशन से सम्बद्ध नहीं हैं, अथवा राजनीतिक प्रतिबद्धता, जाति, क्षेत्र आधारित ट्रेड यूनियनें या फिर ऐसी यूनियनें जो बात बात पर अनावश्यक रूप से निरन्तर संघर्ष करती रहती हैं। वे ट्रेड यूनियन एकता, सौदोबाजी क्षमता और सदस्यता अभियान को कमजोर करती है इससे देश में औद्योगिक सम्बन्धों का परिदृश्य विषाक्त हुआ है।

आर्थिक सुधारों के लिए व्यापारिक वातावरण में बदलाव के लिए जो उपाय किए गए हैं, उससे श्रमिक आन्दोलन कमजोर पड़ा है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। रोजगार के अतिरिक्त अवसर यदि कहीं सृजित भी किए गए हैं तो वह भी असंगठित क्षेत्र में ही, और उनकी यूनियनों से कोई सम्बद्धता भी नहीं है। उद्योगों की रुग्णता, जिसके कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई है, एक बड़ी समस्या है जिसका सामना यूनियनों को करना पड़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सी इकाइयों का सरकार द्वारा निजीकरण करने और उद्योगों में श्रमिकों की छटनी की वजह से श्रमिक संगठनों की समस्यायें बढ़ी हैं। शीर्ष स्तर पर उत्पादकता तथा लाभ सम्बन्धी समझौते से शीर्ष यूनियनों की शक्ति बढ़ती है। उदाहरण के लिए, यह कहा जा रहा है कि जब ५६ निजी व्यापारिक बैंक हैं, वहां ५६ वेतन समझौते होंगे और शीर्ष बैंक यूनियन ५६ टुकड़ों में बंट जाएगी(टी चक्रवर्ती-१९९६) स्पष्ट है कि शीर्ष यूनियन की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी और अलग-अलग स्तरों पर किए गए समझौतों से शीर्ष यूनियन की शक्ति क्षीण होगी।

निष्कर्ष यही है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन अस्सी के दशक तक बहुत प्रभावशाली रहा लेकिन इसके बाद इसकी शक्ति निरन्तर घटती गई और औद्योगिक सम्बन्धों में सामाजिक भागीदारी कम होती चली गई।

(द) सरकार की भूमिका में बदलावः-

औद्योगिक सम्बन्धों में सरकार अथवा राज्य की भूमिका में आधार भूत बदलाव आया है। स्वतंत्रता के बाद

न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी।

With Best Compliments from :

MOHAN MEAKIN LIMITED
LUCKNOW

3006

With Best Compliments from :

KAMLAPUR SUGAR & IND. LTD.

KAMLAPUR
Distt. : SITAPUR
Phone : 05864-232291 to 94

3104

सन् १९८० तक सरकार औद्योगिक सम्बन्धों में बहुत गहरी दिलचस्पी लेती थी। यही नहीं मजदूर हितों के लिए भी सरकार बहुत संवेदनशील थी। सरकार की ओर से ऐसे किसी भी कदम का विरोध किया जाता था जिसके कारण कोई औद्योगिक संस्थान की इकाई बंद हो या कर्मचारियों की छटनी की स्थिति आए। लेकिन सन् १९८० के बाद से स्थितियां लगातार बदलती जा रही है और सरकार की भूमिका भी बदलती जा रही है। यह कहना अनुचित न होगा कि विश्वबैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबावों में सरकार श्रमिक हितों की विरोधी बन गई और वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों ने सेवायोजकों को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया है।

जुलाई १९९१ में सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई और उसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार की भूमिका में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने श्रमिक अशान्ति को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की है। नवम्बर सन् १९९६ में कलकत्ता के उत्तर माध्य और दक्षिण भाग से हाकरों को वामपंथी सरकार द्वारा खदेड़ा गया (इकानामिक टाइम्स २६.११.९६)। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा बड़े भारतीय फर्मो द्वारा बिना किसी विरोध के अपने कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई। यद्यपि,राज्य ने कभी स्पष्ट रूप से इन फर्मो की छटनी नीति का समर्थन नहीं किया, लेकिन इतना तो तय है कि इसने सार्वजनिक संस्थानों को छोड़कर कभी भी इन संस्थानों की छटनी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

न्याय पालिका की भूमिका इस प्रकार के मामलों में महत्वपूर्ण है। केरल हाईकोर्ट ने बन्द तथा जुलूस निकालने सम्बन्धी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस प्रकार के बन्द तथा जुलूसों से नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है (इ. एक्सप्रेस १३.११.९७) हाकरों से सम्बन्धित मामले में यद्यपि, अदालत का निर्णय उनके अनुकूल नहीं रहा, लेकिन तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायपालिका की औद्योगिक सम्बन्धों में कोई सक्रिय भूमिका है।

एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां सरकार को ज्यादा प्रभावी होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। वह क्षेत्र है श्रमिक कानून बनाने और उसे क्रियान्वित करने का। औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक वर्ष १९७८ और वर्ष १९८८ में दो बार चर्चित होकर समाप्त हुआ। श्रम से सम्बन्धित कानूनों का एक पिटारा है, लगभग १५० कानून-एक प्रकार का जंगल। न्यूनतम मजदूरी कानून १९४८ जैसे कानूनों का कार्यान्वयन भी संतोषजनक नहीं हो रहा है। औद्योगिक सम्बन्ध विषयक कुछ कानून ऐसे हैं जो एक दूसरे को "ओवर लैप" करते हैं।

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन व 'छतरी कानून' बनाने की पहल तो हुई परन्तु इनका हश्र भी पूर्व जैसा ही होता दिख रहा है।

सरकार की मशीनरी भी औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने की प्रक्रिया में कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा रही है। श्रम सम्बन्धी विवादों को निपटाने में सरकारी मशीनरी मंथर गति से मामलों को लटकाने और न्यायिक समाधान के लिए पक्षों को उकसाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार, सरकार की भूमिका यद्यपि एक तटस्थ की प्रतीत होती है, पर लगता यही है कि सरकार की भूमिका प्रबन्धकों को लाभ पहुंचाने की है न कि श्रमिकों को।

३. चुनौतियाँ:-

आर्थिक सुधारों ने जिन्हें १९९१ से लागू किया गया है, ट्रेड यूनियनों के समक्ष भारी चुनौतियां पेश किया है उनमें से कुछ चुनौतियां ये हैं।

जिनकी मांग है उसके पीछे उनकी शक्ति खड़ी करो - मा. बड़े भाई जी

सभी किसान भाईयों, मिल कर्मचारियों, जनपदवासियों तथा उनके परिवारजनों को भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर हार्दिक शुभकामनाएं

बस्ती शुगर मिल्स कं. लिमिटेड

बस्ती – 272 003

70 वर्षों से राष्ट्र की सेवा एवं क्षेत्र के विकास में कार्यरत

प्रदीप आहूजा
प्रबन्ध निदेशक

2601

राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हितों में काम करने वाले श्रमिक संगठन को शुभकामनाएं

प्रो० राजेन्द्र कुमार राय
श्री नारायण सिनेमा

स्टेशन रोड, मऊरानीपुर (झाँसी)

1102

With Best Compliments from :

UNITED BLOCK PRINTERS

LUCKNOW

3003

निष्पक्ष दृष्टिकोण, मित्रबोध, संसाधनों को अधिकतम उपयोग और असंगठित क्षेत्र- ये ऐसे चार महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो भविष्य में औद्योगिक सम्बन्धों को प्रभावित करेंगे (श्रम मंत्री का वक्तव्य-इंका टाइम्स ७.३.६६)। निष्पक्ष दृष्टिकोण का तात्पर्य स्वतंत्र दृष्टि से है। सरकारी संरक्षण के बगैर संसाधनों का अधिकतम उपयोग तभी सम्भव है जब श्रमिक और प्रबन्धकों में परस्पर सहयोग हो।

वस्तुतः असंगठित क्षेत्र के सामने भारी चुनौतियाँ हैं। मठाधीश और पोर्ट कर्मचारियों के लिए श्रम बोर्डों के गठन ने नए औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली को जन्म दिया है जो असंगठित क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है। यहां यूनियनें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। स्वरोजगार में लगे आटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर के मामलों में औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली को कामगारों और यूनियनों तथा सरकार और उपभोक्ताओं को भी शामिल करना होगा।

श्रमिक उद्योग सम्बन्धों के नए ढांचे में श्रमिक संघों की सौदेबाजी क्षमता कम हो रही है। आज प्रबन्धकों का जोर मानव संसाधन विकास पर है। उद्योगों में श्रमिकों को उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर सम्मानित करने की प्रबन्धकों की प्रथा ने श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है।

प्रबन्धकों के नकारात्मक रवैये ने जहां रोजगार के अवसरों को कम किया है, श्रमिकों के कार्य करने की परिस्थितियों में गुणात्मक सुधार हुआ है, साथ ही वेतन में भी आकर्षक वृद्धि हुई है - श्रमिक संघों के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक सुधारों के उपायों के कार्यान्वयन के बाद औद्योगिक संस्थानों में तालाबन्दी और हड़तालों से होने वाले मानव दिनों की हानि में लगातार कमी हुई है।

वर्ष	मानव दिनों की हानि (दस लाख में)
६१-६२	३४.५७
६२-६३	२२.६७
६३-६४	२०.४४
६४-६५	१६.२०
६५-६६	१७.६६ (टाइम्स आफ इण्डिया २७.०४.६७)

सन् १६६५-६६ में अप्रैल से सितम्बर के मध्य मानव दिनों की हानि ८.२१ मिलियन थी जबकि सन् १६६६-६७ में इसी अवधि के दौरान यह संख्या ६.७८ मिलियन थी। ये आंकड़े औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार की स्थिति की ओर संकेत करते हैं। पर वास्तव में इससे श्रमिकों और श्रमिक संघों की प्रबन्धकों के नकारात्मक रवैये का सामना करने में बेचारगी का ही अहसास होता है। ऐसे वातावरण में श्रमिक संघों की सौदेबाजीक्षमता को कैसे बढ़ाया जाए और श्रमिक हितों की किस प्रकार रक्षा की जाए। यह चुनौती श्रमिक संघों के सामने मुँह फैलाए खड़ी है।

सामाजिक लक्ष्यों की ओर श्रमिकों को प्रेरित करना और अर्थवाद से दूर श्रमिक एकता-यह एक दूसरी चुनौती है। इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि यदि धर्म लोगों के लिए अफीम की गोली है तो अर्थवाद और उपभोक्तावाद भी श्रमिकों के लिए अफीम की गोली है (ए. के.राय १६६६) सचमुच, श्रमिकों को अर्थवाद से मोड़ना कहने में आसान है पर करने में नहीं है। लेकिन ऐसे प्रयास होने चाहिए जिनसे श्रमिकों का स्तर और श्रमिक संघों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि हो सके।

श्रमिक संघों व श्रमिक के स्तर को बनाए रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दबावों का भी सामना करना होगा। जबकि ऐसे स्तर अपने आप में आधुनिक हैं पर इन्हें अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से व्यापार से जोड़ना उचित नहीं होगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ श्रमिक-संघों को औद्योगिक

बुद्धि पूर्वक किया गया शरीर-श्रम समाज सेवा का सर्वोत्कृष्ट रूप है - गांधी जी

सभी किसान भाईयों, मिल कर्मचारियों, जनपदवासियों तथा उनके परिवारजनों को
भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर हार्दिक शुभकामनाएं

अवध शक्ति जैविक खाद

प्रिय किसान भाईयों,

खेती में हरित क्रान्ति हेतु 'अवध शक्ति' जैविक खाद का प्रयोग करें। अवध शक्ति में उपलब्ध सूक्ष्म तत्व भूमि की उपजाऊ शक्ति आश्चर्यजनक रूप में बढ़ाते हैं।

निर्माता :

दि अवध शुगर मिल्स डिस्टलरी

हरगाँव (सीतापुर) - २६११२१

दूरभाष : (०५८६२) २५६२२७, फैक्स : २५६२२५

3103

शुभकामनाओं सहित :-

उत्कृष्ट गुणता पद्धतियों द्वारा

उच्च विभव इन्सुलेटर तथा औद्योगिक सिरेमिक उत्पादों के अग्रणी निर्माता

बी एच ई एल
BEHL

आई.एस.ओ.-९००१, १४००१, १८००१

एवं

सम्पूर्ण गुणता प्रबन्ध के माध्यम से सिरेमिक उत्पादों की गुणता एवं
तकनीकि के विकास की ओर सतत् प्रयत्नशील

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

जगदीशपुर, सुल्तानपुर

जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रथम इकाई

3301

सम्बन्धों के तनाव मुक्त बनाते हुए अपने स्तर को क्रमशः धीरे-धीरे ऊँचा उठााना होगा। इस प्रकार की चुनौती का समना करने के लिए श्रमिक संघों को प्रबन्धकों से निपटने के नए उपाय तलाशने होंगे। संक्षेप में भविष्य की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है औद्योगिक सम्बन्धों के सामाजिक भागीदार सह अस्तित्व की कल्पना को साकार करते हुए एक संतुलित स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाएं।

४. खड़ी चुनौतियाँ

श्रम से सम्बन्धित साझा मुद्‌दों पर राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक संघों में एकता के अन्तर्गत श्रमिक संगठन तथा बहुश्रमिक संगठनों की प्रतिद्वन्द्विता से छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि श्रमिक संघों की प्रतिस्पर्धा न केवल औद्योगिक वातावरण को विषाक्त करती है वरन क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर भी कटुता पनपती है। यद्यपि श्रमिक संघों ने नई आर्थिक नीतियों के विरोध में एकजुटता का प्रदर्शन किया है लेकिन वे इन उपायों के बदले में वैकल्पिक सुझावों पर एक मत नहीं है। सभी ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों को कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर मिल बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए और एक ऐसे सामूहिक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए कि भविष्य में देश का विकास कैसा हो। इस प्रकार के विचार विमर्श से एक तरफ तो नीतियों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रबन्धकों को भी नीति निर्धारण में आसानी होगी। यही नहीं, राष्ट्रीय सहमति के आधार पर एक स्वस्थ औद्योगिक वातावरण का भी निर्माण होगा। वर्तमान एवं भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर एक समन्वित और संयुक्त पहल की आवश्यकता है विशेष रूप से ऐसी स्थिति में, जब औद्योगिक सम्बन्धों में सरकार की भूमिका कम होती जा रही है। सरकार पर आश्रित रहने की श्रमिक संघों की प्रवृत्ति में बदलाव आवश्यक है।

श्रमिक संगठनों में मध्य एवं निचले स्तर पर अनुसन्धान, नीति विश्लेषण और श्रमिक संघ व्यवस्था जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बिना लाभ पद्धति पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण से श्रमिक संघों को एक बहुपयोगी संगठन के रूप में परिवर्तित होने में मदद मिलेगी। इससे न केवल उनकी सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि होगी, वरन उन्हें औद्योगिक सम्बन्धों को बेहतर बनाने की योग्यता बढ़ेगी।

श्रमिक संघों को अपनी एकता और संयुक्त कार्यवाही के लिए विश्व व्यापी सम्पर्क बनाने की भी आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों की यूनियनों से इसकी शुरूआत की जा सकती है। इससे विदेशों में अपनाए गए उपायों से औद्योगिक सम्बन्धों को बेहतर और सौहार्दपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी।

आज जरूरत इस बात की भी है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हैं।

(क) कामगार को अपने अधिकारों के साथ उत्तरदायित्वों का बोध कराना।

(ख) उन्हें यह अनुभव कराना कि श्रमिक और प्रबन्धकों के बीच का सम्बन्ध जहां तक हो सके कटुतापूर्ण न हो (यद्यपि कुछ विशेष स्थितियों में यह आवश्यक हो सकता है)।

(ग) श्रमिकों में प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर सह क्रियात्मक दृष्टिकोण का विकास।

(घ) इस बात के लिए आग्रह करना कि समझौता सामाजीय और उपभोक्ता हितों के विपरीत न हो।

(च) उचित सम्प्रेषण हो।

(छ) कार्य संस्कृति का निर्माण हो।

(ज) अनुचित श्रम अभ्यास पूर्णतः प्रतिबन्धित हों

(झ) अवधि पूर्ण होने के पहले ही नए समझौतों की

एकात्म मानवदर्शन में है - पेट को आहार! हृदय को प्यार!! मस्तिष्क को विचार !!! आत्मा को संस्कार!!!!

With Best Compliments From :

M/s. SURFACE TECH (INDIA) PVT. LTD

AMAUSI, AIRPORT,
LUCKNOW

3004

व्यवस्था हो।

(ट) एवार्ड/समझौतों का पालन हो।

(ठ) गैर राजनैतिक श्रम संघ का विकास हो।

यूनियनों को मशीनीकरण, काम के बंटवारे और वेतन प्रणाली में नए प्रयोग सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु आगे आना चाहिए। इस प्रकार के उपायों से न केवल श्रमिक संघों और प्रबन्धकों को आपस में तालमेल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे औद्योगिक वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बनेगा।

यह आवश्यक है कि श्रम संगठनों को लोकतांत्रिक तरीके से प्रभावशाली रूप में चलाया जाए। श्रम संगठनों को महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए और बदलती हुई आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी परिचित होना चाहिए ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी आधारित प्रबन्ध व्यवस्था से निपटा जा सके। दूसरे शब्दों में यूनियनों को अपने आन्तरिक संगठन की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रमिक संघों को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोग के गठन की वकालत करनी चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय श्रम आयोग (१९९९-९९) की अनुशंसा में कहा गया। इससे हम औद्योगिक सम्बन्धों में आए तनावों से छुटकारा पा सकते हैं। इससे औद्योगिक सम्बन्धों में सौहार्दपूर्ण वातावरण का भी सूत्रपात होगा।

"हम किसी एक जाति या वर्ग की सेवा के लिए नहीं, सम्पूर्णराष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। प्रत्येक नागरिक हमारे रक्त मांस का अभिन्न अंग है। जब तक हम प्रत्येक में भारत माता के पुत्र होने का स्वाभिमान नहीं जगा लेते, हम चुप नही बैठेंगे। हम भारत जननी को सच्चे अर्थों में सुजला, सुफला बनाकर रहेंगे। दशप्रहरणधारिणी दुर्गा के रूप में वह आसुरी शक्तियों का मर्दन करने में सफल हो, लक्ष्मी के रूप में सर्वत्र वैभव प्रसारित करें, और सरस्वती के रूप में अज्ञानाधंकार को मिटा कर ज्ञान की ज्योति सर्वदिक् विकीर्ण करे। अंतिम विजय में विश्वास के साथ, आओ हम सब इस कार्य में जुट जायें।"

– पं. दीन दयाल उपाध्याय

कर्म हैं बटे हुए पर एक मूल मर्म है, राष्ट्र भक्ति ही हमारा एक मात्र धर्म है।

भारतीय मजदूर संघ के प्रान्तीय अधिवेशन पर हार्दिक शुभकामनाएं

सोलर प्रेस

1003 कर्नलगंज, निकट चुन्नीगंज चौराहा, कानपुर

शुभकामनाओं सहित :-

एवन प्लास्टिक्स

गुडशेड रोड, ऐशबाग, लखनऊ (उ० प्र०)

3002

विशेषांक श्रम आराधना के प्रकाशन पर भारतीय मजदूर संघ, उ० प्र० के समस्त कार्यकर्ताओं को मंगलकामनाओं सहित

आती रही लहर कहीं, बनते रहे भंवर
माझी किसी बहाव के तूफान से न डर।
बहता हुआ मझधार में आ जाएगा तट और,
बस एक मिनट और, जरा एक मिनट और।।

भगवती टायर्स

१२८/३७३-३७४, के.-ब्लाक, किदवई नगर
कानपुर - २०८ ०११
फोन : ०५१२-२६१८०७६

1008

स्वतंत्रता आन्दोलन में कम्युनिष्टों की काली करतूतें

- मा. रामदास जी पाण्डेय

आजादी के पहले कम्युनिष्ट पार्टी के बड़े-बड़े नेता ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त करते थे और देशभक्त स्वाधीनता सेनानियों की मुखबरी करके उनकी गतिविधियों की जानकारी ब्रिटिश सूचना तंत्र को देते थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीपाद अमृत डांगे ने तो अपनी सेवायें अंग्रेजी सरकार को पूरी तरह समर्पित कर दी थीं और वह अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। १९६४ में पार्टी विभाजन के समय नम्बूदरीपाद ने खुद डांगे पर यह आरोप लगाया था।

क्या आजादी की लड़ाई में भारतीय कम्युनिस्टों का कोई योगदान रहा था?- इसका लेखा-जोखा किया जाए तो स्पष्ट होगा कि आजादी की लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण मुकाम १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी कम्युनिस्टों ने न केवल स्वाधीनता सेनानी देशभक्तों के साथ विश्वासघात किया बल्कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के 'दलाल' के रूप में भूमिका भी निभाई।

देश से गद्दारी- स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी ने १९४२ में अंग्रेज सरकार को एक रपट दी थी कि हमने भारत छोड़ो आन्दोलन को नाकाम करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। ११ अक्टूबर १९४२ को कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र 'पीपुल्सवार' में लिखा गया कि सत्याग्रहियों और भूमिगत आन्दोलनकारियों में फूट पड़नी जरूरी है। तभी इसका लाभ लेना सम्भव है।

कम्युनिस्टों नें ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों व सैनिक मुख्यालय के मार्गदर्शन में ३०० से ज्यादा छापामारों का एक विशेष आत्मघाती दस्ता तैयार किया और उसे अंग्रेज़ व अमेरिकी अधिकारियों से पूना के पहाड़ी इलाकों में प्रशिक्षण दिलवाया। यह दस्ता भारत छोड़ो आन्दोलन और आज़ाद हिन्द फौज को विरुद्ध अत्यन्त खतरनाक कामों को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था।

कम्युनिस्ट पार्टी ने २३ अप्रैल, १९४२ को एक नीति प्रारूप के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि कम्युनिस्टों को ब्रिटिश सेना की सहायता करने का अवसर प्रदान किया जाए। पार्टी के तत्कालीन महासचिव पी.सी. जोशी की महत्वपूर्ण ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों तथा गृह सचिव रेगिनाल्ड मैक्सवैल से खास मुलाकातें कराई गयीं और पार्टी की अंग्रेजी राज समर्थक भूमिका के चलते २३ जुलाई, १९४२ को पार्टी से प्रतिबन्ध उठा लिया गया तथा जेलों में बन्द उसके कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। तत्कालीन वायसराय ने गंगाधर अधिकारी और पी. सी.जोशी जैसे प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं का कांग्रेस विरोधी दुष्प्रचार में इस्तेमाल किया।

प्रमुख कम्युनिस्ट नेता ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद ने 'भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास' में यह स्वीकार किया है कि 'हमने भारत छोड़ो आन्दोलन का मुकाबला करने और सुभाष चन्द्र बोस का विरोध करने की पूरी तैयारी कर ली थी।' कम्युनिस्टों में यह अंग्रेजी राज़प्रेम भी यों ही नहीं उमड़ पड़ा था। दरअसल रूस के निर्देश पर ही भारतीय कम्युनिस्टों ने अपना रुख बदला।

अंग्रेजों की मुखबरीः आज़ादी के पहले कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े-बड़े नेता ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त करते थे और देशभक्त स्वाधीनता सेनानियों की मुखबरी करके उनकी गतिविधियों की जानकारी ब्रिटिश सूचना तंत्र को देते थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीपाद अमृत डांगे ने तो अपनी सेवायें अंग्रेजी

मातृवत स्नेहमयी पूज्यनीय भारती अर्चनीय वन्दनीय माँ उतारें आरती

With Best Compliments from :

Focussing on Today.

Working towards Tomarrow

Yash Papers Ltd.

Darshanagar, Faizabad-224001 (U.P.) India,
Phone : +91-5278-258777, 258589, 278112 Fax. : 258062
E-mail : info@yash-paper.com Web : www.yash-paper.com

3201

With Best Compliments from :

LUCKNOW CHIKAN

Exclusif Air conditioned Showroom

Lucknavi Chikan Sarees, Kurta Paijamas, Salwar Suits, Bed Covers, Pathan Suits Nighties Etc.

101, Naveen Market, Kanpur-208 001
Phone : 2304817

1001

With Best Compliments from :

FEED INDUSTRIES

OM FEEDS

Manufacturer : M/s. Om Feeds Industries, Gorakhpur

Fact. : RAM JANKI NAGAR, NAKAHA NO. 1, GORAKHPUR
MOST RELIABLE & MOST PROGRASSIVE LIVE STOCK & POULTRY FEED MANU
PH. : (Fact.) : 0551-2504622, 2506100 Resi. : 2505600 Fax. : 0551-2289050

2304

सरकार को पूरी तरह समर्पित कर दी थी और वे अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे।

१९६४ में पार्टी विभाजन के समय नम्बूदरीपाद ने खुद डांगे पर यह आरोप लगाया था। सरकारी दस्तावेजों में भी इसकी पुष्टि करने वाले तमाम प्रमाण मौजूद हैं। प्रख्यात पत्रकार अरुण शौरी की पुस्तक 'द ओनली फादरलैण्ड' तो ऐसे प्रमाणों से भरी पड़ी हैं

कम्युनिस्टों ने देशभक्त जनता का मनोबल तोड़ने के लिए स्वाधीनता आंदोलन के प्रेरक महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस जैसे राष्ट्रनायकों को जी भर के गालियां दीं। गांधी जी को तो उन्होंने साम्राज्यवादी कुत्ता तक कहा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को तोजो (जापानी जनरल) का कुत्ता, विदेशियों का एजेन्ट और देशद्रोही कहकर अपमानित किया। नेताजी ने जब कम्युनिस्टों से अपील की कि वे स्वाधीनता आन्दोलन की पीठ में छुरा न भोंक कर भारत छोड़ो आन्दोलन का समर्थन करें तो कम्युनिस्टों ने मुम्बई कांग्रेस में न केवल उस अपील को ठुकरा दिया बल्कि १० जनवरी १९४३ को कम्युनिस्ट मुखपत्र 'पीपुल्स वार' में प्रमुख कम्युनिस्ट नेता बी.टी. रणदिवे ने सुभाष बोस को फासिस्टों का एजेन्ट कहा।

भारत विभाजन का समर्थन : पाकिस्तान निर्माण को सैद्धान्तिक भाव-भूमि देने वाले कम्युनिस्ट ही थे क्योंकि उन्होंने भारत को कभी एक राष्ट्र माना ही नहीं। उन्होंने भारत में बहुराष्ट्रवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। इसी आधार पर कम्युनिस्टों ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान निर्माण की मांग का पुरज़ोर समर्थन किया। यहां तक कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मुस्लिम लीग में शामिल हो जाने का निर्देश भी जारी कर दिया और पी.सी. जोशी ने गांधी जी को दोषी ठहराते हुए जिन्ना का पूरा समर्थन कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय 'पाकिस्तान और राष्ट्रीय एकता' नामक पुस्तिका प्रकाशित कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का यह नुस्खा सामने रखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो, तभी राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और इस समझौते की शर्त को पाकिस्तान निर्माण की जिन्ना की मांग को स्वीकार किया जाना। कम्युनिस्टों की इस भूमिका पर अंग्रेजों ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 'एक गैर मुस्लिम पार्टी' मुस्लिम लीग की समर्थन कर रही है।

१९४६ में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही की घोषणा की तो कलकत्ता में हुई एक जनसभा में ज्योति बसु मौजूद थे, उस सभा में कम्युनिस्टों ने मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए भाषण दिए थे। यह **सब क्या देश की आज़ादी में उनका योगदान माना जाए ?**

कम्युनिस्टों के चरित्र को सुभाष बोस ने सही आंका था और उस आकलन को आज फिर सामने लाने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पुस्तक **'भारत का संघर्ष'** (इंडियन स्ट्रगल) में कम्युनिस्टकों की तुलना फासिस्टों से करते हुए लिखा कि **'भारत कम्युनिज्म को नहीं अपनाएगा। क्योंकि कम्युनिज्म राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करता जबकि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन है। कम्युनिज्म धर्म को अस्वीकार करता है जबकि भारतीय जागरण का उद्‌भव ही धार्मिक सुधार के आंदोलन व सांस्कृतिक चेतना में से हुआ।'**

"हम तोते के समान कई बातें बोल जाते हैं, पर उनमें से एक भी कार्य आचरण में नहीं उतारते। केवल मुँह से कह देना और आचरण में न लाना-यह हमारा स्वभाव बन गया है।"

- महर्षि वशिष्ठ

'कृतकर वंडकर, नामजप-काम करो, बांट कर खाओ, प्रभु नाम का जाप करो' - गुरु नानक

शुभकामनाओं सहित

सिद्धान्तों में वज्र सी कठोरता चाहिए

"कोई भी सिद्धान्त सही है या गलत इसका निर्णय अपनी-अपनी मान्यताओं पर अवलंबित है। किन्तु एक बार उसको स्वीकार करने के पश्चात् आसमान टूट पड़े या धरती फट जाये तो भी सिद्धान्त से समझौता नहीं करेंगे, यह वृत्ति अपनाने वाले लोगों ने इतिहास में बार-बार परिवर्तन किया है।"

– मा० दन्तोपंत जी ठेंगड़ी

सौजन्य से :

1007

सुशीला नरेन्द्रजीत सिंह शिक्षा समिति, कानपुर

With Best Compliments from :

"नीच लोग विघ्नों के भय से कोई कार्य आरम्भ नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को आरम्भ करके विघ्न पड़ने पर बीच में ही छोड़ देते हैं, किन्तु उत्तम लोग विघ्न पड़ने पर भी आरम्भ किये हुए काम को बीच में कभी नहीं छोड़ते।"

HOTEL TREAT HOST

FAST FOOD RESTAURANT

Stauts
Banquets Conference Hall

Naveen Market, Kanpur - 208 001
Ph. : 2304877

1006

महत्वपूर्ण निर्णय

- महेन्द्र पाठक, प्रदेश मंत्री

प्रतियोगी परीक्षाओ में बैठने के लिए प्रतियोगी को निर्धारित आवेदन पत्र भरना पड़ता है । परीक्षा लेने वाली संस्था फार्म की जांच करती है तथा सही पाये जाने पर आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करती है । कुछ कमियों के आधार पर प्रतियोगी का फार्म निरस्त भी किया जा सकता है फार्म का ठीक से न भरा जाना अर्थात अपूर्ण होना भी उनमें से एक है । कभी-कभी जल्दीबाजी में या अन्य कारणों से आवेदक जन्मतिथि या शैक्षिक योग्यता लिखना भूल जाता है या उससे छूट जाता है । प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए एक निश्चित आयु सीमा निर्धारित होती है । यदि किसी का फार्म निरस्त कर दिया जाता है तब उसे अगली बार उस पद के लिए आयोजित परीक्षा में बैठने का अवसर तभी मिल सकेगा यदि तब तक वह निर्धारित आयु सीमा के अन्दर आता होगा । क्या इस तरह की छोटी-छोटी कमियों या गलतियों के आधार पर फार्म निरस्त किया जाना उचित है ?इस बिन्दु पर निर्णय देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि गलतियां करना मानव का स्वभाव है । अतः इस गलती या चूक के लिए इस तरह के मामले में उसे दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रतियोगी से उस चूक को ठीक कराया जाना चाहिए ।

प्रस्तुत मामले में अजय कुमार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा आयोजित संयुक्त राज्य अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा २००० के लिए फार्म भरा था। आयोग ने इस आधार पर उसके फार्म को निरस्त कर दिया कि उसने अपनी शैक्षिक योग्यता (बी०काम०) उसमें नहीं लिखा था । याची ने आयोग के इस निर्णय को याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने उपरोक्त मत के साथ याचिका स्वीकार कर ली था याची को फार्म में रह गई कमी अर्थात शैक्षिक योग्यता लिखने की अनुमति प्रदान की। (अजय कुमार बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग, ए० एल० आर० - २००० (४०) पृष्ठ १५०

श्रम एवं पूंजी

"उत्पादन में मर्यादा, उपभोग में संयम एवं वितरण में समानता, यह आधार होना चाहिए। सभी हाथों में काम और सभी गाठों में दाम चाहिए।

प्रारम्भ में उत्पादन उपभोग का अनुसरण करता था, अब उपभोग उत्पादो का अनुचर है।

श्रम एवं पूंजी का सम्बन्ध पुरुष और प्रकृति का सम्बन्ध है। सृष्टि इन दानों की लीला है। इनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती।"

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नही नर पशु निरा और मृतक समान है

श्रम आराधना वर्ष २००३ की सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं

बाल कल्याण समिति

डिफेन्स कालोनी, कानपुर

के अन्तर्गत संस्थाएं

१. सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, डिफेन्स कालोनी, कानपुर (प्रधानाचार्य)
२. सरस्वती शिशु मन्दिर, जे. के. पुरी, कानपुर - १० (प्रधानाचार्य-सोमदत्त जी)
३. सरस्वती शिशु मन्दिर, बालधर, जे. के. कालोनी, कानपुर (अरविन्द कुमार द्विवेदी)
४. सरस्वती शिशु मन्दिर बालिका जू. हा. स्कूल, हरजेन्द्र नगर, कानपुर-६ (प्रधानाचार्या-सुश्री निर्मल सहदेव)
५. सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, हरजेन्द्र नगर, प्राचार्या-श्रीमती आशा त्रिपाठी

राम अवतार माहना
मंत्री बाल कल्याण समिति

1004 २२०, डी, डिफेन्स कालोनी, कानपुर - २०८ ०१०

श्रम आराधना वर्ष २००३ के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं

श्री ओमर वैश्य विद्यालय कमेटी, कानपुर फोन : २३५३११३

कक्षा नर्सरी से इण्टर तक की शिक्षा व्यवस्था

हमारे संचालित विभाग

१.	ज्ञान भारती एम.एस. इण्टर कालेज, बिरहाना रोड	दूरभाष : २३१२२०६
२.	ज्ञान भारती बालिका इण्टर कालेज, बिरहाना रोड	दूरभाष : २३६७६७८
३.	श्री ओमर वैश्य शिक्षायतन, रावतपुर	दूरभाष : २२४३४४२
४.	श्री ओमर वैश्य माण्टेसरी स्कूल, बिरहाना रोड	दूरभाष : २३१२४०४
५.	श्री बिहारी लाल ओमर माण्टेसरी स्कूल, बिरहाना रोड	दूरभाष : २३१२६४६
६.	श्री बी.एल. ओ. एजूकेशन सेन्टर, बिरहाना रोड, कानपुर	दूरभाष : २३१२६४६
७.	श्री ओमर वैश्य किण्डर गार्डेन, नौघड़ा	दूरभाष : २३६७३६४
८.	श्री ओमर वैश्य शिल्प कला केन्द्र, बिरहाना रोड	दूरभाष : २३५६७२६
९.	श्री ओमर वैश्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट, पटकापुर	दूरभाष : २३५३३५३
१०.	श्री ओमर वैश्य विद्यापीठ, श्याम नगर	दूरभाष : २४०४२२४
११.	श्री ओमर वैश्य म्यूजिक एण्ड फाइन आर्ट्स कालेज, बिरहाना रोड	दूरभाष : २३१५२३८३

कुन्ज बिहारी गुप्त — अध्यक्ष
डॉ० श्याम बाबू गुप्त — मंत्री
गंगा प्रसाद गुप्त — जनरल मैनेजर 1005

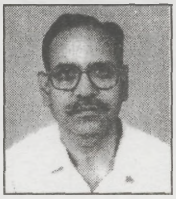

कार्यग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम)

- सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष-भा.म.सं.

१. कार्यग्रहण अवधि क्या है और कब देय है ?

कार्यग्रहण अवधि वह समय या अवधि है जो सरकारी कर्मचारी को नीचे दी गई परिस्थितियों में दी जाती है। :

(१) स्थानान्तरण पर जनहित में नये पद का कार्यग्रहण करने के लिए, भले ही वह उसी स्टेशन पर हो या किसी नये स्टेशन पर। [नियम ४(१)]

(२) किसी दूरस्थित इलाके से छुट्टी पर जाते समय या किसी दूर स्थिति इलाके मे जाते समय - कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार।

[कार्मिक विभाग, का. ज्ञा. सं. १६०११/३०/८१ इस्टे (भत्ते) दिनांक १७.११.८४]

(३) किसी दूर स्थित इलाके से छुट्टी बिताकर लौटते समय या छुट्टी बिताकर किसी दूर स्थिति इलाके में जाते समय- कैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार।

[वही आदेश उपर्युक्त (२) दिनांक १७.११.८४]

(४) वर्ष में केवल एक बार उन कर्मचारियों को जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के अधिवासी हैं, जब संघ राज्य क्षेत्र के दूसरे द्वीप में अपने घर छुट्टी पर जा रहे हों या वहां लौट रहे हों। उन्हें इन सूरतों में समुद्र यात्रा में जो वास्तविक समय लगता हो वह कार्यग्रहण के रूप में दिया जाता है।

[कार्मिक विभाग का का. ज्ञा. सं. १६०११/३०/८१ इस्टे (भत्ते) दिनांक १७.६.८४]

(५) केन्द्र सरकार के स्थायी /अस्थायी कर्मचारियों और राज्य सरकारों के स्थायी अन्तःकालीन स्थायी कर्मचारियों को ऐसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पर जो सरकारी कर्मचारियों और आन्यों के लिए हों - जब उनकी केन्द्र सरकार के पद पर नियुक्ति हो।

फिर भी, यह कार्यग्रहण अवधि का वेतन केन्द्र सरकार के उन स्थायी कर्मचारियें को नहीं देय होगा जिन्होंने तीन साल की लगातार और नियमित सेवा पूरी न की हो, यदि वे प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम स्वरूप नियुक्ति हों। [नियम ४(४)]

(६) वे सरप्लस कर्मचारी जिन्हें सरप्लस कर्मचारियों के नियोजन की योजना के अधीन एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित किया जाये। [नियम ४(२)]

(७) वे कर्मचारी जिन्हें संवर्ग में पद समाप्ति पर डिस्चार्ज (कार्यमुक्त) करके एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में नियुक्त किया जाए, यदि पुराने पद पर रहते हुए ही आदेश मिले हों। यदि कार्यमुक्ति के बाद नये पद पर नियुक्ति हो तो बीच के ब्रेक की अवधि को बिना वेतन की कार्यग्रहण अवधि माना जा सकता है, यदि यह अवधि ३० दिन से अधिक न हो और संबंधित कर्मचारी ने कम से कम तीन साल की लगातार सेवा पूरी कर ली हो।

[नियम ४(३)]

२. अस्थायी स्थानान्तरण :

१८० दिन से कम के अस्थायी स्थानान्तरण पर कर्मचारी को किसी प्रकार का कार्यग्रहण समय देय नहीं है। केवल मार्ग मे लगने वाला वास्तविक समय दिया जायेगा जैसाकि यात्रा या दौरे के मामले में दिया जाता है। [नियम ४(१)]

३. अवधि की शुरूआत :

पुराने पद का चार्ज छोड़ने पर अवधि शुरू होती है। यदि प्रातः काल चार्ज छोड़ा जाए तो उसी तारीख से और

ले आँख मीच अन्याय देख वह खून नही है पानी है, जिसको हिन्दी से प्यार नही वह कैसा हिन्दुस्तानी है।

With Best Compliments from :

सुश्री मायावती
मुख्यमंत्री, उ0 प्र0

मा0 प्रधान मंत्री आश्रय भवनों का कब्जा पत्र देते हुए

मा0 श्री लालजी टण्डन
मंत्री, आवास, नगर विकास, उ0 प्र0

मा0 प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में
मा0 मुख्यमंत्री एवं मा0 मंत्री आवास
एवं नगर विकास, उत्तर प्रदेश के दिशानिर्देशन में
लखनऊ के अतुलनीय विकास में अग्रसर

गोमतीनगर विस्तार
G-N EXT
For Generation Next
का आवंटन शीघ्र

बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक का नया स्वरूप

अम्बेडकर रैली स्थल, जेल रोड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में

बेगम हजरत महल पार्क

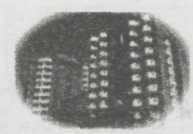

अवध अपार्टमेन्ट, गोमतीनगर

भूखण्डों का विवरण :

भूखण्ड श्रेणी	भूखण्ड कोड	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आवंटन दर (प्रति वर्गमी.) (ला. रु0 में)	अनुमानित लागत (ला. रु0 में)	पंजीकरण धनराशि	अवशेष भुगतान
ए	06	450	3000/-	13.5	1.00	अवशेष धनराशि 12 समान त्रैमासिक किश्तों में 15 प्रतिशत ब्याज सहित देय
बी	07	300	3000/-	9.0	0.75	
सी	08	200	3000/-	6.0	0.50	

फैजाबाद रोड से अमौसी एयरपोर्ट तक अमर शहीद पथ

अलीगंज स्पोर्टस स्टेडियम

- ✦ G-NEXT में NRI's को शतप्रतिशत आवंटन सुविधा
- ✦ लगभग 23 किमी. अमर शहीद पथ का निर्माण प्रगति पर
- ✦ हरदोई रोड योजना का पंजीकरण शीघ्र
- ✦ कैसरबाग में पार्किंग स्थल एवं आवासीय व व्यवसायिक निर्माण शीघ्र
- ✦ अम्बेडकर वृहद रैली स्थल जेल रोड का निर्माण प्रगति पर
- ✦ अवध अपार्टमेंट गोमतीनगर में आवंटन हेतु कुछ फ्लैटस उपलब्ध

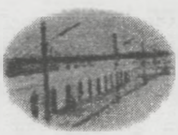

आश्रय भवन

नवीन मछली मंडी, हरदोई रोड

● अन्य जानकारी किसी भी कार्यदिवस में जनसम्पर्क अधिकारी एम0 वासिल से नवीन प्राधिकरण भवन में तथा फोन नं0. 2397177, 2303624 2303133 अथवा 2703623 पर प्राप्त की जा सकती हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

3001

यदि दोपहर बाद चार्ज छोड़ा जाये तो अगली तारीख से यह अवधि शुरू होती है।

४. अवधि के दिन :

सभी स्थितियों मे यह अवधि कर्मचारी के पुराने मुख्यालय से जोड़ी जाएगी-

(१) उसी स्टेशन पर : जब स्थानान्तरण उसी स्थान पर हो या जब स्थानान्तरण होने पर निवास स्थान एक जगह से दूसरी जगह पर न बदला हो तो कार्यग्रहण अवधि एक दिन तक ही सीमित होती है। इस प्रयोजन के लिए ''उसी स्टेशन'' का अर्थ वह क्षेत्र है जो उसी नगरपालिका या निगम के क्षेत्राधिकार में पकड़ता हो। इसमें उपनगरीय नगरपालिकाएं तथा नामित नगरपालिका के निकट वाले अधिसूचित छावनी क्षेत्र भी शामिल हैं।

(२) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर : यदि स्थानान्तरण में स्टेशन या निवास स्थान बदल जाए तो कार्यग्रहणा अवधि इस प्रकार दी जाती है। (सीधे मार्ग से और यात्रा से साधारण तरीके से)-

पुराने तथा नये मुख्यालय के बीच की दूरी	*स्वीकार्य कार्यग्रहण समय*	*जब लगातार २०० कि.मी. से अधिक की सड़क यात्रा हो*
(i) १००० कि.मी. या कम	१० दिन	१२ दिन
(ii) १००० कि.मी. से अधिक	१२ दिन	१५ दिन
(iii) २००० कि.मी. से अधिक	१५ दिन/हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने पर अधिकाधिक १२ दिन	१५ दिन

[नियम ५(४)]

(३) किसी दूर स्थिति इलाके के स्टेशन को या उस स्टेशन से स्थानान्तरण : कार्यग्रहण अवधि में अतिरिक्त समय उस अवधि में और जोड़ा जायगा जो उपर्युक्त (२) के अनुसार देय है। शर्त यह है कि मार्ग में सामान्य से अधिक समय लगता हो जिसका कारण परिवहन की या दूसरी समस्यायें हों। [नियम ५(५) और उसकी परिशिष्ट]

५. अवकाश पहले या बाद में :

यदि कार्यग्रहरण अवधि के पहले अवकाश पड़ता हो तो अवधि बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अवकाश अवधि के बाद में पड़ता हो तो यह अवधि अपने आप बढ़ गई मानी जाएगी। [नियम ५ (४)]

६. वेतन वृद्धि के लिए गणना :

(१) मूल पद पर जिस पद का उस अवधि में वेतन दिया जा रहा हो, उसमें कार्यग्रहण अवधि को वेतन वृद्धि के लिए जोड़ते हैं। [एफ. आर. २६ (ई)]

(२) कार्यग्रहण अवधि के शुरू होने से पहले, जिस पर कर्मचारी था उस पर छुट्टी के अंतिम दिन, उस पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए कार्यग्रहण अवधि का समय जोड़ा जाएगा। जब उस छुट्टी के तुरंत बाद वह अवधि शुरू हो रही हो।

[एफ. आर. २६ (ई)(ii)]

(३) अपने निवेदन पर स्थानान्तरण में यात्रा की अवधि, जिसे छुट्टी के रूप में नियमित न किया गया हो, वेतनवृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए नहीं जोड़ी जाएगी और उसे ''डियेस नान'' 'डियेस नान' माना जाएगा। [एफ. आर. २६]

७. शेष अवधि को छुट्टी खाते में जमा करनाः

यदि कार्यग्रहण अवधि का पूरा उपयोग नहीं किया जाता तो वास्तव में उपयोग में लाए दिन घटाकर शेष दिन कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित अवकाश के रूप में

हमने रचाया खून देकर भारत माँ की टोलियाँ। हमने वतन की आन पर सीने में झेली गोलियाँ।।

With Best Compliments from :

ACC
SURAKSHA

सदैव रक्षा
ए सी सी सुरक्षा

भारत की नं. 1 सीमेन्ट

सल्फेट और क्लोराइड से

कंकरीट में दरारों से

सरिये में जंग लगने से

अब
संभव है
सुरक्षा

वायुमंडल में उपस्थित
हानिकारक गैसों से

सीमेन्ट के कंकरीट से
अलग होने से

ए सी सी टिकरिया सीमेन्ट वर्क्स

टिकरिया इन्डस्ट्रियल एरिया,
पो : गौरीगंज, जिला : सुल्तानपुर (उ० प्र०)

3302

फोन नं : 05368-244279 फैक्स नं. : 05368-244479 ई-मेल : tikaria@acccement.com

जमा कर दिये जाते हैं, बशर्ते अर्जित अवकाश सामान्य जमा सीमा से अधिक न होने पाए। अब इस अवधि के बदले मे विशेष आकस्मिक छुट्टी देने की सुविधा समाप्त हो गई है।

[नियम ६(१)]

८. छुट्टी या अवकाश के साथ जोड़ना :

कार्यग्रहण अवधि को कार्यालय के अवकाश अथवा अपनी किसी तरह की छुट्टी के साथ (केवल आकस्मिक छुट्टी लेकर) जोड़ सकते हैं।

[नियम ६(२)]

९. इस अवधि का वेतन और भत्ते :

इस अवधि को ड्यूटी माना जाएगा और पिछले पद के वेतन और भत्तों के हिसाब से भुगतान किया जायेगा। सवारी भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। स्टीमर छूटने की प्रतीक्षा का समय भी भुगतान का एक कारण हो सकता है। आगे १३(ग) देखें।

१०. बीच मार्ग में दूसरा स्थानान्तरण :

(१) यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण पर बीच मार्ग में हो और जहां उसे शुरू में स्थानान्तरित किया गया था उसके बजाय किसी अन्य स्थान पर जाने का निर्देश दिया जाये तो वह स्थानान्तरण आदेश प्राप्त करने की तारीख तक पहले ही उपयोग की गई कार्यग्रहण अवधि का पात्र भी होगा। साथ में संशोधित स्थानान्तरण आदेशों की प्राप्ति की तारीख के बाद से नये सिरे से पूरा कार्य ग्रहण अवधि का पात्र भी होगा।

(२) कार्यग्रहण की नई अवधि उस स्थान से जोड़ी जाएगी जहां पर उसने संशोधित आदेश प्राप्त किये थे।

[नियम ६(३)]

११. अपने अनुरोध पर स्थानान्तरण :

अपने अनुरोध पर स्थानान्तरण के मामले में कार्यग्रहण समय की कोई सुविधा नहीं मिलती। किन्तु कर्मचारी को नियमानुसार देय छुट्टी स्वीकृति की जा सकती है। यदि चार्ज सौंपने के बाद तुरंत अवकाश आ जाये और कोई अवकाश समाप्त होने पर नये पद का कार्यभार ग्रहण कर ले तों यह अवकाश की अवधि के रूप में ही मानी जाएगी और इस अवधि का वेतन नये विभाग/दफ्तर से दिया जाएगा। जहां उसने कार्यभार ग्रहण किया है।

[कार्मिक विभाग का का. ज्ञा. सं. १६०११/१६/८६ इस्टे (भत्ते), दिनांक १५.१२.८८]

१२. कार्यग्रहण अवधि का समय बढ़ाना :

कार्यग्रहण अवधि के साथ आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी भी प्रकार की छुट्टी और नियमित छुट्टी की अवधि जोड़ी जा सकती है। निश्चित सीमा के आगे कार्यगृहण अवधि को विभागाध्यक्ष अधिकतम ३० दिन तक बढ़ा सकते हैं। ३० दिन से अधिक होने पर मामला मन्त्रालय को भेजा जाता है। अवधि को बढ़ाते समय यह ध्यान रखा जाए कि करीब ८ दिन का समय तैयारी के लिए और उचित समय यात्रा के लिए मिल जाए। नियम ५(५) हड़ताल, प्राकृतिक आपदा आदि से यदि यात्रा के रास्ते में रूकावट आई हो तो इसका भी ध्यान रखा जाए। स्टीमर छूटने की प्रतीक्षा का समय भी एक कारण हो सकता है। नियम ५(४) ,

१३. कार्यग्रहण अवधि बढ़ाने की परिस्थितियां :

(क) जब सरकारी कर्मचारी यात्रा के साधारण तरीके इस्तेमाल करने में असमर्थ हो गया हो और अपनी मेहनत के बावजूद उसे नियमानुसार मिलने वाले समय से अधिक यात्रा में लगाना पड़ा हो।

(ख) जब इस अवधि को बढ़ाना जन सुविधा की दृष्टि से जरूरी समझा जाय या इससे उस सार्वजनिक खर्च में बचत होती है जो अनावश्यक या पूर्णतः औपचारिक स्थानान्तरण में होते है।

(ग) जब किसी विशेष मामले में नियमों का प्रभाव बहुत कठोर रहा हो, उदाहरण के लिए, कर्मचारी की कोई गलती नहीं थी किन्तु उसका स्टीमर छूट गया अथवा यात्रा

भला हो जिसमें देश का वह काम सब किये चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो।

With Best Compliments from :

Unnao Distrilleries & Breweries Ltd.

Factory : *Shekhpur, Unnao - 209 801 (U.P.)*
Ph. : 2823520, 2823901
Fax : 0515-2823706

Regd Office : 424, 4th Floor City Centre,
The Mall, Kanpur • Phone : 2362361

3401

के दौरान वह बीमार पड़ गया।

१४. कार्यग्रहण अवधि समाप्त होने पर रूक जानाः

जो सरकारी कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि के बाद रूक जाता है और तुरंत नया पद ग्रहण नहीं करता, उसे अवधि समाप्त होने पर कोई वेतन या छुट्टी का वेतन पाने का हक नहीं होगा और वह अवधि अकार्य दिन (डियेस नान) मानी जायेगी तथा उसके कारण अगली वेतनवृद्धि की तारीख आगे बढ़ जायेगी। इसे जानबूझ कर ड्यूटी से अनुपस्थित रहना भी माना जा सकता है जिससे यह एफ. आर. १५ के प्रयोजन के लिए कदाचार होगा। ऐसी अवधि को पेंशन के लिए अर्हक सेवा में नही जोड़ा जाता है।

एफ. आर. १०८

१५. स्थानान्तरण रद्द हो जाने पर :

जब कर्मचारी ने अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया हो किन्तु उसके बाद अपने नये पद काकार्यभार ग्रहण न किया हो और इस बीच उसका स्थानान्तरण आदेश रद् कर दिया जाए तो पुराने पद को छोड़ने और नये पद का भार ग्रहण करने के बीच की अवधि को कार्यग्रहण अवधि माना जाएगा। [सी एण्ड ए.जी. डी. (१)]

राष्ट्र का अपमान देवता का अपमान

'मैं अपने राष्ट्र के अपमान को अपने देवता का अपमान मानता हूँ। मै बहुत शक्तिवान भी नही हूँ। अपने लहू के अतिरिक्त अपनी माता को मैं और क्या समर्पित कर सकता हूँ। इसलिए, मातृभूमि की सेवा में अपना रक्त बहा रहा हूँ। मेरे लिए भारतमाता की सेवा ही श्रीराम व श्रीकृष्ण की सेवा है, इसलिए इसके लिए मैं अपने प्राण न्योछावर कर रहा हूँ। मुझे इस पर गर्व है। मेरी यह चाह है कि जब तक भारत माता स्वतंत्र नही हो जाती, बार-बार भारत में मेरा जन्म हो। मैं बार-बार भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना चाहता हूँ। ईश्वर मेरी चाह पूरी करें।

- मदन लाल ढ़ींगरा

(१७ अगस्त पैटोन विले जेल (इंग्लैण्ड) में फांसी के पूर्व)

''विशाल राष्ट्र-भवन का निर्माण असंख्य समर्पित व्यक्तियों के बलिदान तथा तिल तिल कर अपने को गलाने से ही संभव है। नाम, मान-सम्मान व सुख-वैभव की कामना से विरत एवं प्रखर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत संगठित कार्यकर्ताओं के अनुशासन पूर्ण परिश्रम से ही राष्ट्र का रथ वैभवपूर्ण गन्तव्य की ओर अग्रसर होगा।''

- राम नरेश सिंह 'बड़े भाई जी'

''सत्य कहने और सुनने का साहस करो।''

- महात्मा गांधी

हमने जिस दौर को चाहा है, बदल डाला है। हम जिस दौर को चाहेंगे, बदल डालेगे।।

With Best Compliments from :

Alaknanda River Adventures

Registered Office :

3/6, Race Course, Dehradun - 248 001

Tel. : 0135-621680, 621784

E-mail : aradventures@yahoo.com

THE ADVENTURE :

The river Ganges, which flows out of the lap of the Himalayas, leaves the mountains and flows on the plains, The Ganges in its untamed and turbulent from gushes over the craggy mountainsides and in Rishikesh, It changes into a serene, calm river.

Flowing beneath the shadows of thick green forest, the beauty of Ganges attracts the tourists who come here.

CAMPING :

Stay in beautiful, cozy deluxe Safari **Tents** -- twin sharing.
Surrounded by **Mountains on all side** & by the side of river **Ganga** - these camps are located on a vast sand beach-**a total natural scenic beauty.** Away from the road, one has to get down the mountain steps to reach the spot--porter boy carry the luggage for you.
Separate tents for bathing and toilets.
Separate tents housing Kitchen and Dinning
Bon-Fire arrangement during night.
Lighting thro' **Kerosene lamps** only-which adds to naturainess.
Hear the sound of **birds, barking deers, and the splashing water.**
Evening filled with **dance, and music** in the camp.
Vast space on sand bed to play volleyball or other games
Phone Calls can be received at the site.

---

hand --- otherwise just think -- we avoid planning such a adventure trip with family & friends)
RAFTING : The group has two imported rafts with experienced guide who will take you thro' the rafting tour. You need not known swimming and just need to be above 12 years of age to enjoy the thrill.

With life jacket & helmet for each individual there are 6 different grades of ride. Grade 1 being the mildest-almost flats, placid stretch of water and grade 6 being most difficult. Upto grade 2 is very safe and provides enough adventure for beginners.

Rafting on the first day is 10 m while on the 2nd day it is 12 Kms. from Shivpuri to Munni ki reti is Rishikesh in the fresh, clean flowing water of the Ganga.

EXCURSION :

Other things included in the adventure during the daytime is Trekking in the moutains, **Rock climbing** at the site itself, visit to a small nearby **Village** and ofcourse the **Laxman and Ram Jhoolas** at Rishikesh.

3005

सतर्कता

- देवनाथ सिंह,
प्रदेश महामंत्री-भा.म.स.उ.प्र.

१. सतर्कता क्या है ?

सतर्कता सावधान और चौकस रहने की स्थिति है। समाज में और खासकर सरकारी महकमें में जो भ्रष्ट आचरण बढ़े हैं, उनके कारण सतर्कता संगठन एक महत्वपूर्ण विभाग बन गया है। सतर्कता विभाग प्रबन्ध और प्रशासन का एक शक्तिशाली और अमोघ तथा अक्षय मित्र बन गया है। कभी-कभी उसकी स्थिति बहुत प्रसन्नता वाली नहीं होती। सतर्कता का प्रभव नीचे दिये गये माध्यमों से बहुत ही सकारात्मक, निर्माण करने वाला और उत्प्रेरक हो सकता है।

(क) कार्याविधि के जटिल होने या उसके प्रति लापरवाही बरतने पर पहले से खतरे की घंटियां बजाना

(ख) उद्देश्यों को प्रयोजनपूर्ण और प्रभावी प्राप्ति के लिए मार्गों में जैसे संकेत के बोर्ड लगाकर, पथ प्रशस्त करना।

(ग) स्थितियों को सही बनाने के प्रयत्न और साधारण रूप से रोग निरोधक दवा सरीखा काम करना।

(घ) भ्रष्ट और दुष्ट व्यक्तियों को समाप्त करना।

२. अधिकार और मार्ग निर्देशन : निम्नलिखित कानून :

(i) दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेण्ट एक्ट, १९४६

(ii) भ्रष्टाचार निवारण कानुन, १९४७

(iii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, १९६४

(iv) भ्रष्टाचार जांच समितियां : कृपालिनी समिति १९५५, संथानम समिति १९६४, प्रशासनिक सुधार आयोग १९७०

४२.३. सतर्कता संगठन के उद्‌देश्य :

बुनियादी उद्‌देश्य तो भ्रष्टाचार समाप्त करना है। दूसरे उद्‌देश्य है :

(i) सभी स्तरों पर कार्यकलापों में कार्यक्षमता के साथ-साथ मर्यादा बनाये रखने और कतर्व्यनिष्ठा कायम करने में प्रबंध की सहायता

(ii) प्रबंध के लिए एक सेवा संगठन के रूप में कार्य करना और गलत हिस्सों की पहचान करने में मदद करना, न्यायपूर्ण तटस्थ और तेजी से जांच करना, कार्यविधियों में गुणात्मक सुधारों के सुझाव देना और सरकारी कोष के रिसाव को रोकने में मदद करना।

(iii) निष्पक्ष रूप से और तुरंत शिकायतों की जाच-पड़ताल करना और यह करने में सुनी हुई बातों, पक्षपात, दबाव या प्रलोभन से तनिक भी ढुलमुल न होना।

(iv) नियमित और अचानक जांच, धावे, निरीक्षण आदि अपने आप में सी. बी. आई. के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में करना जिससे गलत व्यवहारों, भ्रष्टाचार, अधिकारों के दुरूपयोग और दूसरी अनियमितताओं के मामले खोजे जा सकें।

(v) गुप्त सूचनायें प्राप्त करने के माध्यमों का विकास करना ताकि भ्रष्टाचार घूस, गलत व्यवहार, अधिकारों के दुरूपयोग, दुराचरण आदि का पता चले और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हो सके।

(vi) प्रबंध को इस दिशा में जागरूक बनाना कि वह सतर्कता को एक लगातार चलने वाला प्रबंध कार्य माने और यह कि वे जब चाहें, इस संगठन का आवश्यकतानुसार इस्तेमाल कर सकें।

निमार्णों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें।

शुभकामनाओं सहित :–

राष्ट्रीकृत बैंकों से १% अधिक व्याज मिनी बैंक के समस्त सम्मानित ग्राहकों को २९वें प्रान्तीय सम्मेलन की हार्दिक शुभकामनाओं

मिनी बैंक

साधन सहकारी समिति लि० लालपुर

वि० खण्ड – महमूदाबाद, जनपद–सीतापुर

शाचीस कुमार श्रीवास्तव
प्रशासक/ए.डी.ओ.सी.

देव शर्मा
जिला सहा. निबन्धक,
सह. समितियां उ. प्र० सीतापुर

राम जीवन वर्मा
सचिव

3102

शुभकामनाओं सहित :-

मे. जयसवाल स्टील्स

बरहज – देवरिया

2403

With Best Compliments From :

TISHA MINERALS

116, 117, 118 UPSIDC Industrial Area,
Bharwa Sumerpur,
Distt. : Hamirpur - 210 502 (U.P.)

1103

शुभकामनाओं सहित :–

रोजा शुगर वर्क्स (प्रो० द अवध शुगर मिल्स लि०)

जिला – शाहजहांपुर, रोजा – २४२४०६

सफेद दानेदार चीनी के निर्माता

रजि० आफिस : द अवध शुगर मिल्स लि०
हरगांव, जिला–सीतापुर (उ.प्र.)

हेड आफिस : ९/१, आर.एन. मुखर्जी मार्ग
कोलकाता–७००००१

4101

(vii) जो लोग ईमानदार, कार्यक्षमता से पूर्ण व कानून मानने वाले हैं, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से उनकी रक्षा करते हुए उनके हाथ मजबूत करना और उन लोगें को सौम्यता से सुधारना जिनसे कोई वास्तविक चूक हो जाये।

४. सतर्कता विभाग के प्रमुख कार्य : तीन हैं : -

(i) **शिक्षात्मक :** प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सतर्कता बुलेटिन आदि से

(ii) **निवारक (रोकथाम) :** नियमों, कार्यविधियों आदि में सुधार से

(iii) **जांच** : गहरी छानबीन करके अपराधी की पहचान करना और कराना। अनुशासन की कार्यवाही तो कार्यकारी अधिकारी को ही करनी होती है।

५. केन्द्रीय सतर्कता आयोग :

इसकी स्थापना भारत सरकार ने १९६४ में गृह मंत्रालय के संकल्प सं. २४/७/६४ ए. वी. डी. दिनांक ११.२.६४ के माध्यम से की। संथानम समिति ने जो भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनाई गई इसके लिए सिफारिश की थी। अन्य संस्थाओं जैसे उच्चतम न्यायालय, संघलोक सेवा आयोग, कन्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल की भांति यह आयोग एक साविधिक संस्था नहीं बनाया गया। इस तरह संस्थाओं की अधिकार सीमा और कार्यो में संशोधन के लिए संसद का कानून बनता है। असाविधिक संस्था में सरकार ही एक आदेश से इनमें परिर्वतन कर देती है। आयोग स्थापित करने का मुख्य प्रयोजन यह था कि देश में सतर्कता को मजबूत किया जाय। संकल्प की जो भावना है उसके अनुसार आयोग सरकार से स्वतंत्र है।

६. आयोग की संरचना :

यह एक व्यक्ति का आयोग था जिसके प्रधान रहे केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त। इन्हें राष्ट्रपति अपने अधिपत्र से मुहर सहित हस्ताक्षर करके नियुक्त करते रहे। यह नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होती थी जिसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता था। अब इसमें परिर्वतन हुआ जिसे आगे दिया जा रहा है। इनकी सहायता के लिए यह रचना की गई थी :- एक सचिव (भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव), ब्रांच ब्रांच अधिकारी (निदेशक/उप सचिव), तीन अनु. सचिव. विभागीय जांच के लिए ग्यारह कमिश्नर (उप-सचिव/निदेशक स्तर के), ८ तकनीकी परीक्षक, ६ सहायक तकनीकी परीक्षक, ५ तकनीकी सहायक (जो आयोग को किसी तकनीकी मामले में सतर्कता की दृष्टि से सलाह दे सकें)।

७. अधिकार क्षेत्र :

वे सभी मामले जिनमें केन्द्र सरकार की कार्य-पालक (एक्जीक्यूटिव) शक्तियों का प्रयोग होता है जैसे, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, एन डी. एम. सी., एम. सी. डी., पब्लिक संस्थान, राष्ट्रीयकृत, बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, बीमा कम्पनी, कोआपरेटिव और अन्य समितियां जो केन्द्र सरकार से अनुदान पाती हों, स्वायत्त और अन्य संस्थायें।

८. कार्य :

आयोग के कार्य सलाहकार के है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के होते हैं। यद्यपि वे अनुशासन अधिकारी को बाध्य नहीं करते, किन्तु ऐसा नहीं कि उन्हें हल्केपन से लिया जाय। यदि आयोग की सलाह के अनुसार कार्य न हो तो उसके कारण तुरंत उसे सूचित करने पड़ते हैं। वे सभी मसले जिनमें सलाह नहीं ली गई, सलाह स्वीकार नहीं की गई या उसके कार्य नही हुआ वार्षिक रिर्पोट में शामिल किये जाते हैं जो संसद के दोनों सदनों की जाती है। दंड के मामलों में आयोग के अधिकार है : जांच शुरू करना, जांच करवाना, शिकायतों को सीधे अपने नियंत्रण में लेना, सी.बी. आई. से कोई मामला रजिस्टर करके जांच करने को कहना, मंत्रालय आदि को कोई मामला सौप कर जांच करके रिर्पोट देने के लिए कहना आदि। शिकयातों के

श्रम से सरिता चलते-चलते सागर तक पा लेती है, श्रम से उषा अन्धकार पर सहज उजाला कर देती है।

With Best Compliments from :

WIMCO

Manufactuters of High Quality Safety Matches of Renowned Brands :

"Homelites"

"Tekka-Karborised"

"Ship-Karborised"

Deer & Tigar"

"Rising Sun"

"Horse Head Red"

"Chief"

WIMCO LIMITED

Clutterbuckganj Bareilly - 243 502 (U.P.)
Phone : 2480225, Fax : 0581-2480252

4204

विभिन्न मामलों में आयोग से परामर्श करना होता है।

६. उच्चतम न्यायालय का निर्णय केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का सी.बी.आई. आदि पर नियंत्रण :

१८.१२.९७ के उच्चतम न्यायालय के आदेश ने उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार की जांच करने वाली संस्थाओं को स्वायत्तता दी है। इसके पीछे जो सिद्धांत है वह न्याय के सामने बराबरी का बुनियादी सिद्धांत है : आप कितने भी ऊँचे हो, कानून आपके ऊपर हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के महत्वपूर्ण पहलू ये हैं:

(१) केन्द्रीय सतर्कता आयोग को साविधिक (स्टेटुटरी) संस्था का स्तर दिया जाय। वह सी.बी. आई. के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा। सी.बी.आई. के कार्य के लिए सरकार उत्तरदायी रहेगी पर आयोग उसके कार्यों पर नजर रखेगा। सी.बी.आई. मामले के बारे में आयोग को रिर्पोट देगी।

(२) कन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति एक समिति करेगी जिसमें प्रधान मंत्री, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। वे केबिनेट सेक्रेटरी द्वारा प्रस्तुत एक नामिका पर विचार करेंगे जिसमें उत्कृष्ठ सिविल कर्मचारियों और अन्यों के नाम होंगे जिनकी कर्तव्यनिष्ठा अनिद्यं हो। समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगें।

(३) निदेशक सी.बी. आई. की नियुक्ति एक समिति करेगी जिसके प्रधान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे और सदस्य गृह सचिव तथा सचिव (कार्मिक) ये नियुक्ति के लिए नामिका तैयार करेंगें। निदेशक का चुनाव केबिनेट की नियुक्ति समिति करेगी। उसकी कार्यावधि दो वर्ष होगी।

(४) उच्चस्तरों पर भ्रष्टाचार की जांच करने वाली संस्थाओ को स्वायत्तता रहेगी और वे संयुक्त सचिव तथा उच्चस्तर के अधिकारियों के विरूद्ध बिना मंत्रालय/ विभागाध्यक्ष की अनुमति के जांच शुरू कर सकेंगी और अरोप पत्र जारी कर सकेंगी।

४२.१०. राष्ट्रपति का अध्यादेश - नये केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति : हाल में ही प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता की समिति की सस्तुंति पर राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति के अध्यादेश सं. १५(१९९८) दिनांक २५.८.९८ के तहत यह नियुक्ति हुई है और नये नियम बनाये गये हैं। आयोग में अध्यक्ष के अलावा अधिकतम चार और सदस्य होंगे। इन चार में तीन सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं जो आयोग के सदस्य होंगें। एक सदस्य कार्मिक पदेन होगा। अध्यादेश में आयोग के कार्यो और शक्तियों का भी वर्णन है। इसमें प्रमुखतः १९८८ के प्रवधान भी शामिल किये गये हैं जिनकी चर्चा पहले ही की गई है। आयोग विशेष पुलिस इस्टेबलिशमेंण्ट निदेशालय के कार्यो की देख-रेख के अलावा उनकी नियुक्तियों में भी शामिल होगां। इस अध्यादेश पर उच्व्तम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विचार-विर्मश चल रहा है।

२७ अक्टूबर १९९८ को राष्ट्रपति ने एक नया अध्यादेश जारी करके पिछले अध्यादेश को संशोधित कर दिया है। इस नये अध्यादेश में उच्चतम-न्यायालय के मार्ग निर्देशों का ध्यान रखा गया है। अब, मुख्य सतर्कता आयुक्त के अलावा तीन आयुक्त और होंगे इनमे से दो गैर-ब्यूरोक्रेट होंगे और एक ब्यूरोक्रेट होगा। ये वित्त, विधि, सतर्कता और जांच के मामर्लो में एक्सपर्ट होगें। मुख्य सतर्कता आयुक्त सी.बी.आई. के कार्यो को देखेगें। उनके अलावा गृह सचिव (कार्मिक) मिलकर सी.बी.आई. के निदेशक का नाम प्रस्तावित करेंगें।

२५.८.९८ और उसके बाद ८.१.९९ के अध्यादेशो की अवधि समाप्त हो गई है। सरकार ने अभी कोई बिल पास करने की कार्यवाही नही की है। किन्तु आयोग को यथावत् कार्य करते रहने दिया गया है।

विपदाओं से डरे बहुत पर आस नही घटने दी है, प्राण दिये हंसते-हंसते पर बात नही झुकने दी है।

With Best Compliments From :

ZILA SAHKARI BANK LTD. MEERUT

H. O. : WESTERN KUTCHERY ROAD, MEERUT

BANK PROGRESS AT A GLANCE (31.3.2002)

S. No.	Particular	Year 2002 (Amt. in lacs)
1.	Branches	41
2.	Share Capital	743.02
3.	Deposites	30487.01
4.	Working Capital	38748.55
5.	Loan & Advances	16342.19
6.	Profit	1181.65

Main Features :

1. Deposits covered by Insurance.
2. Best Customer Service through 41 Branches
3. Locker Facility available at most Branches
4. Crop. Loan facility to farmer through Kishan Credit Card.
5. Facility of Consumer Durable Loan, Higher/Technical Education Loan Composit Loan through Pd. Deen Dayal Sah. Swa Roggar Yojna.
6. Full control & Supervision of R.B.I./Nabard & State Govt.

4501

INDRA JEET SINGH
General Manager

CH. DHRAM VEER SINGH
Chairman

With Best Compliments From :

bp

BHAWANI PRINTERS

Deals in :

Screen Printing, Offset Printing, Computer Design

Mahaddipur, Gorakhpur - 273008,
Ph. : 0551- (O) 2202710 (R) 2203069

2303

शुभकामनाओं सहित :–

राष्ट्रीकृत बैंकों से १% अधिक व्याज मिनी बैंक के समस्त सम्मानित ग्राहकों को २६वें प्रान्तीय सम्मेलन की हार्दिक शुभकामनाओं

मिनी बैंक

साधन सहकारी समिति लि० गुलरामऊ
वि० खण्ड – महमूदाबाद, जनपद–सीतापुर

एस. के. श्रीवास्तव
प्रशासक/ए.डी.ओ.सी.

देव शर्मा
जिला सहा. निबन्धक,
सह. समितियां उ. प्र० सीतापुर

पी. एन. पाण्डेय
सचिव

3101

सेवा के दौरान मृत्यु और अशक्तता पर देय विशेष लाभ - अशक्तता पेंशन/परिवार पेंशन

- शिव भूषण सिंह 'सलिल'

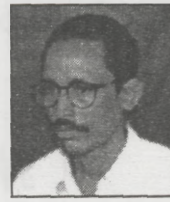

१. **मृत्यु और अशक्तता की परिस्थितियों** को पांच वर्गो में बांटा गया है-

वर्ग 'ए' - प्राकृतिक कारणों से मृत्यु या अशक्तता जिसे सरकारी सेवा से नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे, हदय अथवा किडनी की बीमारी, कोई लम्बी बीमारी, दुर्घटना जो ड्यूटी पर न हो।

वर्ग 'बी' - ऐसे कारणों से मृत्यु या अशक्तता जो सरकारी सेवा से उत्पन्न हुए या बढ़े हुए स्वीकार किये जाएं, जैसे, काम के विरोधी वातारण, मौसम की कठिन परिस्थतियों या व्यावसायिक (आकुपेशनल) रोग के परिणााम स्वरूप मृत्यु या अशक्तता।

वर्ग 'सी'- काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु या अशक्तता जैसे, सरकारी वाहन या सार्वजनिक यातायात से, अथवा सर्विस हवाई जहाव से ड्यूटी पर यात्रा अथवा समुद्र पर दुर्घटना अथवा ड्यूटी पर बिजली लगने से।

वर्ग 'डी' - ड्यूटी करते समय अथवा अन्यथा आतंकवादीयों, असमाजिक तत्वों आदि की हिंसा के कारण मृत्यु या अशक्तता।

वर्ग 'ई' (क) उग्रवादियों या असमाजिक तत्वों आदि के खिलाफ कार्यवाही मे या उनके हमलें में और (ख) अन्तराष्ट्रीय युद्ध या सीमा के झगड़ों और युद्ध सरीखी स्थितियों में दुश्मन की कार्यवाही आदि के कारण मृत्यु या आशक्तता। इनमें उग्रवादियों की कार्यवाही, सुरंग फटने, अथवा अगवा कर लेने ओर हथियारों के साथ प्रशिक्षण अभ्यास आदि शामिल होगें।

२. इन परिस्थितियों में वर्तमान प्रावधानों में संशोधन के लिए पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए सरकार ने निर्णय किये हैं। वर्ग 'ए' के मामले वर्तमान प्रावधानों के अनुसार निपटाने जाएंगे। अन्य वर्गों के लिए विशेष भुगतान होंगे।

३. परिवार पेंशन :

(क) वर्ग 'बी' व 'सी' विधवा को असाधारण पेशन की दर

(i) यदि मृत कर्मचारी पेशन वाले पद पर नहीं था तो मूल वेतन का ४० प्रतिशत जा १,६५० रू० से कम न हो।

(ii) यदि मृत कर्मचारी पेंशन वाले पद पर था तो मूल वेतन का ६० प्रतिशत जो २,५०० रू० से कम न हो।

बच्चों को भी इसी दर पर परिवार पेशन मिलेगी। आश्रित **माता/पिताः भाई/बहन** आदि को इससे आधी दर पर परिवार पेशन दी जाएगी।

(ख) वर्ग 'डी' और ई-

(i) वर्तमान उदार पेंशन योजना के अनुसार परिवार पेंशन का भुगतान होगा।

(ii) यदि विधवा जीवित न हो तो बच्चों को मूल वेतन के ६० प्रतिशत या कम से कम २५०० रु० परिवार को पेंशन मिलेगी।

(iii) यदि कर्मचारी अविवाहित अथवा विधुर था और बच्चें भी नहीं थे तो माता पिता दोनों को मूल वेतन का ७५ प्रतिशत और यदि दोनों में से एक जीवित हो तो मूल वेतन का ६० प्रतिशत मिलेगा।

(४) अशक्तता पेशन :

(क) वर्ग 'बी' और 'सी' -

अपने हित का लोभ नही - सर्वहित एक समान है, त्याग तपस्या बलिदानों का - बिन्दु अमर महान है।

With Best Compliments From :

V. N. DYERS & PROCESSORS (P) LTD.

BARGADWA, GORAKHPUR - 273 007
Phone : 2260214, 2260489
Fax : 0551-2260663

2301

शुभकामनाओं सहित :—

दी प्रतापपुर सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०

प्रतापपुर - २७४७०३, देवरिया (उ० प्र०)
फोन नं. : ०५५६६-२८५०२३, २८५०२६ फैक्स : ०५५६६-२८५०८६

प्रतापपुर चीनी मिल ''श्रम आराधना'' स्मारिका के माध्यम से २६वें प्रान्तीय अधिवेशन २००३ के पावन अवसर पर मिल में कार्यरत समस्त श्रमिकों एवं कर्मचारियां तथा मिल में गन्ना आपूर्ति करने वालो कृषकों का हार्दिक अभिनन्दन करती है। देवरिया जनपद की प्रतापपुर ही एकमात्र चीनी मिल है जिसने वर्ष २००१-२००२ का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कृषकों को कर दिया है।

वर्तमान पेराई सत्र २००२-२००३ में गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। मिल में दिनांक १५ जनवरी, २००३ तक १३-१७ लाख कुन्तल गन्ना पेराई करके १-११ लाख बोरे शुद्ध एवं दानेदार चीनी का उत्पादन किया है चीनी का परता ८-३६ प्रतिशत है।

एक सौ वर्ष पुरानी प्रतापपुर चीनी मिल, सफेद दानेदार एम-३१ ग्रेड के चीनी उत्पादकों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। आगामी बसन्तकाल (फरवरी-२००३) में समस्त किसान भाई अधिक से अधिक क्षेत्र में शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौ० श० ८४३६ गन्ना बावग कर गौरवान्वित हों।

बी. के. माहेश्वरी	**पी. के. लोहिया**
महाप्रबन्धक (संगठन)	वाईस प्रेसीडेन्ट (मिल्स)

2401

(i) पेंशन नियमों के अनुसार सामान्य पेंशन और ग्रेज्युटी के अलावा अशक्तता पेंशन जो १०० प्रतिशत अशक्तता के लिए मूल वेतन के ३० प्रतिशत के बराबर होगी।

(ii) यदि अशक्तता का प्रतिशत १०० से कम हो तो अशक्तता पेंशन तो वर्तमान नियमों के अनुसार अनुपात में कम हो जायेगी किन्तु यदि स्थायी अशक्तता ६० प्रतिशत से कम न हो तो कुल पेंशन (यानी सामान्य पेंशन और उपर्युक्त क (1) में देय अशक्त्ता पेंशन मिलाकर) मूल वेतन के ६० प्रतिशत या २,५०० रू० के कम नहीं होगा।

(ख) वर्ग 'डी' -

(i) अशक्तता पेंशन जिसमें अंश और अशक्तता अंश दोनों शामिल होगें। **सेवा अंश** सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि तक की सेवा और अशक्तता की तिथि के वेतन के आधार पर देय पेंशन और ग्रेज्युटी के बराबर होगा और आशक्त अंश सामान्य परिवार पेंशन के बराबर होगा। किन्तु शर्त यह है कि सेवा और अशक्तता दोनों के अंश मिलाकर १०० प्रतिशत अशक्तता के लिए अंतिम वेतन के ८० प्रतिशत से कम नहीं होगें।

(ii) अशक्तता का प्रतिशत कम होने पर अशक्तता अंश वर्तमान नियमों के अनुसार अनुपात में कम हो जायेगा।

(ग) वर्ग 'ई' -

(i) अशक्तता पेंशन का **सेवा अंश** उपरोक्त (ख) (१) के सेवा अंश के बराबर होगा और अशक्तता अंश अंतिम वेतन के बराबर होगा किन्तु शर्त यह है कि सेवा और अशक्तता दोनों के अंश मिलाकर १०० प्रतिशत अशक्तता के लिये अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगें।

(ii) अशक्तता का प्रतिशत कम होने पर अशक्तता अंश वर्तमान नियमों के अनुसार अनुपात में कम हो जाएगा।

(५) (i) अशक्तता अंश निकालने के लिए अशक्तता या कार्य की असमर्थता को नीचे लिखे तरीके से निश्चित किया जाएगा-

मेडिकल बोर्ड द्वारा निश्चित अशक्तता का %	अशक्तता अंश निकालने के लिए %
५०% से कम	५०
५०% और ७५% के बीच	७५
७५% और १००% के बीच	१००

(i) मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा यदि कर्मचारी उच्चतर अधिकारी को अपील न करे।

४. पुराने १९९६ के पहिले के मामलों में अशक्तता पेंशन और परिवारा-पेंशन का फिर से निर्धारण -

३.२.२००० के उपर्युक्त आदेशों में १९९६ से पहिले के मामलों मे अशक्तता पेंशन और परिवार पेंशन के फिर से निर्धारण की व्यवस्था की गई थी। इस बारे में विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है, कि १९९६ के पहिले मामलों में पेंशन या परिवार पेंशन को २७.१०. १९९७ के का. ज्ञा. सं. ४५/८६/९७-पी. एण्ड डब्लू (ए) (भाग ii) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार फिर से निर्धारित किया जायेगा। १०.२.१९९८ के का. ज्ञा. सं. ४५/८६/९७-पी.डब्लू (ए) (भाग iii) में दिए गए लाभ भी इस वर्ग की पेंशन और परिवार पेंशन पर दिये जाऐगें। इसका अर्थ यह हुआ कि पहिले यह निर्धारण १.१.८६ को अथवा उसके बाद की तारीखें को (जो उस मामले में लागू हों) किया जायेगा। तब अन्त में १.१.९६ को नियमानुसार समेकित किया जाएगा। इस प्रकार समेकित की हुई राशि को उपर्युक्त (३.२.२००० के) आदेशों के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए परिवार पेंशन और अशक्तता पेंशन के निर्धारण में प्रयुक्त किया जायेगा। इन सभी मामलों में, जहाँ न्यूनतम मूल-वेतन पर निर्धारित प्रतिशत की बात की गई है यह मूल वेतन १.१.९६ से संशोधित वेतन मानों के न्यूनतम के आधार पर गिना जाएगा, जो कर्मचारी के अन्तिम पद पर प्रयुक्त होता हो। [पेंशन विभाग, का. ज्ञा. सं. ४५/२२/९७-पी. एण्ड पी. डब्ल्यू. (सी.) दिनांक ११.९.२००१]

पूंजीवाद और साम्यवाद यह, अधूरी चिंतन धारा। एकात्म मानव दर्शन से ही, सत्य विकाश हमारा।।

With Best Compliments From :

PAN PARAG

GUTKHA PAN MASALA MAWA

1009

सेवा एसोशिएशन और संयुक्त सलाहकार तंत्र

- श्रीकान्त अवस्थी, प्रदेश मंत्री-भा.म.स.उ.प्र.

१. सेवा एसोशिएशन की मान्यता के नियम :

केन्द्रीय सिविल सेवा (सर्विस एसोशिएशन की मान्यता) नियम, १९९३ में दिये गये हैं ये नियम रेल और रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रीय कर्मचारियों और रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों के सर्विस एसोशिएशन पर लागू होते हैं। ये भारत सरकार के गजट जी.एस.आर. सं. ६८६ (इ) दिनांक ५.११.९३ को प्रकाशित हुए।

२. मान्यता की शर्तें :

(i) सरकार को एक प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा जिसमें मेमोरंडम आफ एसोसिएशन, संविधान, उपनियम, पदाधिकारियों के नाम, कुल सदस्य संख्या और वे दूसरी सूचनायें होगी जो सरकार मांगे।

(ii) उद्देश्य - सदस्यों की सामान्य सेवा हितों की अभिवृद्धि होगा।

(iii) एसोसिएशन केन्द्रीय रूप से संगठन/मंत्रालय/विभाग के लिए संगठित हो और जिस वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करे उनकी कुल संख्या के कम से कम १५ प्रतिशत सदस्य अवश्य हों।

[का. सं. २/१४/९८ जे. सी. ए० दिनांक २३.९. २००२]

(iv) कर्मचारी जैसे ही उस वर्ग का सदस्य नहीं रहेगा वैसे ही एसोसिएशन की उसकी सदस्याता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(v) जो कर्मचारी नौकरी में है वे एशोसिएशन के सदस्य और पदाधिकारी होंगे।

(vi) एसोसिएशन किसी जाति, जनजाति या धार्मिक हितों या उनके ग्रुपों के हितों की रक्षा के लिए काम नहीं करेगा।

(vii) कार्य समिति सदस्यों में से ही नियुक्ति होगी।

(viii) एसोासिएशन की निधि सदस्यों के चंदे और सरकार के अनुदान से ही बनेगी और उसका खर्च केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए होगा।

३. मान्यता कायम रहने की शर्तें :

इसके लिए एसोसिएशन को इन शर्तों का पालन करना होगा।:

(i) सदस्यों के सामान्य हितों के अलावा किसी दूसरे विषय पर प्रतिवेदन या डेपुटेशन नहीं भेजें जायेंगे।

(ii) किसी एक कर्मचारी के सेवा मामलों के हितों के लिये मदद नहीं की जायेगी।

(iii) कोई राजनैतिक निधि नहीं रखी जायेगी। न ही किसी राजनैतिक दल या उसके सदस्यों के विचारों का प्रचार किया जायेगा।

(iv) सभी प्रतिवेदन सरकार के सचिव, विभाग/कार्यालय/संगठन के प्रधान को उचित माध्यम से प्रस्तुत किये जायेगें और उनमें कोई अशोभनीय या असम्मान जनक भाषा का उपयोग नहीं होगा।

(v) प्रत्येक वर्ष १ जुलाई के पहले साधारण वार्षिक बैठक के बाद सदस्यों पदाधिकारियों की सूची, नियमों और आडिट किये हुए लेखा विवरणों की नवीनतम प्रतिलिपि सरकार को उचित माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

भोजन आधा पेटकर, दुगुना पानी पीउ। तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष सवा सौ जीउ।।

शुभकामनाओं सहित :-

1010

(vi) अपने संविधान और उपनियमों का पालन किया जायेगा।

(vii) संविधान/उपनियमों में संशोधन सरकार की स्वीकृति से होगा।

(viii) कोई मैगजीन/पत्रिका/बुलेटिन आदि बिना सरकार की अनुमति के न तो शुरू की जायेगी न छपेगी।

(ix) यदि ऐसा कोई प्रकाशन भारत सरकार के हितों मे न हो और सरकार निर्देश दे तो उस प्रकाशन को तुरंत बन्द कर दिया जायेगा।

(x) एसोसिएशन किसी विदेशी संस्था से पत्र व्यवहार आदि नहीं करेगां- जो भी पत्र-संपर्क होगा वह सरकार के माध्यम से होगा, जिसे सरकार रोक सकेगी।

(xi) वह न तो स्वयं ही और न अपने सदस्य को कोई ऐंसा काम करने देगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम १९६४ के प्रावधानों के विरूद्ध हों।

४. सदस्यता की जांच की चेकआफ पद्धति :

(१) मान्यता की दृष्टि से सर्विस एसोसिएशन की सदस्यता की जांच वेतन विलों की जांच के द्वारा उस अन्तराल या तरीके से की जायेगी जिसे सरकार निर्धारित करे। कर्मचारी की लिखित सहमति से ही एसोसिएशन का चंदा वेतन से वसूल किया जायेगा। जब तक कर्मचारी लिखकर मना न करे चंदे की वसूली होती रहेगी।

[सी. ए. जी. परिपत्र सं. एन./२६/६८ सं. २५७ एन. जी. ई./जे. सी. एम./३४/६८ दिनांक ६.६.१९६८,

(२) यदि सरकार किसी समय इस बात की जांच करना चाहे कि एसोसिएशन की सदस्यता पर्याप्त नहीं है तो वह विशेष जांच का निर्देश दे सकती है।

४क. कर्मचारी ऐसोसिएशनों की मान्यता की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह अनुदेश दिए गये हैं कि ऐसे सभी एसोसिएशन की सदस्यता के पुनर्सत्यापन की कार्यवाही शुरू की जाए जिनकी मान्यता की प्रारम्भिक अवधि पूरी हो चुकी है, या अगले ६ महीने में पूरी हो जायेगी। मान्यता प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख तक नए आवेदन मंगाए जाए। निर्धारित प्रक्रिया ६ माह के भीतर पूरी कर ली जाए। जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती संयुक्त परामर्शदायी तंत्र (विभागीय परिषद या कार्यालय परिषद) की कोई बैठक कार्योजित नहीं होगी।

[कार्मिक और प्रशि. विभाग. का. ज्ञा. सं. २/१३ ९८-जे. सी. ए. दिनांक २४.५.२००१]

५. मान्यता वापिस लेना :

यदि सरकार की राय में मान्यता प्राप्त एसोसिएशन किसी शर्त का पालन न करे तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर मान्यता वापिस ली जा सकती है।

६. छूट :

किसी एसोसिएशन के बारे में नियमों की किसी आवश्यकता को छोड़ सकती है या उसमें छूट दे सकती है ओर इस छूट की सीमा और शर्त तय कर सकती है।

७. संयुक्त सलाहकार तंत्र :

इस तंत्र की शुरूआत हिटले काउन्सिल स्कीम के आधार पर १९६६ मे हुई। २८ अक्टूबर, १९६६ को केन्द्रीय मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने उद्घाटन किया। इस तंत्र का उद्देश्य यह है कि सरकार और कर्मचारियों के संगठनों के बीच अच्छे संबध और सहयोग का वातावरण बने जिससे सार्वजनिक सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। इसमें कर्मचारियों की नौकरी की शर्तो, काम की परिस्थितियों और कार्यक्षमता में सुधार से संबंधित मसलों पर विचार किया जाता है। इसमें केवल सिद्धांतों की बात होती है व्यक्तिगत मसलों की नहीं। यह तंत्र विभिन्न मंत्रालयों में राष्ट्रीय, विभागीय ओर रीजनल तीन स्तरों पर काम करता है।

(१) संयुक्त विभागीय काउन्सिल : यह मंत्रालय या

उत्तरं यत् समुद्रस्य, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्ष तद् भारतं नाम भारतीयत्र संततिः।।

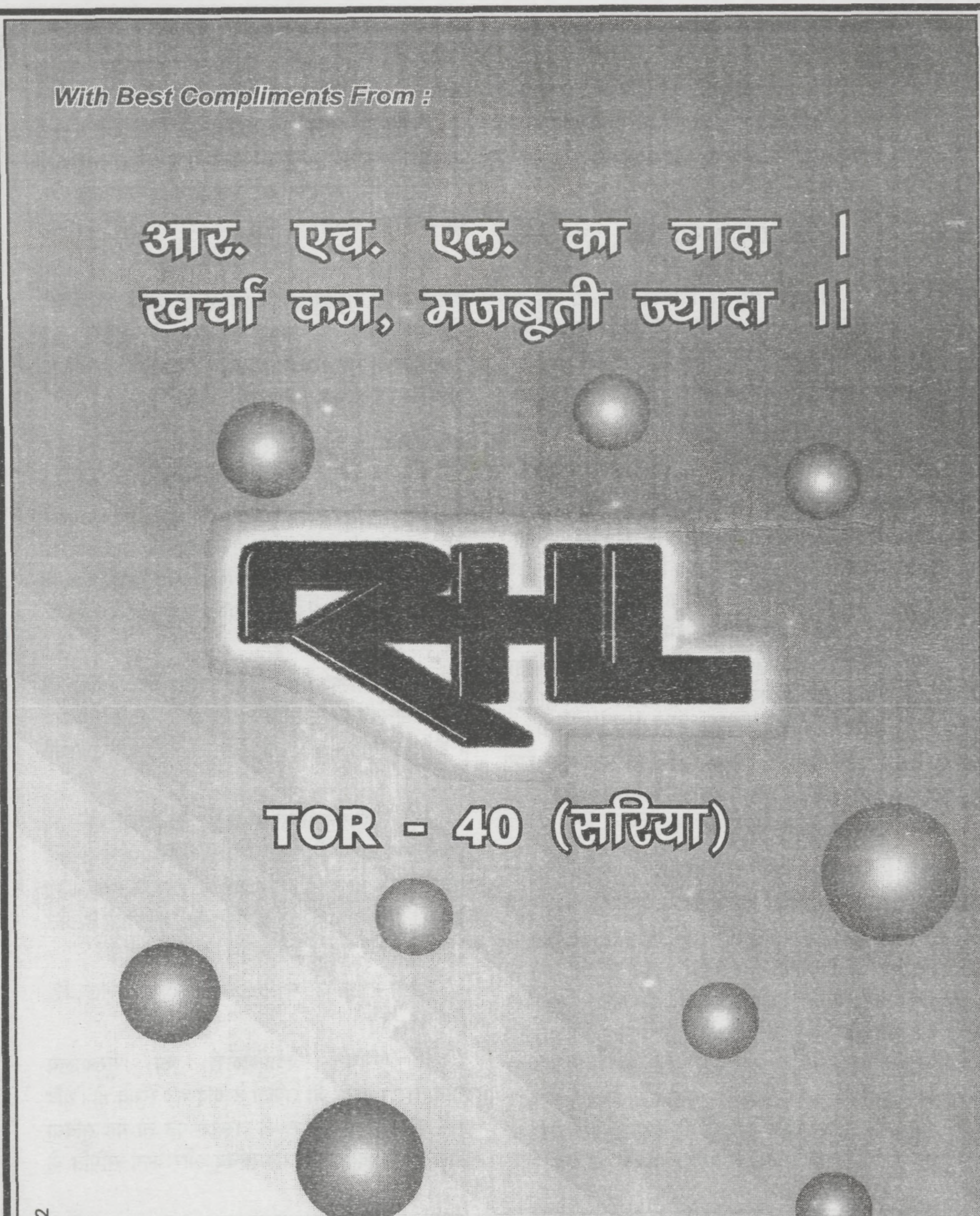
With Best Compliments From :
आर. एच. एल. का वादा ।
खर्चा कम, मजबूती ज्यादा ।।
RHL
TOR - 40 (सरिया)
3402

विभाग के स्तर पर है। सरकारी पक्ष में ५ से १० तक सदस्य होते हैं और कर्मचारी पक्ष में मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों के २० से ३० सदस्य। इसकी बैठक चार महीने में एक बार होती है।

(२) संयुक्त राष्ट्रीय काउन्सिल : यह केन्द्रीय सरकार के स्तर पर केबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित है। सरकारी पक्ष में विभिन्न मंत्रालयों के २५ सदस्यों और कर्मचारी पक्ष में सभी मंत्रालयों के मान्य फेडरेशनों के ६० सदस्य। सरकारी पक्ष में गृह, श्रम, संचार, रक्षा और रेल मंत्रालयों के सचिव शामिल होते हैं। मान्य फेडरेशन अपने सदस्य नामित करते हैं, जो तीन वर्ष के लिए होते हैं।

(३) पंच फैसला (आरबिट्रेशन) : यदि इन स्तरों पर कोई फैसला न हो तो मध्यस्थता की सीमा में आने वाले विषयों को पंच फैसले के लिए दिया जाता है। पंचों के बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं। एक सदस्य सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत पांच व्यक्तियों की नामिका से होगा और एक सदस्य राष्ट्रीय काउंसिल के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत इसी आकार की नामिका से लिया जाएगा। अध्यक्ष एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा। केन्द्रीय श्रम मंत्री इन तीनों को नामित करेंगे। पंच फैसले की शर्तें सभी पर बाध्य होगी केवल संसद को ही इस मामलों में सर्वोच्च अधिकार है। वही सिफारिशें बदल सकती हैं।

८. **विभागीय परिषदों की बैठकें** चार मास में एक बार होगी इनमें विचाराधीन विषयों की कार्यसूची बैठक से कम से कम ३० दिन पूर्व जारी की जाएगी। अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची से बाहर के विषयों पर भी बात हो सकती है। तय कर लिए गये मामलों पर अगले १२ महीने तक दोबारा कार्यसूची पर नहीं लाया जायेगा। यदि किसी मामले पर सहमति नहीं हो पाती तो ऐसा मामला मध्यस्थता-बोर्ड को सौपा जा सकता है जिसमें सरकार द्वारा तीन सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस बोर्ड का अध्यक्ष कोई स्वतंत्र व्यक्ति होगा। सदस्यों के लिए तीन सूचियां बनाई जाती हैं और प्रत्येक सूची में से एक व्यक्ति लिया जाता है । एक बार घोषित कर दिया गया फैसला अथवा निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। केवल संसद ही ऐसे निर्णय में परिर्वतन कर सकती है अन्यथा यह तीन वर्ष तक लागू रहेगा।

९. **रीजनल या कार्यालय स्तर पर** सर्वोच्च अधिकारी कांउसिल का अध्यक्ष होगा। सदस्यों की संख्या कर्मचारियों की कुल संख्या के आधार पर तय की जायेगी। यह काउंसिल रीजनल/स्थानीय समस्याओं पर विचार करेगी। इसकी बैठकें दो माह में एक बार अवश्य होगी।

१०. युनियन कार्यो के लिए सुविधायें :

(१) कार्यालय परिसर में बैठकें : कार्यालय /कारखाने के सुरक्षित क्षेत्र से बाहर खुले स्थान पर करने की अनुमति दी जा सकती है। कार्यालय/कारखाने के अन्दर भी अनुमति दी जा सकती है यदि उससे काम में कोई व्यवधान न पड़े और पर्याप्त जगह सुलभ की जा सके।

(२) कार्यालय परिसर में नोटिस बोर्ड लगाने की सुविधा मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को दी जाती है जिसमें वे विभिन्न निर्धारित मामलों में अपने नोटिस लगा सकते हैं।

(३) यूनियन/एसोसिएशन पदाधिकारियों को पूर्णकालिक बाहय सेवा की सुविधा दी जा सकती है यदि ऐसा निवेदन प्राप्त हो। तीन वर्ष की अवधि तक बाहय सेवा की शर्तों के अनुसार अनुमति दी जा सकती हैं और विशेष सूरतों में यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

[श्रम मंत्रा. का. सं. १८/२१/६० एल. आई. दि. ५.६.१९८१]

(४) युनियन पदाधिकारी का मुख्यालय स्थानान्तरण किया जा सकता है यदि यह संभव हो। यदि इसमें फील्डड्यूटी से छूट की जरूरत पड़े तो यह सुविधा केवल मुख्य पदाधिकारी महासचिव और कार्य समिति के

'छुआ छूत अगर पाप नहीं तो दुनियां में कोई पाप नहीं' - प. पू. बाला साहब देवरस

दि इण्डियन बुड प्रोडक्टस कं. लिमिटेड

मशीन द्वारा निर्मित शुद्ध कत्था एवं कच के निर्माता

की ओर

से

हार्दिक शुभकामनाएँ

सेल्स आफिस :
२८४/८५, कटरा पीरान
तिलक बाजार, खारी बावली,
दिल्ली - ११० ००६
दूरभाष : ०११-२३६२००६२, २३६१७६८३
फैक्स : ०११-२२६४००६२

वर्क्स :
नैनीताल रोड, इज्जत नगर
बरेली - २४३ १२२ (उ. प्र.)
दूरभाष : ०५८१-२४१००६२, २४१०१६२
फैक्स : ०५८१-२४१०८४६
ई-मेल : iwpcl@del.vsnl.net.in
Website : www.iwpkatha.com

4203

एक सदस्य तक सीमित रहेगी। यदि किसी विभाग में इस बारे में निश्चित नियम उपलब्ध हो तो उनका पालन किया जायेगा। [गृह मंत्रा. का. ज्ञा. सं. २६१३/६६-ई (बी) दि. ८.४.१९६६]

(५) **जे. सी. एम. के पदाधिकारी मुख्य प्रशासनिक कार्यालय से अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित नही किये जायेगें।** [कार्मिक विभाग, का. ज्ञा. सं. २७(७)/८८-सी. एस. IV दिनांक १६.८.१९८८]

(६) **विशेष आकस्मिक छुट्टी** - इन लोगों को दी जा सकती है : (१) मान्यता प्राप्त यूनियनों के पदाधिकारियों को कैलेंडर वर्ष में २० दिन तक, (२) मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय फेडरेशनों की बैठकों में शामिल होने के लिए बाहरी स्टेशनों के डेलीगेटों और कार्यसमिति सदस्यों को १० दिन तक, (३) सभी मान्यताप्राप्त यूनियनों आदि के स्थानीय डेलीगेटों और कार्यसमिति सदस्यों को ५ दिन तक।

[गृह मंत्रा. का. ज्ञा. सं. २७/३/६६-ई (बी) दि. ८.४.१९६६]

(७) **सुविधायें केवल मुख्य यूनियन/एसोसिएशन आदि** को जो मान्यता प्राप्त हों। उनकी शाखाओं आदि की कानूनी हैसियत न होने से शाखाओं के पदाधिकारियों आदि को सुविधायें नही दी जायेगी।

[कार्मिक विभाग का. ज्ञा. सं. ८/१६/८१-जे. सी. ए. दि. २२.६.१९८१,

(८) **उन सरकारी आदेशों और परिपत्रों की प्रतियां** जो कर्मचारियों के लिए सामान्य लाभ या दिलचस्पी के होते हैं, संयुक्त सलाहकार तंत्र के राष्ट्रीय समिति सदस्यों (कर्मचारी पक्ष) को दी जाती है। यह निर्णय किया गया है कि कार्मिक और प्रशि. विभाग की विभागीय समिति के कर्मचारी पक्ष को भी यह प्रतियां दी जाएगी। वित्त मंत्रालय आदिर्भ की विभागीय समितियों के सदस्यों को आदेशों की प्रतियां देने की व्यवस्था करेंगे।

[कार्मिक व प्रशि. विभाग, का. ज्ञा. सं. २/३/९८-सी. एस. (IV) दि. १४.८.१९९८]

(९) **राष्ट्रीय या विभागीय परिषद-संयुक्त सलाहकार समिति** के कर्मचारी पक्ष वाले सदस्य वातानुकूलित ३ टियर से राजधानी में और वातानुकूलित २ टियर से दूसरी ट्रेनों में **यात्रा कर** सकेंगे।

[डाकतार विभाग, का. ज्ञां. सं. ८/२/२००१ जे.सी.ए. दिनांक ८.५.२००१]

११. सेवा संघ की सदस्यता का चंदा वेतन-बिल से काटने की प्रक्रिया :

२.१२.६३ के का. ज्ञा. सं.। ६(४)६३/टी. ए. /१००६ द्वारा चंदे की वेतन बिल से कटौती की प्रक्रिया बनाई गई थी। बाद में २५.६.६६ के का. ज्ञा. से स्पष्ट किया गया कि चेक या बैंक खाते द्वारा वेतन पाने वाले कर्मचारी अपना सदस्यता चंदा रोकड़िया के पास जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कई कमियां देखी गई, जिन्हें दूर करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि वेतन-बिल पर यह पृष्ठांकन किया जाए कि सदस्यता चंदे के लिए कर्मचारी संघ को अदा की जाने वाली राशि के लिए आहरण अधिकारी के पक्ष में संघ को भेजने के लिए चेक दिया जाए अथवा श्रेणी 'क' का चेक संघ के पक्ष में दिया जाएं । इस प्रकार कटौती की गई राशि कर्मचारियों की सूची के साथ संघ को दे दी जाए। संघ को कटौती की राशि तभी भेजी जाएगी जब सभी वेतन-बिल व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों को सौप दिए जाएंगे और उसके लिए निर्धारित रजिस्टर में प्राप्ति दर्ज कर दी जाएगी।

[वित्त मंत्रा. व्यय विभाग, का. ज्ञा सं. ६(४) ६३/टी. ए.भाग ii/४, दिनांक ६.१.२००१]

जाग जाग रे जीव जगत में, क्या न तुझे अब भी सूझा, उसे हृदय से लगा, न जिसका कोई भी अपना दूजा।।

शुभकामनाओं सहित :-

किसान ....,
हमारी उन्नति के साथी

विश्व व्यापी भविष्य की ओर अग्रसर

भारत में हरित क्रांति की अग्रदूत एवं देश को उर्वरकों के उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए वर्षों तक कार्य करने के उपरान्त इफको नाइट्रोजीनस व फास्फोटिक उर्वरकों के उत्पादन व विपणन के क्षेत्र में विश्व की अग्रणीय संस्था के रूप में उभर कर सामने आई है।

किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करते हुए तीन दशक से भी अधिक समय का सफर तय करने के बाद इफको उर्वरकों के उत्पादन में विश्व की अद्वितीय संस्था बन चुकी है।

इफको की बहुआयामी योजना विजन २००० पूरी हो चुकी है। यह योजना उत्कृष्टता के लिए गये अथक प्रयासों से पूर्ण की गई है। इस योजना के अंतर्गत, आवंला, फूलपुर, कलोल, तथा कांडला संयंत्रों की क्षमता का विस्तार अनुमोदित लागत व निर्धारित समय के भीतर कर लिया गया है।

इफको ने अपने विकास के ऊँचे शिखर पर पहुँचने के लिए अब एक और पंचवर्षीय योजना मिशन २००५ बनायी है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, नये संयत्रों की स्थापना करने, विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने, विविधीकरण करने व हर स्तर पर सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया है।

इफको ने सामान्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयोजन से जापान की टोकियों मैरी एण्ड फायर इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किये है।

इफको

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

आँवला इकाई : बरेली - २४३४०३

वेबसाइट : http://www.iffco.nic.in

4207

प्रगति में सहायक

सफल निर्णय प्रक्रिया के सूत्र

- गोविन्द शंकर त्रिपाठी, सह वित्त सचिव, भा.म.सं., उ. प्र.

श्रम संघों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी अधिक महत्व रखती है। निर्णय के लिए जाते समय अत्यन्त सावधानी बहुत आवश्यक हैं ज्वलन्त मुद्दों पर भी निर्णय लिए जाते समय उनके दूरगामी परिणामों के बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन विभिन्न कठिनाइयों से घिरा हुआ है। दैनिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मनुष्य एक श्रमिक के रूप में अपने कार्यक्षेत्र में भी अनेक खतरों एवं विपत्तियों से जूझता रहता है। यह सर्वविदित है कि हमारा समाज असमान एवं विभाजित है। समाज में विभिन्न श्रेणी के लोगो के बीच सामाजिक संदेश और सूचनाऐं उपलब्ध नही हो पाती हैं। स्त्री-पुरूष, विभिन्न जातियों समुदायों, और श्रेणियों में विभक्त लोगों में भिन्न-भिन्न प्रकार की सोच होना स्वाभाविक है। ऐसे में श्रम संघों में कार्य करने वाले व्यक्तियों, पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व अहम हो जाता है। निर्णय लेना, निर्णय के पश्चात उस पर कार्य (क्रियान्वयन) तथा उसकी देखभाल कर समीक्षा करना भी अत्यन्त आवश्यक है।

निर्णय के प्रकार - निर्णय कई प्रकार लिए जाते हैं। श्रम संघ पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा अथवा आम सभा के माध्यम से। निर्णय विभिन्न प्रकार से होते हैं जैसे अधिकारिक निर्णय, अल्पमत का निर्णय, बहुमत का निर्णय और एक मत निर्णय।

एक मत का निर्णय - इन सभी में एक मत निर्णय अत्यन्त श्रेष्ठ होता है। एक मत निर्णय सबसे अच्छा होता हुआ भी अधिकांश स्थितियों में व्यावहारिक नहीं हो पाता है। कारण स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार की सोच अथवा विचारधाराओं के बीच एक मत होना आज की परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल कार्य है। फिर भी निर्णय लिए जाते समय एक मत की ओर जाने की कोशिश की जानी चाहिए। शिक्षा के आधार पर, संयुक्त समाज से आने वाले लोगों में विचार भिन्नता होती है। यही विचारों में अन्तर एक मत निर्णय को प्रभावित करती है।

बहुमत का निर्णय - ऐसे में बहुमत का निर्णय सभी को मान्य होता हैं किन्तु बहुमत का निर्णय लेते समय यह ध्यान रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। कि बहुमत के विरूद्ध कुछ अल्पमत के लोग भी होंगे। अल्पमत के लोग अपनी बात शायद दृढ़तापूर्वक न कह पा रहे हों। किन्तु उनकी बात को भी धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश की जावे और उन्हें बहुमत के विचारों, परिणामों के बारे में समझाने की कोशिश की जा सकती है। यद्यपि अल्पमत वाले पूर्णतः सहमत न भी हुए तब भी कुछ अंश तक बहुमत के निर्णय को मानेगे। भले ही हृदय से न मानें, फिर भी वह कहेंगे कि ठीक है बहुमत का निर्णय ठीक है। ऐसी स्थिति में अल्पमत वाले नगण्य हो जावेंगे। यदि १-२ व्यक्ति शेष भी रह जाते है तो निर्णय प्रक्रिया में रूकावट नहीं बनेंगे। अल्पमत वालों की स्थिति कमजोर होगी और वह निर्णय के पालन में मदद नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार की बाधा भी नहीं डालेंगे। अतः निर्णय एक मत की ओर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा अधिक से अधिक बहुमत का निर्णय होना ही चाहिए।

अल्पमत के निर्णय - अल्पमत के निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। क्योंकि न तो वे प्रभावी होते है और न ही उनका पालन होता है।

सावधानी - कुछ लोगो की तो निर्णय प्रक्रिया में दिलचस्पी नही होती है। ये वे लोग होते है जो जिम्मेवारी से बचना चाहते है। निर्णय लिए जाते समय न पक्ष में

पथ का अंतिम लक्ष्य नही है, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना

With Best Compliments From :

जिला सहकारी बैंक लि० मुजफ्फर नगर

माननीय श्री जसवन्त सिंह, वित्त मंत्री, भारत सरकार ने जिला सकहारी बैंक, लि०, मुजफ्फरनगर को 'नाबार्ड' भारत सरकार द्वारा वर्ष २०००-०१ हेतु प्रथम पुरस्कार ''बेस्ट परफोरमेन्स एवार्ड' से ६ नवम्बर, २००२ को अलंकृत किया। माननीय श्री हुकुम सिंह मंत्री एवं माननीय श्री रामप्रकाश त्रिपाठी, सहकारिता मंत्री, उ० प्र० सरकार के कुशल नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में बैंक के संचालक मण्डल एवं कर्मचारी/अधिकारियों के अथक परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण एवं निष्ठा के फलस्वरूप यह एवार्ड बैंक को निरन्तर दूसरे वर्ष प्राप्त हुआ है, जो कि एक अनूठा कीर्तिमान है।

बैंक कार्य- व्यवसाय प्रगति की तुलनात्मक झलक

विवरण		धनराशि	
	३१.३.२०००	३१.३.२००१	३१.३.२००२
अंश पूंजी	५४६.८६	५७०.६५	५७२.४६
रक्षित कोप	५१५.६८	५५४.७६	७४२.१७
अन्य कोष	२३१६.६०	२८२८.५५	३७२८.७३
निजी पूंजी	३३७६.७४	३६५३.६६	५०४३.३६
जमा अमानतें	२२६१७.००	२४५६७.४३	२६६६३.६०
उ० प्र० सहकारी बैंक	२२६१७.००	२४५६७.४३	२६६६३.६०
एवं अन्य संस्थाओं का लगा ऋण कार्यशील पूंजी	२६५६०.२३	३०००८.०३	३२६३०.४३
बैंक का लगा ऋण			
अल्पकालीन	७५५६.७६	६३३०.१४	११५१०.६८
मध्यकालीन	६२८.२५	८००.१४	७२८०.०६
अन्य	३५६.४६	३७६.०२	३८८.६६
शुद्ध लाभ	३०३.६२	४०४.७२	४४७.७१
शाखाएं (विस्तार पटल सहित)	३६	३६	३७

4401

कुंज बिहारी अग्रवाल
सभापति

रामपाल सिंह
सचिव/महाप्रबन्धक

शुभकामनाओं सहित :–

हर प्रकार की साड़ियों का अनुपम संग्रह

राज रतन

रिटेल शो रूम

पुरानी दाल मंडी, निकट कैनरा बैंक,
नयागंज, कानपुर
दूरभाष : २३५७८६३, २३१६६६०

1002

विचार रखते हैं न विपक्ष में किन्तु निर्णय हो जाने के पश्चात् अन्यन्त्र निर्णय के दोषों पर चर्चा करते हैं। ऐसे लोग निर्णय के क्रियान्वयन पर असर डालते हैं। स्वयं की मदद करना तो दूर, भारी रूकावटें डालते हैं। ऐसे व्यक्तियों से अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता है। निर्णय प्रक्रिया के दौरान ऐसे व्यक्ति से अवश्य ही विचार रखने को कहा जाना चाहिए, अन्यथा वह निर्णय लेने के पश्चात इधर उधर अन्यावश्यक चर्चा करेगा कि मुझसे पूँछा ही नही गया और गलत ढंग से निर्णय लिया गया। ऐसे लोग अनेक प्रकार की बाधाऐं उत्पन्न करते हैं। अतः निर्णय प्रक्रिया के समय सभी उपस्थित लोगों की सहभागिता आवश्यक है।

अधिकारिक निर्णय - एक और प्रकार का निर्णय होता है यह अधिकारिक निर्णय कहा जाता है। किसी व्यक्ति, पदाधिकारी को निर्णय करने का अधिकार प्रदान करना अथवा किसी के द्वारा स्वयं निर्णय किए जाने का अधिकार ले लेना इस प्रक्रिया में आता है। यह अत्यन्त दोषपूर्ण ढंग है। बलात निर्णय कुछ अंश तक ही प्रभावी रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अतः इस दोषपूर्ण तरीके से श्रम संघों को बचना चाहिए। भले ही अधिकारिक निर्णय लिया गया हो फिर भी इस पर चर्चा कर सभी को सहभागिता करानी चाहिए तभी उनका सही क्रियान्वयन प्रभावी होगा।

अधिकारिक निर्णय से सहभागी निर्णय की ओर - ज्वलन्त मुद्दों पर स्थिति को गंभीरता को देखते हुए अधिकारिक रूप से निर्णय त्वरित ढंग से लिए जाते हैं, और उन्हें स्थिति की चर्चा करके सामान्य रूप से सहभागी निर्णय बनाया जाता है।

निर्णय प्रक्रिया - निर्णय प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। पक्ष-विपक्ष के विचारों का पूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। जो भी प्राप्त विचार हो उनका सारांश कर अन्त में मूल्यांकन आवश्यक है। इस बीच सभी की भागेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस हेतु अच्छा वातावरण के साथ प्रोत्साहन दिया जाना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण विचार नहीं रख रहा है। तो उसे प्रोत्साहित कर बोलने की प्रेरणा दी जावे। विपक्षी तर्कों पर विचार किया जाना एवं आवश्यकतानुसार समझौता किया जाना भी आवश्यक है। कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण ही निर्णय प्रक्रिया का अनुरक्षण हैं निर्णय प्रक्रिया का क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण दोनों ही महत्वपूर्ण है। किसी एक भी अनुपस्थिति से निर्णय एकाकी रह जाता है।

अतः हम कह सकते हैं कि निर्णय प्रक्रिया प्रजातांत्रिक ढंग से, एक मत की ओर ले जाने की कोशिश की जावे, तभी निर्णय सफल होगा, निर्णय प्रक्रिया में अन्ध भक्तों को साथ न रखे बल्कि उनको प्रोत्साहित कर मौलिक सुझावों हेतु प्रेरणा प्रदान कर अनुकूल बनावें। निर्णय प्रक्रिया में सभी की भागेदारी, अच्छे वातावरण का निर्माण कर, समझौता करते हुए सभी प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ-साथ समस्त विचारों का सारांश एवं उनका मूल्यांकन करते हुए निर्णय किया जावे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरे समय समस्त कार्यवाही पर नियन्त्रण रखा जावे। यही सफल निर्णय का सूत्र है।

मेरे साहसी युवको, यह विश्वास रखो कि तुम्ही सब कुछ हो-महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आये हो। गीदड़ घुड़कियों से भयभीत न हो जाना-नहीं; चाहे वज्र भी गिरे, तो भी निडर होकर खड़े हो जाना और कार्य में लग जाना।

- स्वामी विवेकानन्द

धरती पर सुख शान्ति बढ़ाओ देकर निज श्रम शक्ति, मानवता का अर्थ यही है और यही प्रभु भक्ति।।

श्रेत्रों में काम करती हैं। जहाँ न तो उनके कार्यों का नियत समय ही होता है और न ही कोई अवकाश दिवस। उन्हें शारीरिक एवं मानसिक शोषणों का नित्य प्रति शिकार होना पड़ता है।

ज्यादातर बालिका श्रमिक साक्षर नहीं होती हैं, इस कारण उन्हें कम मजदूरी वाले कमर तोड़, काम मिलते हैं। लड़कियों के लिए बाहर का काम जोखिम भरा होता है उन्हें हमेशा मर्दों का शिकार बनने का खतरा होता है वे प्रायः छेड़खानी एवं बलात्कार का शिकार होती हैं, अर्थात् वे सदैव दोहरे शोषण का शिकार होती हैं।

बाल श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु वैसे तो अनेकानेक अधिनियम प्रतिपादित किए गए हैं, किन्तु वे इच्छाशक्ति और मानवीय उपेक्षा के चलते मात्र कुछ दस्तावेज बनकर ही रह गये हैं।

आखिर बालिकाओं एवं बालिकों के शोषण की चिन्ता किसकी है ? ये सभी उस समाज की है जो हर पल एक नई विश्व व्यवस्था विकसित करने की बात करता है जिसमें अन्याय और गैर बराबरी न्यूनतम होगी, पर जिस समाज की बालिकाएं ही उदास हैं और उनके पास भविष्य का कोई रूपहला सपना नहीं है। वह समाज किसी भी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने में सफल होना तो दूर आंशिक रूप से भी सफल नहीं हो सकता।

ये बालिका श्रमिक सभ्य समाज के उन सभी के लिए चिंता का विषय है जो मानव अधिकारों एवं मानवीय मूल्यों के हितैषी हैं। ये बालिकाएं उन सभी की संवेदनाओं को झकझोरती हैं जो असमानता की खिलाफत करते है, और समानता जिनका उद्देश्य हैं कोई भी समाज बालिकाओं को दर किनार करके किसी भी प्रकार के बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता।

नयर सहस्त्राब्दि में बालिकाओं की आत्म प्रतिभा में सकारात्मक बुद्धि एवं विकास की महती आवश्यकता है, यह प्रतिभा भावी मातृशक्ति हेतु सुकुमार भूमिका को प्राप्त करने की पूंजी होती है। विकासात्मक पहलुओं में सुधार एवं संशोधन निसंदेह बालिका श्रमिकों का असामायिक श्रम बाध्यता से मुक्त कर सुखद एवं उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाएगा।

जीवन का उद्देश्य

हम अपना सम्पूर्ण ध्यान और शक्ति अधर्म की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य पर केन्द्रित कर उस मार्ग पर चलने का निश्चय करें। धर्म की शक्तियों की अन्तिम विजय की कसौटी पर हमको प्रत्येक वाह्यतः अच्छे या बुरे लगने वाले कार्य की परीक्षा करनी चाहिए। केवल वही अच्छा और सराहनीय है, जिसके द्वारा पुण्यात्माओं और धर्मात्माओं को विजय प्राप्त होती है और विजयी व्यक्तियों और महापुरूषों के उदाहरण और शिक्षाएँ अपने सही स्वरूप में विजय की आवश्यक संकल्प-शक्ति की हमें प्रेरणा दे सकती हैं तथा धर्मस्थापना के अर्थात् सारे संसार में धर्म की प्रतिष्ठापना के मार्ग में, जो युगों से हमारे राष्ट्रीय जीवन का उद्देश्य रहा है, वे हममें सही विवेक जागृत कर सकती हैं।

– मा० स० गोलवलकर 'श्रीगुरु जी'

रोको इन शूल-बबूलों को, मधुमास न फिर विकने पाये। भारत मां का अपमान न हो, उद्यान न फिर लुटने पाये।।

बालिका श्रमिक : स्थिति का एक ऑकलन

- दीपक अवस्थी, एम.ए.,एल.एल.बी

भारत की अधिकांश बालिकाएं आज बिना सुख सुविधाओं एवं संसाधनों की अनुपलब्धता के बीच बड़ी हो रही हैं, वे केवल बड़ी होने के लिए बड़ी हो रही है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। उनकी आखों में आशा की बजाय निराशा छायी हुई है, उनके हाथों में कलम और खिलौनों के स्थान पर जूंठें बर्तन या बुनाई का ताना बाना हैं। कहीं पर ये अपने अस्तित्व को पिघले हुए काँच में झुलसा रही हैं तो कहीं आँख खुलते ही इन्हें झाँडू और पोंछा पकड़ा दिया जाता है सभ्य समाज के मुखौटे वाले इस बाल बचपन को अपने मनोरंजन और एय्यासी के लिए उपयोग कर रहे हैं।

१९९१ की जनगणना के अनुसार देश की ८४ करोड़ ६० लाख जनसंख्या में २६ करोड़ बच्चे हैं, जिनका ३७ प्रतिशत अंश १८ वर्ष से कम आयु का है। प्रति वर्ष १ करोड़ ३० लाख लड़के एवं लड़किया भारत की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। सभी तरह के व्यवसायों में मुख्य श्रमिक की हैसियत में लड़कियों का प्रतिशत लड़कों की तुलना में अधिक है। जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। एक ऑकलन के अनुसार विश्व में लगभग २५ करोड़ बाल श्रमिक है जिसमें से १० करोड़ से अधिक भारत में ही हैं। भारतीय श्रम मंत्रालय द्वारा किए गये सर्वेक्षक के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों का ३० प्रतशत खेतिहर मजदूर तथा शेष कल-कारखानों एवं घरेलू श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश गुलामों सा जीवन जीने को बाध्य है, फिरोजाबाद के काँच उद्योग, शिवकाशी के माचिस उद्योग, लखनऊ के चिकन उद्योग, आगरा, कानपुर में चमड़ा उद्योग तथा भदोही के कालीन उद्योग में ५० हजार बालिका एवं बालक श्रमिक श्रम कार्यों में संलग्न है। एक बड़ी संख्या में बालिकाएं घर के भीतर अथवा बाहर लम्बे घण्टों तक कार्य करती है। समाज शास्त्रीय अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि लगभग ९५ प्रतिशत बालिकाओं को कम उम्र में श्रम साध्य कार्यों में लगा दिया जाता है। जो प्रतिवर्ष ३१५ दिन तक १० घण्टे रोजाना कार्य करती है। दस वर्ष की उम्र तक वह जलाने की लकड़ी, पानी निकालना, घास-पात हटाना, पशु भोजन, लकड़ी संग्रह जैसे कार्यों में लगी होती है।

जहाँ तक बालिका श्रमिक के कारणों का प्रश्न है तो अध्ययनों से जो कारण स्पष्ट हुए हैं उनमें गरीबी, परिवार का अशान्तिपूर्ण वातावरण, व्यावहारिक शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, अपहरण, अज्ञानतावश बच्चों द्वारा घर छोड़ना तथा औद्योगीकरण एवं नगरीकरण आदि महत्वपूर्ण कारण हैं।

बालक एवं बालिका श्रम दोनों ही बचपन को पीड़ा पहुँचाते हैं। जिन कार्यों में वे लगे हैं वे उनके स्वास्थ्य को कुप्रभावित करती है। वे दमा रोग चर्म रोग, आँखों की कमजोरी, श्वसन रोग आदि से पीड़ित होते है उनमें किशोरावस्था से पूर्व ही प्रौढ़ावस्था के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं।

बालिका श्रमिकों की उपस्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है, जिस समाज में व्यक्ति का बचपन कुण्ठित एवं उत्पीड़ित हो तो इससे बढ़कर दूसरा कोई अमानवीय कृत्य हो ही नहीं सकता इससे उनका जीवन कुण्ठित होता है। उनका बौद्धिक एवं शारीरिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। जिसका प्रभाव राष्ट्र के भावी विकास पर पड़ता हैं अधिकांश बालिका श्रमिक असंगठित

हिन्दू की रक्त-शिराओं मं, अब शौर्य जगाना ही होगा। जैसे भी हो अब भारत को, बलवान बनाना ही होगा।।

से जुड़े है इसी प्रकार १ अप्रैल २००१ को जिन सामानों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाये गये उनमें सबसे ज्यादा संख्या २०८ कृषि क्षेत्र के सामानों की थी इन दो सालों में जिन १४२९ सामानों पर से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाया गया उनमें से बहुत से सामान हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उन्हें बाहर से मंगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। कृषि के समानों में फ्रांस का पनीर, स्वीटजरलैण्ड के चाकलेट, अमेरिका के मुर्गे मांस, दूध, दुग्ध, उत्पाद, फल सब्जियाँ, चाय, काफी मसाले, गेहूँ, चावल, मक्का एवं मोटे अनाज, नारियल एवं नारियल तेल उत्पाद तिलहन, चीनी, मिठाइयाँ, चटनी, अचार, मुरब्बे, फ्रूट्ज, जूस, शरबत, पेय पदार्थ, बियर एवं उसके अन्य उत्पाद बेरोकटोक भारतीय बाजार में आ रहे हैं। ठीक इसी तरह बाहर के कई देशों से चीनी का आयात हो रहा है। पिछले १९९९-९८ के मध्य ७० लाख टन अनाज बाहर से आया। देश में चीनी के भंडार में ५० लाख टन से अधिक चीनी भरी होने के बावजूद ५.५ लाख टन बाहर से और मंगाई गई आयातित चीनी पर टैक्स न होने के कारण सरकार को भी लगभग ७५० करोड़ रुपये का नुकसान अलग से हुआ। विगत छः महीने की अवधि में ही ३० हजार टन से ज्यादा चीनी का आयात किया जा चुका है। जिसके परिणाम स्वरूप देश को सैकड़ों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी।

देश में इस समय पाकिस्तान, इग्लैण्ड, ब्राजील समेत कई अन्य देशों से चीनी का आयात किया जा रहा है। यह सारे देश अपने-अपने देशों में चीनी के निर्यात पर लगभग ८० प्रतिशत की सब्सिडी दे रहे है। जिसके परिणामस्वरूप उन देशों की ६५ रुपये प्रतिकिलो की लागत वाली चीनी हमारे देश में १०.५० रु. प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है। आज एक बात तो निश्चित है कि जबतक विदेशी चीनी आयातित होगी तब तक हमारी चीनी का उत्पादन मूल्य मिलना ही संभव नहीं है और जब तक चीनी मिलों को उत्पादित चीनीं का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक गन्ने का पूरा दाम नहीं मिल सकता है यह स्वतः ही स्पष्ट है। यहीं स्थिति कमोवेश हर क्षेत्र की है। विश्व व्यापार संगठन में अपने अन्य सहयोगी संगठन अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से भारत के विशाल बाजार पर अपना शिंकजा कस लिया है। भारतीय मजदूर संघ ने सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन की असलियत को पहचानते हुए सर्वप्रथम १६ अप्रैल २००२ को दिल्ली में मोड़ो-तोड़ो-छोड़ो नामक नारे के साथ मजदूरों का विशाल प्रदर्शन किया जिससे समूचे देश में विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ नवचेतना का संचार निश्चित रूप से हुआ है।

मिजोरम में भारतीय मजदूर संघ की चार यूनियन बनीं

*ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित क्षेत्र और देश के सर्वाधिक शिक्षित राज्यों में से एक मिजोरम में राष्ट्रवादी मजदूर संगठन **'भारतीय मजदूर संघ'** ने जड़ें जमानी शुरू कर दी है। हाल तक आतंक प्रभावित इस राज्य में राष्ट्रवादी संगठनों का प्रवेश अघोषित रूप से प्रतिबंधित था। गत दिनों राजधानी एजल में दो दिवसीय अधिवेशन करके भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यदि मन में लक्ष्य के प्रति दृढ निष्ठा हो तो मार्ग स्वयं निकल आता है। मिजोरम में इस समय चार मजदूर यूनियनें भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है और उनके सदस्यों की संख्या १०,००० है दो दिवसीय प्रदेश सम्मेलन राजधानी के सबसे बड़े सभाकक्ष बनापा में संपन्न हुआ। अधिवेशन का आरंभ परंपरागत प्रार्थना के साथ हुआ। एक कार्यकर्ता ने बीएमएस के गीत को मिजो भाषा में गाया। अधिवेशन में श्री पीवी साविनलिना को पुनः मिजोरम प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष चुना गया।*

जाग उठे श्रमिक फिर से, विजय ध्वजा फहराने। अगड़ाई ले चले पुत्र हैं, माँ के कष्ट मिटाने।।

भारत फिर से गुलामी की ओर

- अखिलेश पाण्डेय, संगठन मंत्री-भा.म.स., कानपुर नगर

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) की शर्तों से बंधने के बाद भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिक उन्नति में कितनी कारगर सिद्ध हो रहा है ? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ पाना अब बहुत कठिन नहीं रह गया है।

कॉग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अपने क्षुद्र स्वार्थ हेतु आर्थिक सुधारों के नाम पर विश्व के चौधरी देशों के दबाव में जो समझौता या करार किया उसके दुष्परिणाम आज सब के सामने है। सर्वेक्षण के मुताबिक आज देश के लगभग चार लाख छोटे बड़े कारखाने बन्द हो चुके है या बन्दी के कगार पर है तथा व्यापार, उद्योग, कृषि एवं शेयर बाजार में निराशा एवं जबरदस्त मंदी विद्यमान होने के कारण आने वाले समय में बेरोजगारी का आंकड़ा २० करोड़ के मुकाबले ४५ करोड़ का ऑकड़ा पार करने की संभावना है। यह सब तथाकथित आर्थिक सुधारों के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में अपना लंगर डाल देने के बाद से भारत का अतिलाभप्रद उपभोक्ता बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हैं विदेशी निवेश के नाम पर स्वदेशी उत्पादों को तिरस्कृत करते हुए देश की प्रभुसत्ता को पूंजीवादियों, साम्राज्यवादियों के हार्थो सौपने का घिनौना षड़यंत्र चल रहा है।

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के हाथों ठगी का शिकार हो चुकी भारत की अर्थव्यवस्था अब बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह से आर्थिक गुलामी की ओर निश्चित रूप से जा रही है। स्वदेशी उद्योगों की सहायता का नजरिया अपनाये बिना आर्थिक हालत नहीं सुधारे जा सकते हैं। हर वस्तु पर कस्टम शुल्क घटा देने के कारण ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने माल से भारत के बाजारों को पाट दिया है। जब कि कस्टम सुधारों का रूख राष्ट्रीय औद्योगिक ऐजेंडा के पक्ष में होना चाहिए था।

विश्व व्यापार संगठन नामक पंचायत में अमीर देशों की जो लाबी है अमेरिका उसका मुखिया है एवं उसकी शर्तें ही विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) की दिशा तय कर रही है। वहां के कस्टम नियमों को प्रतिकूल बताकर आर्थिक आजादी की मांग करता है। इस चौधराहट के बल पर ही वह अपने लिये बाजार तैयार करता है। उदाहरण के लिए देश में भारतीय चीनी मिल संघ परेशान है उनकी चीनी न बिकने के कारण देश में काफी बड़ा स्टाक पहिले से है। आयतित चीनी के कारण चीनी के दाम गिर गये है। दूसरी तरफ सरकार मजबूर है क्योंकि (W.T.O.) पर दस्तखत करके सरकार अपने हाथ पहिले ही कटा चुकी है। आयात को रोकना या नियंत्रित करना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में है।

केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि सरकार का चीनी आयात पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है जब तक जनता कम दरों पर आयातित चीनी की मांग करती रहेगी तब तक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग इसमें आड़े नहीं आयेगा। उत्पादन की बढ़ती लागत और अपेक्षाकृत कम कीमत की प्राप्ति के चलते प्रति क्विंटल २५० रु० से ३०० रु० तक का नुकसान हो रहा है। जहाँ उत्पादन लागत १४५०-१५०० रु. है प्रति क्विंटल के मुकाबले औसत विक्रय मूल्य १२००-१५०० रु. प्रति क्विंटल ही है क्योंकि मौजूदा अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में मूल्य घरेलू चीनी उत्पादन की लागत से भी कम है। (W.T.O.) की शर्तों के तहत भारत को कुल खपत का ३ प्रतिशत अनिवार्य रूप से आयात करना है। इस के साथ सरकार ने २००१ में ७१४ एवं २००२ मं ७१५ विदेशी समानों के लिए भारतीय बाजार खोलकर समस्या में अत्यधिक वृद्धि कर दी है। कुल आयातित विदेशी सामानों की सूची लगभग १०४०० के करीब है। जिसमें ६८०० सामानों की आयात पर कोई रोकटोक नहीं है। एक अप्रेल २००१ को जिन ७१४ विदेशी सामानों के लिए देश का बाजार खोला गया उनमें से १४६ सामान कृषि एवं पशुधन

जाग उठा है आज देश का, वह सोया अभिमान, प्राची की चंचल किरणों पर आया स्वर्ण विहान

होगा,उसे कर संग्रहकर्ता का वेतन ही दिया जाएगा। उसे सूचित किया गया कि अभी भी वह अंशकालिक तौर पर कर संग्रह का कार्य भी करता है, इसलिए द्वितीय श्रेणी के लिपिक का वेतनमान उसे नहीं मिल सकता। इसी के साथ वर्षो तक लिपिक पद पर कार्य कर लेने के पश्चात उसे आदेश दिया गया कि वह अब कर संग्रह का सारा कार्य देखेगा, मगर द्वितीय श्रेणी लिपिक पद पर उसकी नियुक्ति का आदेश वापस ले लिया गया ।ऐसा आदेश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया याचिकाकर्ता ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए इसे संविधान प्रदत्त समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के प्रतिकूल बताया। याचिका स्वीकार कर ली गई। द्वितीय श्रेणी के लिपिक के वेतनमान के अनुरूप वेतन देने के आदेश न्यायालय ने पारित कर दिए। (२००० ए०एल०जे० १६३३)

कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया क्या ?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है कि डिगरी कालेज में भी प्राचार्य का स्थान रिक्त होने पर नियमित नियुक्ति न होने तक कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति कॉलेज में सेवारत प्राध्यपकों की वरिष्ठता के क्रम में होनी चाहिए ।

निर्णय में कहा गया है कि वरिष्ठतम प्राध्यापक की नियुक्ति कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर की जानी चाहिए । यदि कोई ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियां हों, जिनमें वरिष्ठतम प्राध्यापक की कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति करना विद्यालय के हित में नहो, तो वरिष्ठता के क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाले प्राध्यापक की नियुक्ति कार्यवाहक प्राचार्य के पद की जानी चाहिए । यदि वह भी किन्हीं कारणों से विद्यालय के हित में न हो, तो तीसरे वरिष्ठतम प्राध्यापक की नियुक्ति कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर की जानी चाहिए ।

निर्णय में इंटरमीडिएट कालेज के कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति की इसी प्रकार की व्यवस्था को एक अन्य निर्णय में संगत मानते हुए स्वीकार किया गया । इसी प्रकार यह व्यवस्था डिगरी कालेज व इंटरमीडिएट कालेज, दोनों में समान रूप से प्रभावी हो गई ।(२००० ए एल जे १६६२)

निलम्बन दौरान निर्वाह भत्ता देना अनिवार्य

अपीलार्थी स्वतन्त्र भारत मिल में कार्यरत थे। उनकें आरोप पत्र दिया गया और निलम्बित कर दिया गया। कर्मचारियों नेइस बात पर जोर दिया कि उन्हें निर्वाह दिया जाना चाहिए । औद्योगिक न्यायाधिकरण ने निर्वाह भत्ता दिलानेसे इन्कार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी निर्वाह भत्ता नहीं दिलाया। इस प्रकार यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष गया। उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकृत करते हुए निर्णय में कहा कि मालिक और कर्मचारी के सामान्य सम्बन्धों में आधारभूत परिवर्तन धारा ३३ औद्योगिक विवाद अधिनियम ने उत्पन्न किया है ।

धारा ३३ के अन्तर्गत मालिक को निलम्बन के अधिकार दिये गये हैं । निलम्बन के दौरान वेतन देने का दायित्व नहीं रह जाता है और कर्मचारी पर काम करने का दायित्व नहीं रह जाता है लेकिन जब तक जांच कार्यवाही चले, सेवायोजक द्वारा निर्वाह भत्ता देना आवश्यक है । निर्वाह भत्ता वेतन नहीं है । दोनों पक्षों का कोई प्रभाव न्यायाधिकरण पर नहीं होता है ।प्रबन्ध-तन्त्र निर्णय की प्रतीक्षा सरलता से कर सकता है, लेकिन कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता है । उसे निर्वाह भत्ता दिलाया जाना चाहिए । यदि सेवा नियमों में इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है तो कर्मचारी को पूरा वेतन निर्वाह भत्ते के रूप में दिया जाना चाहिए ।

राम लखन प्रति पीठासीन अधिकारी २००० (३६) इलाहाबाद लॉ रिपोर्ट ५२४

हिन्दी देश की एकता की कड़ी है - डॉ० जाकिर हुसैन

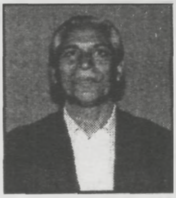

न्यायालय निर्णय

- रमाकान्त शुक्ल, प्रदेश वित्त सचिव-भा.म.स.

कर्मचारी की जन्म तिथि का निर्धारण कैसे ?

इलाहाबाद उच्च्व न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती नियमावली की व्याख्या करते हुए व्यवस्था दी कि सरकारी नौकरी में प्रवेश करते समय कर्मचारी की हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में उल्लिखित आयु अथवा यदि कर्मचारी ने ऐसी कोई परीक्षा पास नहीं की हो या उसने नौकरी लग जाने के पश्चात ऐसी परीक्षा पास की हो, जिसमें उसकी जन्म तिथि का उल्लेख है, अथवा ऐसी स्थितियों के न होने पर उसके द्वारा नौकरी में प्रवेश करते समय जो जन्म तिथि पंजिका में दर्ज कराई गई हो, वही जन्म तिथि उसकी सही जन्म तिथि मानी जाएगी । उसी से उसकी आयु का निर्धारण होगा। उसके सेवाकाल के दौरान उसकी सेवा में संबंधित सभी मामले उसी के आधार पर तय होंगे । इन मामलों में प्रोन्नति के लिए पात्रता, समय से पूर्व सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के लाभों का निर्धारण, सेवानिवृत्ति की समय सीमा सहित कोई भी मामला हो, कोई प्रार्थनापत्र या ज्ञापन जन्मतिथि में सुधार के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा निर्णय में कहा गया है कि यह तो कानूनी स्थिति है । इसके बावजूद न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से याचिकाकर्ता की मूल जन्मपत्री न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा। यह पाया गया कि प्रस्तुत की गई मूल जन्मपत्री सादे कागज पर हाथ में लिखा नकल किया गया कागज चिपका हुआ है, जिसके कारण मूल जन्मपत्री को पढ़ पाना असंभव है ।

प्रस्तुत मामले में याचिकताकर्ता लोक निर्माण विभाग में सेवारत अधिशाषी अभियंता ने अपनी जन्म तिथि को चुनौती दी थी तथा सरकारी अभिलेखों में दर्ज आयु से भिन्न आयु बताते हुए जन्मपत्री प्रस्तुत कर आयु को कम सिद्ध करने का प्रयास किया था (२००० ए०एल०जे० १८१८)

दो पदों पर काम करते रहने पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई नियुक्ति के मूल पद पर सेवारत रहते हुए किसी बेहतर वेतनमान वाले पद पर भी पर्याप्त लंबी अवधि तक सेवा कार्य करता है, तो अधिक वेतनमान वाले पद पर अस्थायी की हैसियत से काम करने के उपरान्त भी अधिक वेतनमान वाले पद पर देय अधिक वेतन पाने का अधिकारी है ।

निर्णय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया कि याचिका ने निस्तारण तक लगभग ढाई वर्ष की अवधि सेवा करते हुए बीत जाने पर कर्मचारी प्रोन्नति पर देय वेतन पाने का अधिकारी है ।

प्रस्तुत मामला बहराइच जिला परिषद में सेवारत एक कर संग्रहकर्ता का था । उसे द्वितीय श्रेणी का लिपिक नियुक्त कर दिया गया । नियुक्ति पत्र मिल जाने पर भी उसे वेतन कर संग्रहकर्ता का ही दिया जाता था रहा और उससे कार्य द्वितीय श्रेणी के लिपिक का लिया जाता रहा । जब उसने द्वितीय श्रेणी के लिपिक के वेतनमान की मांग की, तो उसे जिला परिषद अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि उसकी प्रोन्नति इस शर्त के साथ की गई थी कि वह द्वितीय श्रेणी लिपिक का वेतन पाने का अधिकारी नहीं

(२) सामान्य रूप से अनिवार्य सेवा समाप्ति का आदेश संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत दंड नहीं माना जायेगा ।

(३) उत्तम प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि व्यर्थ हो गये हिस्सों को हटा दिया जाये लेकिन अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश सम्बन्धित अधिकारी के सम्पूर्ण सेवा अभिलेखों को ध्यान में रख कर पारित होना चाहिए। कोई भी विरूद्ध टिप्पणियां जो गोपनीय फाइलों में हों उन्हें भी विचार में लिया जाना आवश्यक है।

(४) असूचित टिप्पणी भी विचार में ली जा सकती है ।

(५) विभागीय जॉच को बचाने के उददेश्य से अनिवार्य सेवा समाप्ति का आदेश पारित नहीं होना चाहिए ।

(६) यदि किसी अधिकारी को विरूद्ध टिप्पणी के बावजूद प्रोन्नति दी गई है तो यह तथ्य अधिकारी के पक्ष में जाते हैं।

(७) दंडात्मक रूप में अनिवार्य सेवा निवृत्ति लादी नहीं जायेगी ।

इस मामले में में प्रत्यर्थी गुजरात राज्य में नर्वदा विकास विभाग में अधिशाषी अभियन्ता थे । उनके विरूद्ध अनुशसनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हुई। उन्हें निलम्बित कर दिया गया और निलम्बन के दौरान ही अनिवार्य रूपसे उनको सेवानिवृत्त करदिया गया । इस समय लगभग १६ महीने उनकी सेवा काल में बाकी थे । इस आदेश के विरूद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई और उच्च न्यायालय ने इस आदेश को दंडात्मक मानकर निरस्त कर दिया । राज्य की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील की गई ।

उच्चतम न्यायालय में यह पाया कि सम्बन्धित अधिकारी की गोपनीय अभिलेख में कोई विधि विरूद्ध टिप्पणी नहीं है। उन्होंने सफलता पूर्वक सेवा कार्य पूरा किया था। वह एक वर्ष से निलम्बित थे, राज्य सरकार के पास पर्याप्त समय जाँच कार्यवाही को पूरा करने के लिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । जॉच कार्यवाही को पूरा करने के बजाय अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करना निश्चित रूपसे जॉच कार्यवाही के स्थान पर दूसरे रास्ते से अधिकारी को दंडित करना है । राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई अपील इस मामले में उच्चतम न्यायालय में निरस्त कर दी । २००१ (८९) एफ एल आर - १७३

सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट

धारा २३ व २४ सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं देता है कि रजिस्ट्रार किसी भी सोसायटी की प्रबन्ध समिति को समाप्त कर दें । यदि कोई समिति धारा २४ में पारित निर्देशों का पालन नहीं करती है तो रजिस्ट्रार अधिक से अधिक सोसायटी के विरूद्ध धारा १२ डी और धारा १३, १३ बी, के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है। धारा १२ डी के अनुसार रजिस्ट्रार 'रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का अधिकार रखता है । उसे समिति समाप्त करने का अधिकार नहीं है । धारा १३ ए और १३ बी में भी रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रार इस संदर्भ में जो आधारा १३ बी में दिए गये हैं उन पर न्यायालय को प्रार्थना पत्र दे सकता है कि सोसायटी का विघटनकर दिया जाये । आगरा में सिरडी साई बाबा मंदिर की सोसायटी 'श्री साई संस्थान' के नाम से निबन्धित थी तथा उसके अध्यक्ष ने अक्टूबर २००० में त्यागपत्र दे दिया और इस त्यागपत्र की सूचना उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को भी भेजी । डिप्टी रजिस्ट्रार ने सोसायटी के सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और सोसायटी के सभी कागजात मांगे। एक अन्य सदस्य ने यह भी शिकायत लिखित रूप में भेजी कि सोसायटी की कोई सामान्य या वार्षिक बैठक नहीं की जाती है । स्पष्टीकरण और शिकायतकर्ता को सुनने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह निर्णय दिया कि सोसायटी का कार्य सही प्रकार से नहीं चल रहा है। और

सहकर अत्याचार युगों से स्वाभिमान फिर जागा, दूर हुआ अज्ञान पार्थ का धनुषवाण फिर जागा।।

सोसायटी की प्रबन्ध समिति विघटित की जाती है। इसके साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक परामर्श समिति को मान्यता प्रदान कर दी और तीन महीने में निर्वाचन करने का आदेश किया। इस आदेश के विरूद्ध रिट याचिका को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि डिप्टी रजिस्ट्रार का आदेश नियम विरूद्ध होते हुए भी आदेश के अनुपालन में सोसायटी के चुनाव सम्पन्न हो गये और निर्वाचित कार्य समिति द्वारा सोसायटी का कार्य संचालन किया जा रहा है, जब कि रिट याचिका उन लोगों ने दाखिल की है जो सोसायटी पर अलोकतांत्रिक ढंग से कब्जा बनाये रखना चाहते हैं। गलत कार्य करने वाले को रिट याचिका में परतोष नहीं दिया जायेगा। सोसायटी का कार्य यदि निर्वाचित कार्य समिति द्वारा संचालित है तो उसमें हस्तक्षेप करना सहीं नहीं है। इस कारण डिप्टी रजिस्ट्रार का आदेश विधि विरूद्ध होते हुए भी अब हस्तक्षेप योग्य नहीं रह गया है।

प्रबन्ध समिति साई संस्थान प्रति - डिप्टी रजिस्ट्रार २००१ (१) एन बी ई एस आर - ४६५

न्यायालय की भूलों का प्रभाव

बलिया जनपद न्यायालय में याची तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। उन्हें प्रोन्नति मिली और उनको कुछ अन्य कर्मचारियों से ज्येष्ठता भी प्रदान कर दी गई। प्रतिबंधित कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश को प्रतिवेदन दिया। जनपद न्यायाधीश ने यह पाया कि याची एक तदर्थ कर्मचारी था और १९६० के शासकीय आदेश के अनुसार उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का भी अधिकार नहीं है। उनके द्वारा एक कारण बताओ नोटिस याची को जारी कर दिया गया। याची ने उसका विस्तृत उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने याची को प्रोन्नति के पूर्व के प्रारम्भिक वेतनक्रम में पदावनति कर दिया तथा जो धनराशि उनको प्रोन्नति पद पर प्राप्त हुई थी उसमें १०००-१००० रुपये की ९० किश्तों में वेतन से कटौती के आदेश कर दिये।

इस आदेश के विरूद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत हुई। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति ने याचिका को सुनने के पश्चात यह पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकीय स्तर पर जो विभिन्न आदेश समय-समय पर जारी कर दिये गये हैं उनसे जनपद न्यायाधीश के समक्ष गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रशासकीय पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया वे मौके की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना जारी किये गये तथा नियमों के विरूद्ध उच्च न्यायालय को प्रशासकीय स्तर पर जनपद न्यायाधीश के लिए उचित पथ प्रदर्शक आदेश जारी करना चाहिए। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि जनपद न्यायाधीशों को आदेश जारी किये जाने के समय नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, अन्यथा इस प्रकार के आदेश कभी भी पारित नहीं किया जा सकते। माननीय न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि टिप्पणी निश्चित रूपसे कड़वाहट भरी है, लेकिन विवशता में ऐसा लिखना पड़ा। याची को पूर्णतः अस्थाई रूप से २ महीने के लिए प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन यह अस्थाई तदर्थ नियुक्ति दो महीने के बजाय लगभग १ वर्ष तक चलती रही। कर्मचारियों के लिए परीक्षा १९८३ में ली गई, जिसका परिणाम १९८५ में प्रकाशित किया गया। ४८ प्रत्याशियों की सूची में याची का नाम ३९वें क्रम संख्या पर आया १२१ को नियमित नियुक्ति दी गई। सूची की जीवन अवधि एक वर्ष थी। सन् १९८६ में जिला न्यायाधीश ने इस सूची के शेष व्यक्तियों को बेरोजगार कर दिया। याची ०१ सितम्बर १९८२ से बेरोजगार रहा। उसने उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने विशेष परिस्थितियों में याची को नौकरी में लिये जाने का आदेश दिया। इस आदेश में उनकी सेवाएं नियमित किये जाने का आदेश/निर्देश था, जबकि वास्तव में याची सेवारत नहीं था।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी इस पत्र

जाग उठी है श्रमिक सेना जाग उठा वनवासी। चला उदधि को आज बांधने ईश्वर का विश्वासी।।

से ही अनेकानेक भ्रम उत्पन्न हो गये । एक ऐसा व्यक्ति था जो भर्ती के लिए हुई परीक्षा में सफल नहीं हुआ था और आदेश के समय कार्यरत नहीं था फिर भी उसे नौकरी में नियमित किये जाने का आदेश पारित हो गया और इसी प्रकार का एक अन्य आदेश उसके बाद भी पारित हो गया जिसमें याची को ज्येष्ठता प्रदान कर दी गई और वह प्रोन्नति भी पा गया । इन परिस्थितियों में जिला न्यायाधीश के समक्ष उच्च न्यायालय के निर्देशों को मानने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस सबसे बलिया जिला न्यायालय में सेवारत कर्मचारी के मध्य विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई । याची को पिछले दरवाजे से प्रवेश मिल गया था । एक व्यक्ति जो सेवा में नहीं था उसे ज्येष्ठता भी प्रदान कर दी गई थी । उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कारण जिला न्यायाधीश भी भ्रमित हुए और उन्होंने अन्य कर्मचारी के ऊपर याची को ज्येष्ठता प्रदान कर दी । उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति ने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह पाया कि इस मामले में याची की अपनी कोई भूल नहीं है । इस कारण जो ६०,००० रुपये के लगभग विभिन्न भेत्त व प्रोन्नति वेतन उसे मिल चुका है उसकी कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे तदर्थ कर्मचारी का स्तर प्रदान किया जाना व वही वेतन क्रम प्रदान किया जाना गलत नहीं है। रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत कर दी गई। (यह निर्णय इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि उच्च न्यायालय के स्तर पर भी प्रशासकीय पक्ष में किसी प्रकार की भूल संभव है और उन भूलों का कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है। रवीन्द्र नाथ चौबे - प्रति जिला न्यायाधीश, बलिया, २००१ (८९) फैक्ट्री लेवर रिपोर्ट - ११३

पेंशन निरस्त करने के आधार

राजनीतिक पेंशन किन परिस्थितियों में मिलनी चाहिए ? इस मामले में अयोध्या प्रसाद प्रति भारत संघ के मामले में विचार किया गया । गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अपने परिपत्र २१ मई, १९७५ के द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश को यह सूचना प्रेषित की कि याची को रु० २०० की मासिक राजनीतिक पेंशन स्वीकृत की जाती है । नवम्बर १९८२ में यह आदेश निरस्त कर दिया गया । इस संबंध में याची ने केन्द्र सरकार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत ६ महीने की अवधि के लिए उसे बन्द किया गया था । भारत सरकार ने बिना किसी स्पष्टीकरण को सुने और तथ्यों को विचार में लिए ही पेंशन निरस्त कर दी । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि जो राजनीतिक पेंशन स्वाधीनता सेनानियों को दी जाती है उसके अनुसार ६ महीने जेल में बन्द रहना पेंशन पाने के लिए पर्याप्त आधार है । केन्द्र सरकार ने इस मामले में याची की पेंशन गलत तरीके से निरस्त कर दी और उनसे पेंशन की राशि वापस मांगना भी गलत था उच्च न्यायालय ने उन्हें फिर से पेंशन दिए जाने का आदेश पारित कर दिया और सन् १९७७ से बकाया पेंशन राशि दिए जाने का भी आदेश किया । उल्लेखनीय है कि याची श्री अयोध्या प्रसाद १९४४ में डी.आई.आर. के अन्तर्गत बांदा जेल में बन्द रखे गये थे । इस प्रकार स्वाधीनता सेनानी के साथ हुआ अन्याय लगभग १९ वर्ष के बाद उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त हो सका। (यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के रिट-याचिका निस्तारण में केवल दो वर्ष का समय केन्द्र और राज्य सरकार को भेजे गये प्रतिवेदन के निस्तारण में लगा । एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी की पेंशन की राशि पाने के लिए इतना लम्बा समय लगना बहुत ही खेदजनक है । इससे स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार इन मामलों में कैसा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती है)। २००१ (४३) इलाहाबाद लॉ रिपोर्ट - ५३

बढ़ रहे हैं हम निरन्तर चिर विजय की कामनायें

क्या हिन्दुस्तान में खाद्य समस्या फिर से आएगी?

- एन० के० अवस्थी

भारत एक कृषि प्रधान देश है ८० % भारत वासी कृषि के ऊपर आधारित हैं। लेकिन गुलामी के समय (ब्रिटिश काल) भारत की कृषि पर आवश्यकता के अनुसार ध्यान नहीं दिया गया। सिंचाई के साधन मुहैय्या नहीं कराए गए। उत्तम किस्म के बीजों का शोध नहीं किया गया कृषि को उद्योग के रूप में विकसित नहीं किया गया परिणाम स्वरूप देश में अकाल पड़ने लगे भारतवासी भूख से मरने लगे जबकि देश कृषि प्रधान था लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों को इससे कोई लेना देना नहीं था वह देश वासियों को अपना गुलाम समझते थे।

भारत स्वतंत्र हुआ कृषि की ओर ध्यान दिया गया सिंचाई के साधन बने सिंचाई के निजी साधन भी बने उत्तम किस्म के बीजों का प्रादुर्भाव हुआ कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का अभियान चलाया और भारत अस्थाई रूप से खाद्य समस्या से उबर गया ऐसा वाह्य दृष्टि कोण से आम भारतीय को प्रतीत हो रहा है लेकिन यह स्थित अस्थाई है। भारत में हरित क्रांति के नाम पर अंधी दौड़ हो रही है। इससे अस्थाई लाभ तो मिल सकता है लेकिन २० वर्ष बाद भारत में खाद्य समस्या पुनः आ जाएगी इस कथन का आधार है भारत में वर्तमान समय में हरित क्रांति नाम तो भारतीय है लेकिन क्रान्ति लाने के लिए जिन साधनों का जो प्रयोग किया जा रहा है वह विदेशी है यदि देश का किसान विदेशी अनुसंधान से निर्मित यूरिया पर डी०ए०पी० का प्रचुर मात्रा में १००% करके भूमि की ऊर्जा मात्र १० या २० साल में तेजी से निकाल लेगा तो ऊर्जा समाप्त भूमि में २० वर्ष बाद उत्पादन क्या होगा ? इसलिए हरित क्रांति प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल आधारित साधनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा अर्थात कम्पोस्ट खाद का प्रतिशत अधिक एक पुट के रूप में यूरिया पर डी० ए० पी० का प्रयोग छिड़काव के रूप में करना पड़ेगा।

विदेशी शोध के १००% प्रयोग से भारत के खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता दिन पर दिन गिरती जा रही है, गुणवत्ता ही नहीं पौस्टिकता भी घटती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से भारत का गेहूँ/चावल गुणवत्ता के अभाव में पुनः वापिस आ रहा है उसके भेजने व वापिस लाने का खर्चा सम्बन्धित संस्था के खातों में निरर्थक रूप से खर्चो में दिखाया जा रहा है। पौस्टिकता का भी अभाव हो रहा है भारत के सामान्य नागरिक को २० वर्ष पूर्व २७४९ कैलोरी भोजन में प्राप्त हो रही थी वर्तमान में २२११ कैलोरी प्राप्त हो रही है माने ५३८ कैलोरी कम प्राप्त हो रही है जबकि चीन, ब्राजील में २७५७ व २७६७ कैलोरी प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं भारत में खाद्य व्यवस्था को योजनाबद्ध तथा ईमानदारी से चलाया जा रहा है इसमें भी उच्च प्रशासनिक भारी खामी है भारत में खाद्यान के रख रखाव के लिए १० हजार करोड़ रूप ये प्रति वर्ष खर्च तो किया जा रहा है फिर भी खाद्यान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में १७२ करोड़ का खाद्यान नष्ट हो रहा है और भण्डारण हानि ५८ करोड़ की आ रही है यदि यह व्यवस्था ईमानदारी से सुधार ली जाए तो यही खाद्यान २३० करोड़ का खाद्यान गरीब मजदूरों को जो इसको उत्पादित कर रहे हैं मुफ्त में बांटा जा सकता है।

करना यह होगा कि क्रांति को यह न मान लिया जाए कि स्थाई रूप से हरित क्रांति प्राप्त हो गई। इसके लिए कम्पोस्ट खाद पर आधारित रहना पड़ेगा जिसके लिए गाय ही सर्वोच्च है इस हेतु गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना पडेगा जिस समय भारत सोने की चिड़िया था जहां, दूध दही की नदियां बहती थीं उस समय गाय राष्ट्रीय पशु था। यह मान्यता शोधयुक्त है इसमें पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इससे खाद्यान के उत्पाद में स्थाई वृद्धि होगी और स्थिरता रहेगी भूमि का क्षरण कम होगा और पौस्टिकता का भी बचाव किया जाएगा अन्यथा भारतवासियों में नाना प्रकार की बीमारियां फैलेंगी।

अनगिन जीवन धारा मिलकर इस धरती पर आई, गंगा यमुना के जल सी हो, भेद अभेद समाई।

भारत की जनसंख्या पर ईमानदारी से नियंत्रण किया जाना चाहिए। भारत की जनसंख्या गुणात्मक आंकड़ों से बढ़ रही है जबकि उत्पाद कभी भी गुणात्मक आंकड़ों से नहीं बढ़ सकता इस नियंत्रण में धर्म व जाति का कोई आधार नहीं होना चाहिए किसी धर्म में यह नहीं लिखा है कि इतने बच्चे पैदा किए जाएं इनको पैदा करने वाला उन्हें भोजन भी नहीं करा सकें। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है मगर जनसख्या नियंत्रण में चीन में धर्म आड़े नहीं आ रहा है तो भारत में धर्म आड़े क्यों आ रहा है ? यही इस समय राष्ट्र का धर्म है, जो राष्ट्र का धर्म है वहीं राष्ट्र के नागरिकों का धर्म होना चाहिए। देश में चावल व गेहूँ को ही नहीं ज्वार, बाजरा व मक्का का उत्पादन गिरना प्रारम्भ हो गया है। पिछले वर्ष चावल का उत्पादन १२८.४६ लाख मैट्रिक टन हुआ था लेकिन इस वर्ष चावल का उत्पादन ८१ लाख मैट्रिक टन हुआ अर्थात पिछले साल से ४७.४६ लाख मैट्रिक टन कम हुआ। ज्वार, बाजरा, मक्का का भी उत्पादन कम हुआ और गेहूँ का भी उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है २५० लाख मैट्रिक टन उसे भारत प्राप्त करने नहीं जा रहा है। इसलिए समय रहते भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं खाद्य संगठन के लगे लोग इस विषय में ईमानदारी से सोचें और भारतीय दर्शन पर आधारित कार्य करें। यह कहाँ का भारतीय दर्शन है कि भारत का नागरिक भूख से मरे और खाद्यान रख-रखाव के संगठन अपनी व्यक्तिगत जेबें भरे इस प्रवृत्ति में सुधार न हुआ तो समस्या विकराल रूप ले सकती है और तभी भारत की खाद्य समस्या से स्थाई रूप से निपटा जा सकता है।

संस्कृति

राष्ट्र की सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो अत्यन्त महत्व की है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र के सम्पूर्ण शरीर में प्राणों के समान संचार करती है। प्रकृति के तत्वों पर विजय पाने के प्रयत्न में तथा मानवानुभूति की कल्पना में मानव जिस जीवन दृष्टि की रचना करता है। वह उसकी संस्कृति है। संस्कृति कभी गतिहीन नहीं होती अपितु वह निरन्तर गतिशील है, फिर भी उसका अपना एक अस्तित्व है। नदी के प्रवाह की भांति निरन्तर गतिशील होते हुए भी वह अपनी निजी विशेषताएं रखती है जो उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले समाज के संस्कारों में तथा उस सांस्कृतिक भावना से अन्य राष्ट्र के साहित्य, कला, दर्शन, स्मृति, शास्त्र, समाज-रचना, इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न अंग-अंगों में व्यक्त होती है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

हम अगस्त बन महासिंधु को, अंजुलि में पी जायें, तीन डगो में सृष्टि नाप लें, कालकूट पी जायें।

धारणाधिकार

- श्रीमती आशा सक्सेना, सदस्य कार्यसमिति

1. धारिणाधिकार (लिएन) - क्या है ?

धारणाधिकार का मतलब उस पदवी (खिताब) या अधिकार (हक) से होता है जो सरकारी कर्मचारी को किसी स्थायी पद को मौलिक रूप से धारण करने के लिए मिलता है। यह अधिकारी को उसे किसी पद पर मूल रूप से धारण करने के लिए मिलता है। यह अधिकार उसे किसी पद पर मूल रूप से रूप से नियुक्ति होने पर मिलता है भले ही वह पद सावधिक (टेन्योर) पद हो। (परिभाषा-अध्याय ३ मद ३६ देखें)। यह भी कहा जा सकता है कि किसी कर्मचारी का स्थायी पद पर स्थायीकरण कर दिया जाये तो उसे स्थायी पद का धारणधिकार मिल जाता है। [एफ- आर 9 (13)]

2. 1.4.1988 से धारणाधिकार की नयी धारणाः

1.4.1988 से यह निर्णय किया गया कि किसी सरकारी कर्मचारी को उस सेवाकाल में केवल एक बार ही स्थायी किया जायेगा, वह भी प्रवेश के ग्रेड में। इस प्रकार उसकी पदोन्नती पर यदि वह किसी नियमित पद पर हो - उसे उच्चतर पद पर धारणाधिकार मिल जायेगा, हालांकि वह अस्थायी होगा।

धारणाधिकार का अर्थ अब यह होगा कि सरकारी कर्मचारी को किसी नियमित पद का अधिकार या पदवी होगी, भले ही वह पद स्थायी हो या अस्थायी। इस प्रकार किसी ग्रेड में धारणाधिकार का लाभ उन सभी कर्मचारियों को होगा चाहे वे अपने प्रवेश के पहले ग्रेड में स्थायी कर दिये गये हों, या उन्हें जब किसी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया गया हो तो उन्होंने प्रोबेशन निर्धारित न हो और उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नति किया गया है।

पिछले पैरा में जिस प्रकारा की चर्चा की गई उसके लिए शर्त केवल यही है कि अगर आगे चलकर किसी समय उस ग्रेड में उपलब्ध पदों की सख्या से उन पदों के हकदार व्यक्तियें की संख्या अधिक हो जाय तो सबसे कनिष्ठ (जूनियर) होगा उसे निचले पद पर पदावनत कर दिया जायेगा। उदाहरण के लिए, धारणाधिकार के हक वाला कोई अपनी इतर (फारेन) सेवा या डेपुटेशन से वापिस लौटे और उसके लिए कोई पद खाली न हो तो उसे ग्रेड के सबसे कनिष्ठ कर्मचारी को पदावनत कर दिया जायेगा। यदि लौटने वाला कर्मचारी खुद ही सबसे कनिष्ठ हो तो उसे ही निचले पद पर पदावनत किया जा सकता है। [कार्मिक व प्रशि. विभाग, का ज्ञा. सं. 18011/1/85 इस्टे/डी.दि. 28.3.1988,

3. केन्द्रीय सिविल सेवाओं में समय से स्थायीकरण :

संघ-लोक सेवा आयोग ने 1996–97 की अपनी 47वीं वार्षिक रिर्पोट में स्थायीकरण में होने वाले विलम्ब पर टिप्पणी की है। इस विषय में सरकार ने सारी प्रक्रिया के सरलीकरण के जो आदेश जारी किये हैं, उनके समय से अनुपालन पर जोर दिया है। [कार्मिक विभाग, का. ज्ञा. सं. 18011/2/98 स्था. (ग) दिनांक 28.8.98]

4. डेपुटेशन या इतर (फारेन) सेवा पर जाने की स्थिति में धारणधिकार :

(क) किसी सरकारी कर्मचारी को किसी दूसरे विभाग या सरकार या पब्लिक सेक्टर या कारपोरेशन या स्वायत्त

लेकर शस्त्र-शास्त्र को कर में शत्रु हृदय दहलाने, पृथ्वी के हम अमर पुत्र हैं, जग को चले जगाने।

संस्था आदि में जनहित में भेजा जा सकता है।

(ख) सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से किसी विज्ञापन या परिपत्र के संदर्भ में नियमित माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजकर किसी दूसरे केन्द्र सरकार के विभाग/कार्यालय में जा सकता है।

पहली, यानी (क) में दी गई सूरत में सरकारी कर्मचारी का यदि वह स्थायी हो तो अपने विभाग में धारणधिकार रहेगा। यदि वह अर्ध-स्थायी या अस्थायी हो तो भी वह लौट सकेगा। हालांकि उसका धारणधिकार नहीं रहेगा। दूसरी, यानी (ख) में दी सूरत में उसकी स्थिति इस प्रकार होगी :

(i) **यदि वह स्थायी हों** - दो साल तक धारणाधिकार रहेगा जिसे विशेष रूप से तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) **अर्ध-स्थायी** - वह दो साल या विशेष स्थिति में तीन साल के भीतर लौट सकता (क्वासी परमानेण्ट) है बशर्ते वह पद अभी भी जारी हो।

(iii) **अस्थायी** - पुराने विभाग से कोई संबध नही रहेगा। उसे इस्तीफा देना होगा। [गृह मंत्रालय, का. ज्ञा. सं. ६०/३७/६३ इस्टे(ए)/, दिनांक १४.७.१९६७]

५. विकासशील देशों के लिए सरकार के आधार पर डेपुटेशन की स्थिति में धारणाधिकार :

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों के विदेशी नियुक्ति अनुभाग के द्वारा सरकार से सरकार के आधार पर डेपुटेशन होने पर सरकारी कर्मचारी के धारणाधिकार की स्थिति इस प्रकार होगी :

(i) **स्थायी** - धारणाधिकार शुरूआत में दो साल के लिए होगा जिसे बाद में पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा।

(ii) **अर्ध-स्थायी** - इनके मामले में धारणधिकार का प्रश्न ही नहीं है। किन्तु स्थायीकरण और अस्थायी के लिए इनके बारे में विचार किया जायेगा और पांच साल की अधिकतम सीमा तक इनकी सेवा को लगातार सेवा का निर्धारण करने में जोड़ा जा सकेगा।

सफलता का राजमार्ग

'एक लक्ष्य अपनाओ। उस लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो। हर क्षण उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो, उसी के सहारे जीवित रहो। मस्तिष्क, मांसपोशियां, नसे आदि शरीर के प्रत्येक अंग उसी विचार से ओत-प्रोत हो और अन्य प्रत्येक विचारकों किनारे पड़ा रहने दो। सफलता का यही राजमार्ग है, इसी मार्ग पर चलकर अब तक आध्यात्मिक महापुरूष पैदा हुए हैं। अन्यों को केवल बोलने वाले यन्त्र मात्र समझो।

- स्वामी विवेकानन्द जी

भारत की संताने हम सब, श्रमिक हैं भाई-भाई, माता का सम्मान बढ़ाने, यह मंगल बेला आई।

With Best Compliments From :

J. K. DRUGS & PHARMACEUTICALS

Manufacturers of :

Bulk Drug & Intermediate Products

Plot No. A-2, BIJNOR ROAD
UPSIDC INDUSTRIAL AREA, GAJRAULA-244235
JYOTIBA PHULE NAGAR (U.P.)
Tel : (05924) 252592,252593 Fax. : 05924-252314

4302

With Best Compliments From :

WHEN IT COMES TO
COMMUNICATION,
WE SPEAK ONE LANGUAGE...
GLOBAL!!

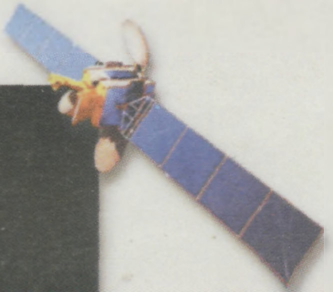

TCIL'S AREA OF EXPERTISE

- *Investment Plan Studies*
- *Design*
- *Planning and Procurement*
- *Engineering*
- *Installation, Testing & Commissioning*
- *Quality Control*
- *Techno-economic Feasibility Studies*
- *Project Supervision*
- *Operations and Maintenance*
- *Human Resource Development*
- *Manufacturing Consultancy*
- *Software Development*
- *Network Development*
- *Postal Consultancy*
- *Training*
- *Managerial Support*

TCIL has been spearheading the telecommunications industry for the past 24 years. This experience has helped us develop a strong instinct when it comes to communication. Empowered with this instinct TCIL senses the need to develop the telecom sector across the globe - whenever and wherever the need be!

As a major service provider, TCIL has joint ventures with renowned global conglomerates and has successfully executed telecom projects on turnkey basis, spanning over 50 nations worldwide. Having transformed rural Africa into the land of Digital Network, Fibre Optical Cables, WLL Systems, TCIL has now set its sights on Algeria and Afghanistan to make them a part of the global vision. Having established itself in the field of telecom, TCIL is now expanding into Basic, Cellular, GMPCs and Internet Services.

Little wonder then, when it comes to global communication we speak just one language ... global!!

TCIL FOCUSSED VISION, GLOBAL MISSION